

**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2017 को सम्पन्न हुई 31वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

**बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-**

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। —अध्यक्ष
2. श्री सीताराम यादव, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन। (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) —सदस्य
3. श्री अर्जुन सिंह, विशेष सचिव वित्त उ०प्र० शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त) —सदस्य
4. श्री मनोज कुमार मौर्य, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास) —सदस्य
5. श्री राजेश प्रातप सिंह, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) —सदस्य

**विशेष आमंत्रित:-**

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री ए०के० पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री प्रिय रजन कुमार, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री जे०पी० सिंह, सलाहकार भू-अर्जन, यूपीडा।
6. श्री ओ०पी० पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू-अर्जन, यूपीडा।
7. श्री बी०सी० तिवारी, विशेष कार्याधिकारी वन, यूपीडा।
8. श्री के०के० गुप्ता, सलाहकार वित्तीय, संस्थाए।
9. श्री एच०के० चौहान, स्टाफ ऑफिसर, यूपीडा।
10. श्री प्रभात कुमार, सलाहकार, पी०पी०पी०।
11. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
12. श्री एच०एम० त्रिपाठी, प्रभारी परियोजना निदेशक वन, यूपीडा।
13. श्री पी०एन० टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।

अध्यक्ष (मुख्य कार्यपालक अधिकारी), द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को औपचारिक बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए उनका यूपीडा के अधिकारियों से परिचय करवाया, तदोपरान्त यूपीडा द्वारा संचालित की जा रही आगरा-लखनऊ/पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सम्बन्ध में विभिन्न गतिविधियों की अद्यतन प्रगति से भी अवगत कराया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं।

- शासन ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा शीघ्र संचालित करने की प्राथमिकता से अवगत कराया और बताया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कैबिनेट से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्रारम्भ में एडवॉस ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं था इस बाद में कराये जाने का प्राविधान किया गया है, जिस पर 104.65 करोड़ रु० आने का अनुमान था, जिसे वर्तमान में लगभग 50 करोड़ कर दिया गया है, एवं कार्य हेतु शीघ्र टेंडर किया जा रहा है।

- बोर्ड से पूर्व में प्राप्त स्वीकृति अनुसार हुडको से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए ₹0 1530.64 करोड़ का लोन स्वीकृत हुआ है जिसे प्राप्त करने के लिए कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ₹0 3500 करोड़ के ऋण के लिए आवेदन पत्र हुडको को प्रेषित किया गया है। हुडको से प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर बोर्ड का अनुमोदन व अन्य अग्रतर कार्यवाही की जाएगी।
  - सदस्यों को अवगत कराया गया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए योजना हेतु क्रय भूमि के बैनामों की सघन समीक्षा की जा रही है, नोटिफिकेशन (धारा-4) के एक वर्ष पूर्व एवं पश्चात हुए बैनामों की जिलाधिकारी से सूची प्राप्त कर यूपीडा वेबसाइट पर विवरण को अपलोड करा दिया गया है, जिसे सामान्यजन कभी भी देख सकते हैं, इस प्रकार के बैनामों की समीक्षा हेतु यूपीडा में श्री जे0पी0 सिंह भूमि सलाहकार को उत्तर दायित्व दिया गया है।
  - सड़क की गुणवक्ता की जाँच हेतु उन्होने स्वयं सड़क का निरीक्षण में यह पाया गया कि पैकेज सं0-01 से 05 तक निर्माण कार्य सामान्यतः संतोषजनक है। मात्र पैकेज सं0-1 के बिटुमिनस क्रस्ट का परीक्षण विस्तृत रूप से करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिसे भारत सरकार के उपक्रम, राइट्स लिमिटेड से कराने का निर्णय लिया गया है।
  - आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मात्र 14 हे0 भूमि का क्रय अवशेष जिसे शीघ्र ही कर लिया जाएगा।
  - टोल बूथ प्लाजा का कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही एक्सप्रेसवे पर मार्गीय सुविधाएं यथा पेट्रोल पम्प, वाहन रिपेयर हेतु गौराज, फूड प्लाजा कम्युनिटी स्टोर, शौचालय आदि सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
  - पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है, पूर्व में निर्माण हेतु प्राप्त विड्स को मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में गठित सचिव, समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया है, पुनः निर्माणकर्ता/संस्थाओं के चयन हेतु विड्स जारी की जा रही है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रश्न है। सुझाव दिया। मुख्य कार्यपालक निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा 31वीं बैठक के प्रस्तुत एजेण्डा के विभिन्न बिन्दुओं से अवगत होते हुए निम्नवत् बिन्दुओं पर अपनी सहमति प्रदान की गयी।*

**एजेण्डा बिन्दु संख्या 1:-** उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2016 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

**कार्यवाही/निर्णय:-** निदेशक मण्डल द्वारा 30वीं बैठक में प्रस्तुत कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या 2:-** उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2016 को सम्पन्न 30वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

**कार्यवाही/निर्णय:-** निदेशक मण्डल को पूर्व कार्यवृत्त पर प्रदत्त पर निदेशक मण्डल द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत कराया गया एवं निदेशक मण्डल द्वारा अनुपालन आख्या से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या 3:-** उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।

उ0प्र0 शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रक एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" एवं "लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते जनपद गाजीपुर तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)" को ई0पी0सी0 पद्धति पर समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट

धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया।

● **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना**

1. **वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति** :-वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उ0प्र0 शासन बजट में धनराशि रू0 4153.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत् स्वीकृत किया गया है:- रू0 करोड़ में

क्र0सं0	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि
1.	अनुदान संख्या-07	3103.00	2610.50
2.	अनुदान संख्या-83	900.00	900.00
3.	अवस्थापना विकास निधि	150.00	150.00
	<b>योग</b>	<b>4153.00</b>	<b>3660.00</b>

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में परियोजना के पक्ष में धनराशि निम्नवत् उपयोग/व्यय की गई है :-

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में	टिप्पणी
1.	भूमि अधिग्रहण हेतु	10.50	सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सीधे उ0प्र0 शासन द्वारा आवंटित किया गया।
2.	निर्माणकर्ताओं को भुगतान हेतु	3249.76	
3.	यूटीलिटी शिफ्टिंग तथा ई0आई0 ए0 क्लीयरेंस	50.17	
4.	यूपीडा के अधिष्ठान सम्बंधी व्यय	26.14	
5.	सुपर विजन (अधारिटी इंजीनियर को भुगतान हेतु)	21.10	
6.	शासन के रिसिट हेड में जमा	272.50	
	<b>कुल उपयोग/भुगतान</b>	<b>3630.17</b>	

व्यय का उपरोक्त मदों में वर्गीकरण शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया गया है।

2. **वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से प्राप्त बजट की स्थिति** :-वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उ0प्र0 शासन में लेखानुदान के माध्यम से धनराशि रू0 1500.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत् किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या-07	1200.00
2.	अनुदान संख्या-83	300.00
	<b>योग</b>	<b>1500.00</b>

**वित्तीय वर्ष 2017-18 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे में कुल आवश्यकता :-**

(रूपये करोड़ में)

परियोजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण	::	2919.22
निर्माण मद में अनुमानित व्यय	::	9546.90
Utility Shifting, Supervision, Contingency, Agency Charges		
Road Safety Audit, Maintenance, Adjustment for Escalation Cost	::	2471.53
<b>परियोजना की कुल लागत</b>	<b>::</b>	<b><u>14937.65</u></b>
<b>अद्यतन व्यय (31.03.2017)</b>	<b>::</b>	<b>11269.98</b>
<b>आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आय व्ययक अनुमान</b>		
परियोजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण	::	100.00
निर्माण मद में अनुमानित व्यय	::	1550.00*
Utility Shifting, Supervision, Contingency, Agency Charges		
Road Safety Audit, Maintenance, Adjustment for Escalation Cost	::	100.00
<b>कुल आवश्यकता</b>	<b>::</b>	<b><u>1750.00</u></b>

उक्त आवश्यकता की पूर्ति लेखानुदान/बजट 2017-18 के प्राविधान/वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर किया जायेगा।

● प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)

**1. वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति (रु० करोड़ में)**

क्र०सं०	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि
1.	अनुदान संख्या-07	3300.00	3082.25
2.	अनुदान संख्या-83	500.00	500.00
3	अवस्थापना विकास निधि	350.00	350.00
	<b>योग</b>	<b>4150.00</b>	<b>3932.25</b>

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु शासन द्वारा सीधे जिलाधिकारियों को निम्नवत धनराशि का आवंटन किया गया है।

क्र०सं०	विवरण	रु० करोड़ में	टिप्पणी
1.	भूमि अधिग्रहण हेतु	3727.38	सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सीधे उ०प्र० शासन द्वारा आवंटित किया गया।
2.	शासन के रिसिट हेड में जमा	200.00	
	<b>कुल उपयोग/भुगतान</b>	<b>3927.38</b>	

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से प्राप्त बजट की स्थिति:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उ0प्र0 शासन में लेखानुदान के माध्यम से धनराशि रू0 2800.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या-07	2300.00
2.	अनुदान संख्या-83	500.00
	<b>योग</b>	<b>2800.00</b>

वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे में कुल आवश्यकता :-

(रूपये करोड़ में)

परियोजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु व्यय	::	7085.00
निर्माण मद में अनुमानित व्यय	::	14301.88
Utility Shifting, Supervision, Contingency, Agency Charges		
Road Safety Audit, Maintenance, Adjustment for Escalation Cost	::	3631.09
<b>परियोजना की कुल लागत</b>	<b>::</b>	<b><u>25017.97</u></b>
<b>अद्यतन व्यय (31.03.2017)</b>	<b>::</b>	<b>3727.38</b>

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमानित व्यय

भूमि अधिग्रहण हेतु	::	3400.00
निर्माणकर्ताओं को अनुबन्ध के पश्चात अनुमानित व्यय	::	2145.00
Utility Shifting, Supervision, Contingency, Agency Charges		
Road Safety Audit, Maintenance, Adjustment for Escalation Cost	::	210.00
<b>कुल :-</b>	<b>::</b>	<b><u>5755.00</u></b>

उक्त आवश्यकता की पूर्ति लेखानुदान/बजट 2017-18 के प्राविधान/वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर किया जायेगा।

- प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे) में परामर्शी सेवाओं हेतु

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति (रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि	व्यय
1.	अनुदान संख्या-07	5.20	2.00	0.88
	<b>योग</b>	<b>5.20</b>	<b>2.00</b>	<b>0.88</b>

वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से प्राप्त बजट की स्थिति:-वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उ0प्र0 शासन में लेखानुदान के माध्यम से धनराशि रू0 1.10 करोड़ का प्राविधान निम्नवत किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	रू0 करोड़ में
1.	अनुदान संख्या-07	1.10
	योग	1.10

**3.2 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रिपेमेंट में विलम्ब के कारण निर्माणकर्ताओं से ब्याज की वसूली की धनराशि को उ0प्र0 शासन को जमा करने की सूचना-**

चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को निष्पादित अनुबन्ध के क्लोज संख्या 19.2 (एडवांस पेमेंट) के अनुसार परियोजना के निर्माणकर्ताओं को ब्याजमुक्त एडवांस पेमेंट तीन किस्तों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है। निर्माणकर्ताओं को दिये गये एडवांस पेमेंट के रिपेमेंट हेतु अनुबन्ध के क्लोज संख्या 19.2.7, 19.2.7(a) एवं 19.2.8 में प्राविधान किया गया है, जिसका उद्धरण निम्नवत है:-

*19.2.7 First installment of Advance Payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 365 (three hundred and sixty five) days from the date of this Agreement.*

*19.2.7(a) Second and Third installment of Advance payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 730 (seven hundred and thirty) days from the date of release of respective installment.*

*19.2.8 The contractor shall repay each installment of advance payment on or before the due date of repayment. In the event of the contractor's failure to make the repayment on time, the Authority shall be entitled to encash the Bank guarantee for Advance Payment. The Parties expressly agree that for any delay in repayment of the Advance Payment, the Contractor shall pay interest to the Authority for each day of delay, such interest to be calculated at the rate of 18% (eighteen percent) per annum.*

2- अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त की धनराशि के बराबर बैंक गारण्टी भी प्राधिकरण को प्रदान की गयी है।

3- ब्याज की वसूली हेतु निर्माणकर्ताओं द्वारा एक अंडरटैकिंग दिया गया है कि, यदि अनुबन्ध के क्लोज में यथासंशोधित प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तब की दशा में अग्रिम की अदायगी की देरी के वजह से ब्याज की वसूली निर्माणकर्ताओं के चालू खाता बिल से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जायेगा।

मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त की अदायगी की देरी की वजह से निर्माणकर्ताओं के चालू खातों से ब्याज की वसूली की गयी जो धनराशि रू0 **Rs 30,41,13,130** है, जिसमें से धनराशि रू0 **24,52,39,661** दिनांक 31 मार्च, 2016 को एवं धनराशि रू0 **5,88,73,469** दिनांक 21 मार्च, 2017 को उ0प्र0 शासन को जमा करवा दिया गया है जिसका विवरण निम्नवत है :-

Packages	Ist Mobilization Advance Amount	Recovered Mobilization Advance Amount	Recovered Interest Amount	Deposited In govt. Account. upto 31.03.2016	Deposited In govt. Account. upto 31.03.2017	Remarks
PKG-I	81,78,75,000	81,78,75,000	3,63,05,877	3,63,05,877	-	Up to IPC-08
PKG-II	99,52,45,000	99,52,45,000	11,59,10,301	7,41,11,669	4,17,98,633	Up to IPC-12
PKG-III	83,74,05,000	83,74,05,000	3,20,87,271	3,20,87,271	-	Up to IPC-09
PKG-IV	106,20,85,000	106,20,85,000	7,26,98,995	5,56,24,159	1,70,74,836	Up to IPC-14
PKG-V	81,50,00,000	81,50,00,000	4,71,10,686	4,71,10,686	-	Up to IPC-08
	<b>452,76,10,000</b>	<b>452,76,10,000</b>	<b>30,41,13,130</b>	<b>24,52,39,661</b>	<b>5,88,73,469</b>	

मोबिलाइजेशन एडवांस की द्वितीय किस्त की अदायगी की देरी की वजह से निर्माणकर्ताओं के चालू खातों से ब्याज की वसूली की गयी जो धनराशि रु0 **Rs 3,36,79,184** है, जिसे दिनांक 21 मार्च, 2017 को उ0प्र0 शासन को जमा करवा दिया गया है जिसका विवरण निम्नवत है :-

Packages	2 <sup>nd</sup> Mobilization Advance Amount	Recovered Mobilization Advance Amount	Recovered Interest Amount	Deposited In govt. Account. upto 31.03.2017	Remarks
PKG-I	81,78,75,000	38,61,34,176	78,37,585	78,37,585	
PKG-III	83,74,05,000	83,74,05,000	---	---	Advance recovered withindue date.
PKG-IV	106,20,85,000		2,14,74,182	2,14,74,182	
PKG-V	81,50,00,000	81,50,00,000	43,67,417	43,67,417	
	<b>452,76,10,000</b>	<b>203,85,39,176</b>	<b>3,36,79,184</b>	<b>3,36,79,184</b>	

इस प्रकार निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रिपेमेंट में विलम्ब के कारण निर्माणकर्ताओं से ब्याज की वसूली की धनराशि रु0 **9,25,52,653 (5,88,73,469+3,36,79,184)** को उ0प्र0 शासन में दिनांक 21 मार्च, 2017 को जमा करा दी गयी है।

### 3.3 वित्तीय वर्ष 2015-16 के आर्थिक चिटठा (Balance Sheet) का अनुमोदन

अवगत कराना है कि यूपीडा का वित्तीय वर्ष 2015-16 का स्टेचुरी आडिट सम्पन्न करते हुए वार्षिक आर्थिक चिटठा (Balance Sheet) तथा फार्म 10-बी तैयार कर प्रस्तुत करते हुए, यूपीडा द्वारा आधिकृत चार्टर्ड लेखाकार (Chartered Accountant) मेसर्स अनुप अग्रवाल एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में किया जाना है

### 3.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा) उ0प्र, लखनऊ द्वारा यूपीडा कार्यालय अभिलेखों का सम्प्रेक्षण

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा) उ0प्र, लखनऊ के पत्र दिनांक 09.05.2016 के क्रम में यूपीडा कार्यालय अभिलेखों का प्रथम सम्प्रेक्षण दिनांक 16.05.2016 से प्रारम्भ होकर दिनांक 03.06.2016 तक किया गया। उक्त लेखा परीक्षा यूपीडा के आरम्भ से 31.3.2016 तक अन्तर्निहित था। सम्प्रेक्षा द्वारा अपेक्षित अभिलेखों को उपलब्ध कराया गया एवं सम्प्रेक्षण द्वारा किए गए टिप्पणी का तत्काल प्रतिउत्तर दिया गया।

महालेखाकार एवं यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मध्य दिनांक 23.09.2016को हुई बैठक में यूपीडा द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर पर चर्चा हुई।

**कार्यवाही/निर्णय:**—यूपीडा के वित्त नियंत्रक द्वारा निदेशक मण्डल को यूपीडा के विभिन्न वित्तीय आय-व्यय से अवगत कराया गया एवं ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की गई, निदेशक मण्डल से औपचारिक अनुमोदन का अनुरोध किया। निदेशक मण्डल द्वारा ऑडिट रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए वित्तीय स्थिति से संतुष्टि व्यक्त की गई, एवं प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

#### एजेण्डा बिन्दु संख्या 4:—‘आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना’।

शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1988/77-3-13-2(यूपीडा) /12 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इस परियोजना को पी.पी.पी. के स्थान पर इ.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित कर पांचों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन कर चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों की अनुबन्धित लागत रुपये 9055.22 करोड़ है तथा सम्पूर्ण परियोजना का निर्माण लगभग 92 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा उस पर हल्के मोटर वाहनों का आवागमन प्रारम्भ हो चुका है। परियोजना की सर्विस रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

परियोजना से सम्बन्धित निम्न कार्यों हेतु कार्यवाही की जा रही है:—

#### 4.1.1

#### ‘टोल कान्ट्रेक्टर्स’ के चयन के सम्बन्ध में:—

परियोजना के उपयोग हेतु टोल चार्ज एकत्रित करने के लिये टोल कान्ट्रेक्टर्स के चयन सम्बन्धित विवरण एवं बिडिंग अभिलेख आदि तैयार करने हेतु ‘परियोजना विकास परामर्शी’ को रुपये 22.00 लाख की अतिरिक्त फीस पर ‘परामर्शी अनुश्रवण समिति’ की बैठक दिनांक 08.01.2016 तथा ‘एम्पावर्ड कमेटी’ की बैठक दिनांक 18.02.2016 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदनुसार मा0 मंत्रिपरिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक विभाग को यूपीडा के पत्र दिनांक 31.03.2016 के माध्यम से कैबिनेट नोट का आलेख्य तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया था। प्रकरण पर प्रशासनिक विभाग से निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में अग्रततर कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी।

प्रकरण को ‘सचिव समिति’ की बैठक दिनांक 02.05.2017 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अवगत कराया गया था कि ‘आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना’ में 02 टोल प्लाजा तथा 61 रैम्प प्लाजा प्राविधानित है। ‘सचिव समिति’ को यह भी अवगत कराया गया था कि पूर्व में परियोजना परामर्शी द्वारा वर्ष 2017 में एक्सप्रेसवे पर 34766 पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) प्रतिदिन का यातायात तथा टोल से लगभग रुपये 374.82 करोड़ की वार्षिक सम्भावित आय आंकलित की गई थी। ‘सचिव समिति’ को यह भी अवगत कराया गया था कि प्रथम वर्ष में इस आंकलन का लगभग 50 प्रतिशत ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए ‘सचिव समिति’ की बैठक दिनांक 02.05.2017 में ‘आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना’ पर टोलिंग विषयक निम्न निर्णय लिये गये थे:—

- ‘आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना’ पर टोलिंग चार्ज करने हेतु एजेन्सी के चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। टोलिंग चार्ज करने हेतु एजेन्सी को 5 वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्त करने हेतु चयन की प्रक्रिया की जाये। समिति द्वारा यह भी निर्देश निर्गत किये गये थे कि परियोजना के लिये टोलिंग कान्ट्रेक्टर के चयन हेतु बिड अभिलेख एन0एच0ए0आई0 द्वारा



प्रचलित बिड अभिलेखों में परियोजना विशिष्ट परिवर्तनों को समाहित करते हुए तैयार किये जाये।

- 'सचिव समिति' को अवगत कराया गया था कि उ0प्र0 एक्सप्रेसवे (लेवी आफ टोल्स एण्ड फिक्सिंग आफ फीस एण्ड रियलाइजेशन देयर ऑफ) रूल्स 2010 में निर्धारित टोल दर, एन0एच0ए0आई0 टोल दर से अपेक्षाकृत अधिक हैं। 'सचिव समिति' द्वारा 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' हेतु टोल चार्ज की दरों का निर्धारण उ0प्र0 एक्सप्रेसवे (लेवी आफ टोल्स एण्ड फिक्सिंग आफ फीस एण्ड रियलाइजेशन देयर ऑफ) रूल्स 2010 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया था।
  - टोल कान्ट्रैक्टर्स के चयन सम्बन्धित विवरण एवं बिडिंग अभिलेख आदि तैयार करने हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' की आवश्यक अतिरिक्त सेवायें लिये जाने हेतु अतिरिक्त फीस रुपये 22.00 लाख पर 'सचिव समिति' द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी तथा इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन अतिमीकृत बिडिंग अभिलेख का अनुमोदन प्राप्त करने के समय प्राप्त करने के निर्देश 'सचिव समिति' द्वारा प्रदान किये गये थे।
  - 'परियोजना विकास परामर्शी' को उपरोक्त कार्य हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक निर्देश प्रदान करने एवं 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' पर टोल एकत्र करने हेतु उपयुक्त एजेन्सी के चयन हेतु प्राधिकरण द्वारा अग्रततर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश समिति द्वारा प्रदान किये गये थे। तदनुसार 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 02.05.2017 में लिये गये उपलिखित निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक विभाग को टिप्पणी का आलेख्य पत्र दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से प्रेषित किया गया है:-
- (क) 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर टोलिंग चार्ज करने हेतु एजेन्सी के चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने एवं टोलिंग चार्ज करने हेतु किसी उपयुक्त एजेन्सी को 5 वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्त करने हेतु चयन की प्रक्रिया तथा परियोजना के लिये टोलिंग कान्ट्रैक्टर के चयन हेतु बिड अभिलेख एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रचलित बिड अभिलेखों में परियोजना विशिष्ट/आवश्यक परिवर्तनों को समाहित करते हुए तैयार किये जाने हेतु।
- (ख) टोल चार्ज की दरों का निर्धारण उ0प्र0 एक्सप्रेसवे (लेवी आफ टोल्स एण्ड फिक्सिंग आफ फीस एण्ड रियलाइजेशन देयर ऑफ) रूल्स 2010 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर किये जाने हेतु।
- (ग) टोल कान्ट्रैक्टर्स के चयन सम्बन्धित विवरण एवं बिडिंग अभिलेख आदि तैयार करने हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' की आवश्यक अतिरिक्त सेवायें लिये जाने हेतु देय अतिरिक्त फीस रुपये 22.00 लाख हेतु।

#### 4.1.2 परियोजना में 'एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ए0टी0एम0एस0) की स्थापना के सम्बन्ध में:-

- औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1256/77 -3-16-2यूपीडा/12 दिनांक 12.08.2016 द्वारा 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के लिये 'एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ए0टी0एम0एस0) के प्राविधान सम्बन्धित कार्य हेतु पूर्व चयनित 'परियोजना विकास परामर्शी' मे0 फीडबैक इन्फ्रास्ट्रचर सर्विसेज प्रा0लि0 एवं मे0 रेडिकान (इण्डिया) प्रा0लि0 के कन्सोर्सियम की अतिरिक्त सेवायें लिये जाने तथा उपरोक्त कार्य हेतु रुपये 15.00 लाख की अतिरिक्त कन्सल्टेन्सी फीस की भुगतान की अनुमति प्रदान करते हुए यूपीडा को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।
- उपरोक्त के क्रम में 'परियोजना विकास परामर्शी' द्वारा तैयार किये गये बिडिंग डाक्यूमेंट्स पर दिनांक 29.10.2016 को आहूत 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त बिडिंग डाक्यूमेंट्स जारी किया गया था। दिनांक 11.11.2016 को आहूत प्री-बिड बैठक में 16 इच्छुक निविदादाताओं द्वारा

प्रतिभाग किया गया था तथा इच्छुक निविदादाताओं से प्राप्त पृच्छाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण तथा एडेन्डम जारी कर अन्तिम रूप से तैयार बिडिंग डाक्यूमेन्ट्स पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था। कतिपय कारणवश बिडिंग डाक्यूमेन्ट मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया था। उपरोक्तानुसार तैयार बिडिंग डाक्यूमेन्ट के अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रुपये 104.65 करोड़ आंकलित की गयी थी।

- उपरोक्त प्रकरण पर 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 02.05.2017 में विचार-विमर्शोपरान्त "आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे" हेतु पूर्व प्रस्तावित 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' को एकमुश्त रुपये 104.65 करोड़ की लागत से स्थापित किये जाने के स्थान पर प्रथम फेज में 50 प्रतिशत (लगभग रुपये 50.00 करोड़ की लागत का) 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' स्थापित कराये जाने, जिसमें भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य सुविधायें/ इक्यूपमेंट स्थापित किये जा सकेंगे, पर सहमति व्यक्त की गयी थी। 'सचिव समिति' द्वारा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में मुख्य रूप से पूर्व में प्रस्तावित सुविधायें/इक्यूपमेंट के सापेक्ष प्रथम फेज में इमरजेंसी कॉल बॉक्स की संख्या 151 के स्थान पर 76, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा 100 के स्थान पर 50 रखने तथा मेट्रोर्लॉजिकल डाटा सिस्टम, वैरियेबल मैसेज साइन, मोबाइल रेडियो कम्प्यूनिकेशन को फिलहाल न रखने का निर्णय लिया गया था।
  - समिति द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबिल के सम्बन्ध में टेलीकॉम कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने तथा यूपीडा को अलग-अलग स्थान पर बिना शुल्क के बैण्ड विड्थ उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की गयी थी।
  - 'सचिव समिति' द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' में तेज रफ्तार वाहनों की गति रिकार्ड करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ-साथ वाहन के नम्बर प्लेट को रिकॉर्ड करने की क्षमता वाले कैमरों को प्रत्येक कैरिजवे में 10 स्थलों पर लगाने की व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जाये।  
तदनुसार 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 02.05.2017 में लिये गये उपलिखित निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक विभाग को टिप्पणी का आलेख्य पत्र दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से प्रेषित किया गया है:-
- (क) 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' हेतु प्रथम फेज में पूर्व प्रस्तावित इमरजेंसी कॉल बॉक्स की संख्या 151 के स्थान पर 76, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा 100 के स्थान पर 50 के प्राविधान को रखने तथा मेट्रोर्लॉजिकल डाटा सिस्टम, वैरियेबल मैसेज साइन, मोबाइल रेडियो कम्प्यूनिकेशन को फिलहाल न रखने हेतु।
- (ख) 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' में पूर्व में सम्मिलित ऑप्टिकल फाइबर केबिल को किसी टेलीकॉम कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थापित करने तथा यूपीडा को अलग-अलग स्थान पर बिना शुल्क के बैण्ड विड्थ उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु।
- (ग) 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' में तेज रफ्तार वाहनों की गति रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ-साथ वाहन के नम्बर प्लेट को रिकॉर्ड करने की क्षमता वाले कैमरों को प्रत्येक कैरिजवे में 10 स्थलों पर लगाने की व्यवस्था को भी प्रथम फेज में सम्मिलित करने हेतु।
- (घ) 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' में ए0टी0एम0एस0 की स्थापना हेतु एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः नये सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु।
- (च) परियोजना' में 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' की स्थापना हेतु एजेन्सी के चयन के लिये नवीन बिड प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्व में अपनायी गयी 'सिंगल स्टेज टू इनवोलप बिडिंग सिस्टम' (आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0) के आधार पर ही परियोजना परामर्शी द्वारा संशोधित बिडिंग अभिलेख तैयार करवाने हेतु।

#### 4.1.3

परियोजना की ऑक्जीलरीज सुविधाओं/परिसम्पत्तियों से मार्ग प्रशुल्क के अतिरिक्त वित्तीय स्रोत से अर्जन के सम्बन्ध में तैयार की जा रही प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट के अद्यतन स्थिति एवं इस सम्बन्ध में प्रस्तावित अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में:-

- 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' का इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन के अन्तर्गत मुख्य सुविधा (एक्सप्रेसवे) के अतिरिक्त विभिन्न गौड़ सुविधाएँ/ परिसम्पत्तियाँ का भी विकास किया जा रहा है, जिनसे मुख्य मार्ग प्रशुल्क के अतिरिक्त भी पर्याप्त वित्तीय संसाधन का अर्जन किया जा सकता है।
  - उपरोक्त सम्बन्ध में दिनांक 16.11.2016 को सम्पन्न 'कन्सलटेन्सी मानीटरिंग कमेटी' में यह निर्णय लिया गया था कि गौड़ सुविधाओं के प्रचालन एवं रखरखाव का विस्तृत अनुभव एवं विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम (उ0प्र0 शासन का एक उपक्रम) के पास है अतः ऐसी सुविधाओं को प्रचालन एवं रखरखाव आदि हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरित कर दिया जाए। उक्त निर्णय पर 'प्राधिकृत समिति' ने अपनी दिनांक 09.02.2017 को सम्पन्न बैठक में सहमति इंगित करते हुए अन्य गौड़ सुविधाओं से वित्तीय संसाधन अर्जित करने हेतु "वित्तीय मॉडल" औद्योगिक विकास अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर 2013 में निहित प्राविधान के तहत इस परियोजना के विकास परामर्शी मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0 लि0 से तैयार कराने हेतु अपनी स्वीकृति भी इंगित की थी। यथानुसार, गौड़ सुविधाओं/परिसम्पत्तियों को उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम लि0 को परिचालन एवं रख-रखाव हेतु हस्तांतरित करने हेतु एक प्रस्ताव यूपीडा के पत्रांक 2144/यूपीडा/2016/662 दिनांक 16.12.2016 द्वारा शासन को विचारार्थ एवं अप्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त के प्रत्युत्तर में उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम लि0 ने अपने पत्रांक दिनांक 24 तथा 25 अप्रैल 2017 द्वारा वे-साइड एमेनिटीज एवं पेट्रोल पम्प के संचालन एवं प्रबन्ध करने हेतु अपनी असमर्थता व्यक्त की है।  
प्रकरण पर 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 02.05.2017 में निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया था:-
- (क) राज्य को उचित वित्तीय/आर्थिक लाभ प्राप्त होने हेतु एवं परियोजना की लागत में कोई भी वृद्धि ना हो इस हेतु परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
- (ख) माह मई 2017 के अन्त तक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को भारी वाहनों के आवागमन हेतु एक सप्ताह के लिए खोल दिया जाए परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय नहीं होगा।
- (ग) परियोजना विकास परामर्शी मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0 को प्राथमिकता के आधार पर निम्न कार्य हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं से अभिरुचि प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया-
- (अ) ऑप्टिक फाईबर केबल की डक्ट डालने/बैन्ड विथ को सब-लीज करने हेतु।
- (ब) प्रस्तावित गौड़ सुविधाओं से सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी पर प्रचालन, रखरखाव एवं हस्तांतरण हेतु।
- (स) होर्डिंग हेतु स्थान को पट्टेदारी पर देने हेतु। परामर्शी ने (ब) व (स) हेतु अभिरुचि प्राप्त करने हेतु तैयार किया गया आलेख्य यूपीडा को प्रेषित कर दिया है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है।
- (घ) सचिव पेट्रोलियम भारत सरकार, से सम्बन्धित अधिकारी को यूपीडा को राज्य तेल कम्पनियों द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' पर पेट्रोल पम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के सम्बन्ध में मंत्रालय के दिशा निर्देश एवं सहायता प्रदान करने हेतु पत्रांक यूपीडा/472/214 दिनांक 26.04.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है। संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकारी ऑयल कम्पनियों को इस प्रकरण में यूपीडा को दिशा-निर्देश एवं आवश्यक सहायता हेतु निर्देशित किया है।  
उपरोक्त के क्रम में परियोजना विकास परामर्शी मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0 से स्कोप ऑफ वर्क में बदलाव किये जाने हेतु अपनी सहमति इंगित करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

#### 4.1.4 परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु हडको से ऋण के सम्बन्ध में:-

- 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' की बजट व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा यूपीडा को परियोजना हेतु बजट की व्यवस्था के अतिरिक्त संसाधन

जुटाने के निर्देशों के दृष्टिगत यूपीडा द्वारा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु पहल की गयी थी।

- उपरोक्त के क्रम में हडको के पत्र संख्या हडको/एलआरओ/एससीएच-20799/2015/334 दिनांक 01.07.2015 के माध्यम से उक्त संदर्भित परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु रुपये 1530.64 करोड़ के ऋण की स्वीकृति यूपीडा के पक्ष में प्रदान की गयी थी, जिसपर आंशिक संशोधन हडको के पत्र संख्या हडको/एलआरओ/एससीएच-20799/2016/462 दिनांक 16.02.2016 के माध्यम से किया गया था। हडको के स्वीकृति पत्र में ऋण प्राप्त करने हेतु इंगित शर्तों के आलोक में हडको द्वारा शासकीय गारण्टी दिये जाने की अपेक्षा की गयी थी।
- तदनुसार मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष दिनांक 30.03.2016 की टिप्पणी में निहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त शासन द्वारा 26.04.2016 को जारी शासनादेश संख्या 637/77-3-16-213एम/2015 के अन्तर्गत निम्नवत् निर्णय लिये गये थे:-
  - 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के वित्त पोषण हेतु यूपीडा द्वारा हडको से लिये जा रहे रुपये 1530.64 करोड़ के ऋण की अदायगी का पूर्ण दायित्व यूपीडा का होगा। इस हेतु यूपीडा द्वारा हडको के पक्ष में एस्करो खाता खोला जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्षानुवर्ष ऋण की ब्याज सहित अदायगी के लिये एस्करो खाते में यथेष्ट धनराशि उपलब्ध रहे। यूपीडा द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में काउण्टर गारण्टी निष्पादित की जायेगी। यूपीडा द्वारा राज्य सरकार को 01 प्रतिशत की दर से अवशेष गारण्टी राशि पर वर्षानुवर्ष गारण्टी डीड (फीस) का भुगतान किया जायेगा।
  - 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के आंशिक वित्त पोषण हेतु यूपीडा द्वारा हडको से रुपये 1530.64 करोड़ के ऋण प्राप्त किया जायेगा तथा इसके लिये राज्य सरकार द्वारा हडको के पक्ष में शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की जायेगी तथा इसके लिये यूपीडा द्वारा शासन के पक्ष में काउण्टर गारण्टी भी दी जायेगी।
  - उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा निष्पादित की गयी गारण्टी डीड हडको को दिनांक 12 नवम्बर 2016 को उपलब्ध करा दी गयी थी, जिसकी हडको द्वारा स्वीकार्य सूचना उनके पत्रांक हडको/एलआरओ/एससीएच-20799/2017/164 दिनांक 04.05.2017 द्वारा यूपीडा को प्रेषित की गयी है।
  - ऋण की एक शर्त के रूप में हडको द्वारा शासन से एक सहमति पत्र की अपेक्षा की गयी है, जिसके माध्यम से यूपीडा के द्वारा ऋण की किश्त या/और ऋण पर देय ब्याज की राशि के किसी भी भाग की अदायगी न कर पाने की दशा में शासन द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति किये जाने की सहमति दी जानी अपेक्षित है। इस हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही जारी है यथाशीघ्र उक्त संदर्भित ऋण यथावश्यक किश्तों में अवमुक्त कराने की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।
- 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 02.05.2017 में समिति का मत था कि यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के आंशिक वित्त पोषण हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्मित एक्सप्रेसवे पर एकत्रित होने वाले टोल एवं अन्य स्रोतों से अर्जित आय के मोनेटाइजेशन की सम्भावना भी **तलाशनी** चाहिए। इस प्रयोजन से यूपीडा को सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क कर किसी पात्र संस्था को नियुक्त कर इस दिशा में प्रयास किये जाने के निर्देश भी 'सचिव समिति' द्वारा प्रदान किये गये थे।

उपरोक्तानुसार परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के लिये कृत कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति से मा0 मंत्रिपरिषद को अवगत कराने हेतु प्रकरण टिप्पणी का आलेख्य में समाहित किया गया है।

#### 4.1.5 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 02.05.2017 में निम्न निर्णय भी लिये गये थे:-

- 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर समुचित पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने हेतु गृह विभाग से अनुरोध कर लिया जाये, ताकि एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाये कि उक्त कार्य हेतु उनके द्वारा

वांछित सुविधा एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था एवं चालान आदि की कार्यवाही सुचारु रूप से करायी जा सके।

- प्राधिकरण की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के आस-पास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनायें हैं, अतः इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं अन्य विकास हेतु यथोचित कार्यवाही की जानी चाहिए। एक्सप्रेसवे के समीप भूमि अधिग्रहित कर लैण्ड बैंक तैयार किया जाये, जिससे औद्योगिक इकाईयों की स्थापना कर क्षेत्र का विकास किया जा सके। इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिये एक्सप्रेसवे से प्रवेश की उचित व्यवस्था यूपीडा द्वारा प्रदान की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार एक्सप्रेसवे के आस-पास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।

## 4.2

### 4.2.1

### ‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना’ –

‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना’ का संरेखण ‘निविदा मूल्यांकन समिति’ की बैठक दिनांक 30.10.2015 में अनुमोदित किया गया था। पूर्व में यह परियोजना छः पैकेजों में विभाजित करते हुए जनपद लखनऊ से प्रारम्भ होकर जनपद बलिया तक प्रस्तावित की गयी थी। कालान्तर में ‘निविदा मूल्यांकन समिति’ की बैठक दिनांक 14.12.2015 में पूर्व निर्धारित छः पैकेजों के स्थान पर परियोजना को आठ पैकेजों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। तदोपरान्त ‘निविदा मूल्यांकन समिति’ की बैठक दिनांक 30.06.2016 में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि जनपद बलिया स्टेट बाउण्ड्री से 10 किमी० के अन्दर स्थित है, परियोजना के विभिन्न आठ पैकेजों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार आठ पैकेज निर्धारित किये गये थे:—

पैकेज सं०	पैकेज का नाम	लम्बाई (किमी०)
पैकेज-1	चाँद सराय (जनपद-लखनऊ) से संसारा (जनपद- बाराबंकी) (किमी. -0.456 से किमी. 40.200)	40.656
पैकेज-2	संसारा (जनपद-बाराबंकी) से जरायकला (जनपद-अमेठी) (किमी. 40.200 से किमी. 79.900)	39.700
पैकेज-3	जरायकला (जनपद-अमेठी) से सिद्धी गनेशपुर (जनपद- सुल्तानपुर) (किमी. 79.900 से किमी. 121.600)	41.700
पैकेज-4	सिद्धी गनेशपुर (जनपद-सुल्तानपुर) से संसारपुर (जनपद-सुल्तानपुर) (किमी. 121.600 से किमी. 164.300)	42.700
पैकेज-5	संसारपुर (जनपद-सुल्तानपुर) से गोविन्दपुर (जनपद- आजमगढ़) (किमी. 164.300 से किमी. 218.300)	54.000
पैकेज-6	गोविन्दपुर (जनपद-आजमगढ़) से मोजरापुर (जनपद- आजमगढ़) (किमी. 218.300 से किमी. 246.500) वाराणसी लिंक- जमालपुर मधेशिया (जनपद-आजमगढ़) से कोटिला (जनपद- आजमगढ़)	28.200 12.450
पैकेज-7	मोजरापुर (जनपद-आजमगढ़) से बिजौरा (जनपद- गाजीपुर) (किमी. 246.500 से किमी. 292.530)	46.084
पैकेज-8	बिजौरा (जनपद-गाजीपुर) से हैदरिया (जनपद-गाजीपुर) (किमी. 292.530 से किमी. 340.500)	47.970
	कुल:-	353.460

- 4.2.2 परियोजना के पैकेज-6 में एक 12.450 किमी<sup>0</sup> लम्बा वाराणसी लिंक भी सम्मिलित है जो कि जमालपुर मधेशिया (जनपद-आजमगढ़) से शुरू होकर कोटिला (जनपद-आजमगढ़) में एन0एच0-233 (लुम्बिनी-वाराणसी मार्ग) पर समाप्त हो रहा है।
- 4.2.3 परियोजना के विभिन्न पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु पूर्व में आर0एफ0क्यू0 के माध्यम से 11 निविदाकर्ताओं को शार्टलिस्ट कर द्वितीय चरण की बिडिंग हेतु आर0एफ0पी0 जारी किये गये थे, जिसके क्रम में निम्नानुसार 11 शार्टलिस्टेड बिडर्स में से 06 बिडर्स द्वारा द्वितीय चरण हेतु निविदायें प्रस्तुत की गयी थीं, शेष 05 शार्टलिस्टेड बिडर्स द्वारा टेक्नीकली क्वालिफाई करने के बाद एवं 'बिड ड्यू डेट' बढ़ाने के उपरान्त भी निविदायें प्रस्तुत नहीं की गयी थीं:-

क्र.सं.	शार्टलिस्टेड आवेदनकर्ता	पैकेज संख्या जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी
1	मे0 एफकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	I,II,III,IV,V,VI,VII एवं VIII
2	मे0 अशोका बिल्डकान लि0- मे0 जी0वी0आर0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि0 (ज्वाइंट वेंचर)	निविदा नहीं प्रस्तुत की गयी
3	मे0 अशोका बिल्डकान लि0- मे0 एफको इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 (ज्वाइंट वेंचर)	I एवं II
4	मे0 गायत्री प्रोजेक्ट्स लि0	III,V,VI,VII एवं VIII
5	मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0	I,II,III,IV,V,VI,VII एवं VIII
6	मे0 मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0	निविदा नहीं प्रस्तुत की गयी
7	मे0एन0सी0सी0 लि0	I,II, IV,V,VI,VII एवं VIII
8	मे0 ओरिएन्टल स्ट्रक्चरल इन्जीनियर्स प्रा0 लि0	निविदा नहीं प्रस्तुत की गयी
9	मे0 पीएनसी इन्फ्राटेक लि0	I, III,IV,VII एवं VIII
10	मे0 सदभाव इन्जीनियरिंग लि0	निविदा नहीं प्रस्तुत की गयी
11	मे0 सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0	निविदा नहीं प्रस्तुत की गयी

- 4.2.4 परियोजना के विभिन्न पैकेजों हेतु पूर्व में प्राप्त न्यूनतम वित्तीय निविदाओं (दो बार निगोशिएसन करने के उपरान्त) का विवरण तथा परियोजना की अनुमानित लागत एवं अनुमानित लागत पर एडवान्स पेमेन्ट पर ब्याज तथा सिविल लागत पर सूचकांकों (Indices) (WPI) के प्रभाव के उपरान्त आंकलित फैंक्टर्ड परियोजना लागत का न्यूनतम वित्तीय निविदाओं से तुलनात्मक विवरण निम्नवत् पाया गया था:-

(रूपये करोड़ में)

पैकेज संख्या	न्यूनतम निविदाकर्ता का नाम	लम्बाई (किमी०)	पूर्व अनुमानित स्वीकृत परियोजना लागत	संशोधित न्यूनतम बिड लागत (दिनांक 07.02.2017 को प्राप्त)	संशोधित न्यूनतम बिड तथा स्वीकृत अनुमानित लागत से अंतर	स्वीकृत परियोजना लागत पर आंकलित फ़ैक्टर्ड इम्पैक्ट (%)	फ़ैक्टर्ड परियोजना लागत	फ़ैक्टर्ड परियोजना लागत एवं संशोधित न्यूनतम बिड लागत में अंतर (%) अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	मे० एन०सी०सी० लि०	40.656	1884.99	2014.56	6.87%	7.07%	2018.26	-0.18%
II	मे० अशोका बिल्डकान लि०- मे० एफ़ो इन्फ़्राटेक प्रा० लि० (ज्वाइंट वेंचर)	39.700	1666.32	1784.32	7.08%	7.12%	1784.96	-0.04%
III	मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि०	41.700	1688.72	1808.00	7.06%	7.15%	1809.46	-0.08%
IV	मे० पीएनसी इन्फ़्राटेक लि०	42.700	1744.53	1865.41	6.93%	7.16%	1869.44	-0.22%
V	मे० एफ़कान्स इन्फ़्रास्ट्रक्चर लि०	54.000	1790.48	1921.20	7.30%	7.31%	1921.36	-0.01%
VI एवं वाराणसी लिंक	मे० एफ़कान्स इन्फ़्रास्ट्रक्चर लि०	40.650	1747.07	1872.00	7.15%	6.77%	1865.35	0.36%
VII	मे० गायत्री प्रोजेक्ट्स लि०	46.084	1881.97	2010.00	6.80%	7.06%	2014.84	-0.24%
VIII	मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि०	47.970	1758.08	1882.50	7.08%	7.22%	1885.01	-0.13%
	कुल	353.46	14162.16	15157.99	7.03%		15168.68	-0.07%

- 4.2.5 उपरोक्तानुसार विभिन्न पैकेजों हेतु प्राप्त संशोधित न्यूनतम वित्तीय निविदा के आधार पर न्यूनतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निर्माणकर्ताओं के चयन पर 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 07.02.2017 तथा 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 09.02.2017 में लिये गये निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर मा० मंत्रिपरिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया था, परन्तु विधान सभा चुनाव घोषित हो जाने के कारण चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उक्त प्रकरण मा० मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया था।
- 4.2.6 परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस 'स्टेट लेवल इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथारिटी', उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 380/पर्या/एसईएसी/3696/2016 दिनांक 22.03.2017 के माध्यम से प्राप्त किया जा चुका है।
- 4.2.7 विषयगत परियोजना के आठों पैकेजों के अग्रेत्तर क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 02.05.2017 में अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए प्रकरण पर विस्तृत विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये थे:-
- 4.2.7(1) 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' में मीडियन की चौड़ाई पूर्ववत् 22.50 मीटर ही रखते हुए, 'वे साइड अमेनिटीज', टायलेट ब्लॉक्स तथा सोलर फार्म के प्राविधानों को आगणन से बाहर रखा जाये एवं 'एडवांस्ड ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम' का कार्य 50 प्रतिशत कम कर आगणन में सम्मिलित किया जाये, जिससे लगभग 320 करोड़ की सिविल कार्यों की आगणित लागत में बचत होगी।
- 4.2.7(2) परियोजना में 'वे-साइड अमेनिटीज' के निर्माण, विकास, रख-रखाव तथा संचालन आदि हेतु पृथक से प्रस्ताव तैयार कर किसी पृथक एजेन्सी के चयन की कार्यवाही की जाये। परियोजना की प्रस्तावित आठों 'वे-साइड अमेनिटीज' को किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को निर्माण, विकास, रख-रखाव तथा संचालन आदि हेतु पी०पी०पी० मोड पर 30 वर्ष के कन्सेशन पीरियड पर दिया जा सकता है। उक्त निजी कंपनी द्वारा 'वे-साइड अमेनिटीज' के निर्माण, विकास, रख-रखाव तथा संचालन आदि हेतु समस्त व्यय वहन किये जायेंगे तथा प्राधिकरण द्वारा 'वे-साइड अमेनिटीज' के लिये अधिग्रहित भूमि कन्सेशन के रूप में लीज पर उपलब्ध करायी जा सकती है। 'वे-साइड अमेनिटीज' को पी०पी०पी० मोड पर किसी निजी कंपनी को देने के फलस्वरूप परियोजना निर्माण की लागत में भी बचत सम्भव हो पायेगी। 'वे-साइड अमेनिटीज' को पी०पी०पी० मोड पर किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को देने पर अतिरिक्त आय भी अर्जित होगी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि प्रथम चरण में 04 'वे-साइड अमेनिटीज' के विकास हेतु कार्यवाही की जाये।

- 4.2.7(3) परियोजना हेतु आवश्यक 'एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (एटीएमएस) के प्राविधान को वर्तमान में (प्रथम फेज) लगभग 50 प्रतिशत कम कर परियोजना के निर्माणकर्ताओं के स्कोप आफ वर्क में सम्मिलित किया जाये तथा एटीएमएस कार्य में सम्मिलित ऑप्टिकल फाइबर केबिल के कार्य हेतु पृथक से देश की प्रमुख टेलीकॉम कम्पनियों से उनके स्वयं के व्यय पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने तथा यूपीडा को अलग-अलग स्थान पर बिना शुल्क के बेंड विडथ उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें। तदनुसार एटीएमएस के प्राविधान हेतु अनुमानित लागत में से ओ0एफ0सी0 केबल हेतु प्राविधानित लागत को हटा दिया जाये।
- 4.2.7(4) 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के विभिन्न पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु बिड प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु पूर्व में पी0एफ0ए0डी0 के परीक्षणोंपरान्त अनुमोदित परियोजना लागत के आधार पर तैयार/संशोधित बिड अभिलेखों के माध्यम से दोनों चरणों की नवीन बिड प्रक्रिया संचालित की जाये तथा निर्माणकर्ताओं से वित्तीय निविदा प्राप्त करने के उपरान्त प्राप्त निविदाओं को नवीनतम SOR/दरों के अनुसार संशोधित परियोजना लागत के आधार पर आंकलित किये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया था।  
चयन की पूर्व प्रचलित बिड प्रक्रिया को निरस्त होने की सूचना सभी पूर्व चयनित निर्माणकर्ताओं को प्रेषित कर दी जाये, तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बिड सिक्वोरिटी भी वापस कर दी जाये। पूर्व बिड्स की वैलिडिटी, जो कि दिनांक 11.05.2017 को समाप्त हो रही है, को अग्रेतर बढ़वाने की आवश्यकता नहीं है।
- 4.2.7(5) चूंकि पूर्व में बिड आमंत्रित करने के समय अल्प मात्रा में भूमि क्रय हो पायी थी, अतः बिड प्रक्रिया को नवीन सिरे से प्रारम्भ कर निर्माणकर्ताओं के चयन तक समुचित मात्रा में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध होने की सम्भावना है।
- 4.2.7(6) 'सचिव समिति' की बैठक में यह मत स्थिर किया गया था कि परियोजना को अयोध्या से लिंक करने हेतु प्रस्तावित अयोध्या लिंक मार्ग जो कि मात्र 16-17 किमी0 लम्बा प्रस्तावित है एवं विषयगत परियोजना से अन्य मार्ग (सुल्तानपुर-फैजाबाद मार्ग) के माध्यम से लिंक हो रहा है तथा सीधे इस परियोजना से इसका लिंक नहीं हो रहा है, अतः उचित होगा कि आवश्यक अयोध्या लिंक मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से करवा लिया जाये। बैठक में उपस्थित मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से भी इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया था एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग की सहमति दी गयी थी। समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रस्तावित अयोध्या लिंक के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।
- 4.2.7(7) परियोजना में उचित स्थानों पर सोलर प्लांट लगवाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श करते हुए निर्दिष्ट किया गया था कि उक्त कार्य हेतु भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सम्बन्धित नीतियों के अंतर्गत परियोजना में उचित स्थानों पर सोलर प्लांट लगवाने हेतु सरकार की सम्बन्धित एजेन्सियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें, ताकि सरकार की सोलर प्लांट हेतु नीतियों के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त किये जा सकें। परियोजना में सोलर प्लांट्स को सम्मिलित कर प्लांट से उपलब्ध विद्युत ऊर्जा को एक्सप्रेसवे के लिये विद्युत आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु आंशिक रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है।
- 4.2.7(8) 'परियोजना विकास परामर्शी' मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 द्वारा आठों पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु नवीन सिरे से बिड प्रक्रिया के अन्तर्गत किये जाने वाले अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्व में निष्पादित अनुबन्ध में उल्लिखित फीस के भुगतान सम्बन्धी शर्तों में उल्लिखित स्टेज 2 एवं 3 पर देय फीस का 10 प्रतिशत अतिरिक्त फीस के रूप में भुगतान किये जाने पर सचिव समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी।
- 4.2.7(9) 'सचिव समिति' द्वारा संज्ञान में लिया गया था कि परियोजना हेतु भूमि क्रय की मद में वर्ष 2016-17 में रुपये 3950.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रुपये 3727.38 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। भूमि क्रय हेतु जनपदों के पास 31.03.2017 को लगभग रुपये 1397.16 करोड़ की शेष धनराशि उपलब्ध है। परियोजना हेतु समस्त भूमि के लिये लगभग रुपये 7085.28 करोड़ का आंकलन किया गया है। उक्त के दृष्टिगत वर्ष 2017-18 में ही रुपये 3357.90



करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। समिति द्वारा निर्देश दिये गये थे कि 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु समस्त आवश्यक भूमि का क्रय/अधिग्रहण/ पुनर्ग्रहण की कार्यवाही तीव्र गति से सम्पन्न करायी जाये तथा इस मद में वर्ष 2017-18 के लिये आवश्यक शेष धनराशि उपलब्ध कराने हेतु शासन से अनुरोध कर लिया जाये।

- 4.2.7(10) 'सचिव समिति' का मत था कि यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के आंशिक वित्त पोषण हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्मित एक्सप्रेसवे पर एकत्रित होने वाले टोल एवं अन्य स्रोतों से अर्जित आय के मोनेटाइजेशन की सम्भावना भी तलाशनी चाहिए। इस प्रयोजन से यूपीडा को सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क कर किसी पात्र संस्था को नियुक्त कर इस दिशा में प्रयास किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।
- 4.2.7(11) 'सचिव समिति' द्वारा 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु एन0एच0ए0आई0 की भांति ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे।
- 4.2.8 विषयगत परियोजना के आठों पैकेजों के अग्रेत्तर क्रियान्वयन हेतु 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 02.05.2017 में लिये गये उपलिखित निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक विभाग को टिप्पणी का आलेख्य यूपीडा के पत्र दिनांक 09.05.2017 के माध्यम से प्रेषित किया गया है:-
- 4.2.8(1) विषयगत परियोजना का नाम 'समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' से परिवर्तित कर 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' किये जाने हेतु।
- 4.2.8(2) परियोजना के आठों पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु पूर्व में प्रचलित बिड प्रक्रिया को निरस्त कर पूर्व में प्राप्त बिड्स की वैलिडिटी दिनांक 11.05.2017 को अग्रेत्तर न बढ़वाते हुए निरस्तीकरण की सूचना निविदा प्रस्तुत करने वाले सभी निविदाकर्ताओं को प्रेषित करने व उनके द्वारा प्रस्तुत बिड सिक्योरिटी को वापस करने हेतु।
- 4.2.8(3)(क) परियोजना की रूप-रेखा यथा परियोजना के विभिन्न आठों पैकेजों का पूर्ववत स्वरूप, संरेखण, लम्बाई आदि तथा मीडियन की चौड़ाई 22.50 मीटर रखने हेतु।
- 4.2.8(3)(ख) परियोजना की प्रस्तावित 'वे साइड अमेनिटीज', टायलेट ब्लॉक्स व सोलर फार्म के प्राविधानों को परियोजना की निर्माण लागत के आगणन एवं निर्माणकर्ताओं के 'स्कोप आफ वर्क' से बाहर रखने तथा 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम' का कार्य 50 प्रतिशत कम करके (ओ0एफ0सी0 केबल हेतु प्राविधानित लागत को हटाते हुए) आगणन एवं निर्माणकर्ताओं के स्कोप आफ वर्क में सम्मिलित करने हेतु।
- 4.2.8(3)(ग) एटीएमएस कार्य में सम्मिलित ऑप्टिकल फाइबर केबिल के कार्य हेतु पृथक से देश की प्रमुख टेलीकॉम कम्पनियों से उनके स्वयं के व्यय पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने तथा यूपीडा को अलग-अलग स्थान पर बिना शुल्क के बैण्ड विडथ उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु।
- 4.2.8(4) परियोजना की प्रस्तावित 08 'वे-साइड अमेनिटीज' एवं टायलेट ब्लॉक्स में से प्रथम चरण में 04 'वे-साइड अमेनिटीज' एवं 12 टायलेट ब्लॉक्स के विकास, निर्माण, रख-रखाव तथा संचालन आदि हेतु किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को पी0पी0पी0 मोड पर 30 वर्ष के कन्सेशन पीरियड पर चयनित करने हेतु। 'वे-साइड अमेनिटीज' को पी0पी0पी0 मोड के आधार पर निजी कंपनी द्वारा निर्माण, विकास, रख-रखाव तथा संचालन आदि हेतु समस्त व्यय वहन करने तथा प्राधिकरण द्वारा 'वे-साइड अमेनिटीज' के लिये अधिग्रहित भूमि कन्सेशन के रूप में लीज पर उपलब्ध कराने हेतु।
- 4.2.8(5) 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के विभिन्न पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु बिड प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने हेतु पूर्व में पी0एफ0ए0डी0 के परीक्षणोंपरान्त अनुमोदित परियोजना लागत में परियोजना सम्बन्धित उपलिखित संशोधनों के अनुसार आगणित संशोधित परियोजना लागत के आधार पर संशोधित बिड अभिलेखों के माध्यम से दोनों चरणों की नवीन बिड प्रक्रिया संचालित करने तथा निर्माणकर्ताओं से वित्तीय निविदा प्राप्त करने के उपरान्त प्राप्त निविदाओं को नवीनतम SOR/दरों के अनुसार संशोधित परियोजना लागत के आधार पर मूल्यांकन किये जाने हेतु।

- 4.2.8(6) परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के क्रय/अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करते हुए बिड प्रक्रिया की नवीन प्रक्रिया के माध्यम से निर्माणकर्ताओं को नियुक्त कर ससमय समुचित मात्रा में परियोजना के पक्ष में भूमि उपलब्ध कराने हेतु।
- 4.2.8(7) 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' को अयोध्या से लिंक करने के लिये आवश्यक 'अयोध्या लिंक मार्ग' का निर्माण से सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा करने हेतु।
- 4.2.8(8) परियोजना में उचित स्थानों पर सोलर प्लांट लगवाने के लिये भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सोलर प्लांट की नीतियों के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को प्राप्त करने के दृष्टिगत सरकार की सम्बन्धित एजेन्सियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु।
- 4.2.8(9) 'परियोजना विकास परामर्शी' मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 द्वारा आठों पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु नवीन सिरे से बिड प्रक्रिया के अन्तर्गत किये जाने वाले अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्व में निष्पादित अनुबन्ध में उल्लिखित फीस के भुगतान सम्बन्धी शर्तों में उल्लिखित स्टेज 2 एवं 3 पर देय फीस का 10 प्रतिशत अतिरिक्त फीस के रूप में भुगतान किये जाने हेतु।
- 4.2.8(10) 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु एन0एच0ए0आई0 की भांति ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्माणकर्ताओं के चयन के लिये निविदा आमंत्रित करने हेतु आर0एफ0क्यू0 तथा आर0एफ0पी0 के पूर्व में निर्धारित प्राविधानों को यथावत् रखने हेतु।
- 4.2.9 वर्ष 2017-18 में 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' की आवश्यक शेष भूमि की अध्याप्ति हेतु अतिरिक्त रुपये 3357.90 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया है।
- 4.2.10 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने हेतु आवश्यक सामग्री यथा मिट्टी, बालू, मौरंग एवं गिट्टी आदि की आपूर्ति हेतु जिलाधिकारियों से टेण्डरिंग के आधार पर परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा माईनिंग राइट्स लिये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया है।
- 4.2.11 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' की रूप-रेखा में उपरोक्त वर्णित संशोधनों (यथा 'वे साइड अमेनिटीज़, टायलेट ब्लॉक्स, सोलर फार्मस् को परियोजना से अलग करने एवं एटीएमएस के 50 प्रतिशत प्राविधान को प्रथम फेस में सम्मिलित करने के फलस्वरूप) को पूर्व में पी0एफ0ए0डी0 के परीक्षणोंपरान्त अनुमोदित परियोजना लागत में समाहित करते हुए संशोधित परियोजना लागत निम्नवत् आगणित की गयी है:-

(रुपये करोड़ में)

i	परियोजना के आठों पैकेजों के सिविल कार्यों की कुल अनुमानित लागत (1 प्रतिशत लेबर सेस सहित एवं ए0टी0एम0एस0 के कार्य छोड़कर )	-	13913.71
ii	ए0टी0एम0एस0 (प्रथम फेस) के कार्य की लागत 1 प्रतिशत लेबर सेस सहित	-	69.86
		<b>योग</b>	<b>13983.57</b>
iii	कन्टेन्जंसी @ 2.0%	-	279.67
		<b>कुल</b>	<b>14263.24</b>
iv	एजेन्सी चार्जेज @ 2.5%	-	356.58
v	क्वालिटी कन्ट्रोल चार्जेज @ 0.25%	-	35.66
vi	रोड सेफ्टी आडिट चार्जेज @ 0.25%	-	35.66

vii	सुपरविजन @ 2.5%	—	356.58
viii	मेन्टीनेन्स कास्ट 5 वर्ष @ 7%	—	998.43
ix	अनुमानित प्रथम वर्ष एडजेस्टमेंट	—	0.00
x	अनुमानित द्वितीय वर्ष एडजेस्टमेंट @ 7.5% X 40%	—	427.90
xi	अनुमानित तृतीय वर्ष एडजेस्टमेंट @ 12.5% X 40%	—	713.16
कुल अनुमानित परियोजना लागत		—	<b>17187.21</b>
xii	अनुमानित यूटिलिटी शिपिंग	—	350.00
xiii	कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत यूटिलिटी शिपिंग सहित	—	<b>17537.21</b>
xiv	परियोजना हेतु भूमि की अनुमानित लागत	—	7085.28
xv	ई.आई.ए. क्लीयरेंस (नॉन सिविल कॉस्ट)		4.52
कुल अनुमानित परियोजना लागत यूटिलिटी शिपिंग, ई.आई.ए. क्लीयरेंस तथा भूमि लागत सहित		—	<b>24627.01</b>

उपरोक्तानुसार 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' की रूप-रेखा में निर्धारित संशोधनों के फलस्वरूप परियोजना के आठों पैकेजों की उपरोक्तानुसार आगणित परियोजना निर्माण लागत रुपये 13983.57 करोड़ एवं सम्पूर्ण परियोजना की कुल अनुमानित लागत यूटिलिटी शिपिंग, ई.आई.ए. क्लीयरेंस तथा भूमि लागत सहित रुपये 24627.01 करोड़ पर माननीय मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया है।

#### 4.3

यूपीडा को शासन द्वारा अधिकृत अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं यथा ग्रेटर नोएडा से बलिया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे), गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिन्दन नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड-उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक, आगरा से कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना, झाँसी - कानपुर- लखनऊ - गोरखपुर - कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना, लखनऊ- बाराबंकी- नानपारा लिंक , बिजनौर- मुरादाबाद- फतेहगढ़, नरौरा से गंगा नदी के बायें तट पर उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा से 10 किमी0 पूर्व तक, अपर गंगा कैनल के दांये तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से उ0 प्र0 - उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08-लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना, अपर गंगा कैनल के दाँये तट पर स्थित सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से कानपुर -फतेहपुर एक्सप्रेसवे परियोजना एवं अन्य मार्गों, की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया।

**कार्यवाही/निर्णय:**—उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा सभी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही यूपीडा द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए संतुष्टि व्यक्त की गई।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:— आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में वन एवं पर्यावरण सम्बन्धि स्वीकृति।**

5.1

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SLEIAA) के द्वारा दिनांक 03.11.2014 को तथा भारत सरकार के पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन क्लीरेन्स की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 12.02.2016 तथा अन्तिम स्वीकृति दिनांक

16.01.2017 को प्रदान की गई है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ एवेन्यू तथा मीडियन वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण क्लीरेन्स राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SLEIAA) द्वारा दिनांक 22.03.2017 को प्रदान किया गया है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी जनपद में वनभूमि का संयुक्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। सुल्तानपुर जनपद में वनभूमि का संयुक्त सर्वेक्षण कार्य यूपीडा के कन्सलटेंट द्वारा राजस्व एवं वन विभाग के साथ किया जा रहा है। अभी तक गाजीपुर, मऊ एवं आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारियों के द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध फारेस्ट रेगुलेशन एक्ट 2006 (FRA) प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।

**कार्यवाही/निर्णय:**—परियोजना निदेशक वन द्वारा आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना में पर्यावरण क्लीरेन्स एवं इस सम्बन्ध में प्रचलित कार्यवाही से अवगत कराया गया, एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में फारेस्ट रेगुलेशन एक्ट 2006 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया की गाजीपुर मऊ एवं आजमगढ़ के जिलाधिकारी द्वारा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है, एवं अन्य जनपदों में संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य प्रगति पर है। निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त से अवगत होते हुए संतुष्टि व्यक्त की गई।

### एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6:-

**‘आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना’ तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

- I. ‘आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना’ का संरेखण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है।
- II. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का संरेखण प्रदेश के 09 जनपदों यथा लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर से होकर जा रहा है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 द्वारा प्रचलित सर्किल दर के चार गुना के बराबर दर पर भूमि क्रय किये जाने की संस्तुति प्राप्त होने पर अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया है। तदनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2015 को निम्नवत अनुमोदन प्रदान किये गये हैं-

उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। बोर्ड की बैठक दिनांक 23.05.2016 के पश्चात् अतिरिक्त भूमि क्रय करने, दर अनुमोदन व अन्य प्रकरण मा0 बोर्ड के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है-

### **I. आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना**

#### **1. अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में**

#### **जनपद—आगरा**

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	धारा-4 के अन्तर्गत पूर्व में लिया गया कुल रकबा (हे0) में	अतिरिक्त भूमि	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	भलोखरा	245	1.5322	0.1588	04.07.2016	

2		249	0.5200	0.0618		
			योग	0.2206		
3	नगरचन्द	379	1.6962	0.2140	19.09.2016	टोल प्लाजा हेतु कार्योत्तर अनुमोदन
			योग	0.2140		
			कुल योग	0.4346		

### जनपद—फिरोजाबाद

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	धारा-4 /पूर्व में ली गयी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र (हे०) में	अतिरिक्त भूमि	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	बछेला-बछेली/ शिकोहाबाद	203	0.0910	0.0282	21.06.2016	
2		204	0.1340	0.1188		
3		205	0.2350	0.1603		
4		206	0.4750	0.1723		
5		207	0.1870	0.6048		
6		193	0.8500	0.4399		
7		183	0.1520	0.0593		
8		181	0.2340	0.0272		
9		179	0.7350	0.1736		
10		180	0.2050	0.3340		
11		176	0.0255	0.2255		
12		175	0.2560	0.0257		
13		174	0.1820	0.0614		
14		227	1.1550	0.2245		
15		239	0.4045	0.1221		
16		243	0.1147	0.2127		

17		244	-	0.1035		
18		245	-	0.0720		
19		234	0.1310	0.0270		
			<b>योग</b>	<b>3.1928</b>		
20	गुढ़ा / सिरसागंज	171	0.1500	0.0180	21.06.2016	
21		172	0.1200	0.0010		
22		459	0.4260	0.0090		
23		461	0.0850	0.0188		
24		462	0.0280	0.0090		
25		464	0.1270	0.0300		
26		476	0.0660	0.0200		
27		536	0.1000	0.0087		
			<b>योग</b>	<b>0.1145</b>		
28	सुजनीपुर / सिरसागंज	3	0.0353	0.0256	25.07.2016	
			0.0044			
29		5	0.0809	0.0314		
			0.0186			
30		6	1.2645	0.0256		
			0.0094			
31		11	0.4820	0.0080		
			0.0020			
32		46	0.0480	0.0383		
			0.0267			
33		47	0.0098	0.0103		
			0.0447			
34		49	1.7876	0.0481		
			0.0621			
			<b>योग</b>	<b>0.1873</b>		

35	भदान/सिरसागंज	621	2.4500	0.3000	<b>23.08.2016</b>	
36		639	1.9564	0.0872		
37		757	0.0302	0.0226		
38		756	0.0934	0.0228		
39		754	0.5500	0.0086		
40		755	0.4050	0.0200		
41		749	0.0783	0.0367		
42		730	0.1043	0.0683		
43		729	0.0150	0.0101		
44		718	0.2292	0.0300		
45		721	-	0.0122		
46		719	0.1055	0.0346		
47		820	0.2966	0.0250		
48		821	0.1071	0.0193		
49		822	0.0200	0.0100		
50		1556	-	0.0125		
51		1555	0.0560	0.0935		
52		1552	0.2200	0.0230		
53		1549	-	0.0170		
54		1547	0.0050	0.0099		
55		1531	0.4432	0.0731		
56		1530	0.6932	0.0141		
57		1431	1.9092	0.0240		
58		1430	0.2800	0.0293		
59		1526	0.2470	0.0098		
60		1527	0.2880	0.0136		
61		1529	0.4000	0.0360		
			0.0114			

62		975	0.2385	0.0904		
			0.0615			
63		988	0.1103	0.2017		
			0.0897			
64		977	0.0500	0.0324		
65		979	0.1178	0.0562		
66		982	1.5264	0.3221		
67		1427	1.1696	0.0705		
68		1439	0.9393	0.1634		
69		1440	0.5697	0.1099		
70		697	0.1546	0.0284		
			<b>योग</b>	<b>2.1382</b>		
71		1550	0.3645	0.1385	10.01.2017	
72		730	<b>0.1043</b>	0.3024		
			0.0683			
73		755	<b>0.4050</b>	0.0800		
			0.0200			
			<b>योग</b>	<b>0.5209</b>		
74	सेमरा अतिकाबाद/ सिरसागंज	280	1.7113	0.0171	10.01.17	
75		283	0.2372	0.1184		
76		284	1.6460	0.0586		
			<b>योग</b>	<b>0.1941</b>		
77	कठफोरी/सिरसागंज	158	0.2260	0.0420	10.01.17	
			<b>योग</b>	<b>0.0420</b>		
78	बछेला-बछेली/सिरसागंज	178	0.0660	0.1403	20.02.17	
79		240	0.3502	0.1213		
			<b>योग</b>	<b>0.2616</b>		
80	आलीपुर/सिरसागंज	195	0.0492	0.0198	04.05.17	



81		363	-	0.0400		
			<b>योग</b>	<b>0.0598</b>		
			<b>कुल योग</b>	<b>6.1903</b>		

### जनपद-मैनपुरी

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	धारा-4 /पूर्व में ली गयी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र (हे०) में	अतिरिक्त भूमि	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	एमा न0मीर मोहाल अव्वल/करहल	107	0.134	0.007	07.06.2016	
2		95	0.843	0.059		
3		99	0.399	0.069		
4		83	0.326	0.096		
			<b>योग</b>	<b>0.231</b>		
5	मनौना/करहल	832	0.0590	0.0720	07.06.2016	
6		787	0.2980	0.0552		
7		785	0.2430	0.0598		
8		728	-	0.0770		
9		737	0.2080	0.0980		
10		736	0.2410	0.0410		
11		735	0.1950	0.0650		
			<b>योग</b>	<b>0.4680</b>		
12	गम्भीरा/करहल	448	0.0064	0.0826	21.06.2016	
13		103	0.7187	0.1395		
14		66	0.3994	0.0082		
15		67	0.2300	0.0520		
16		465	0.0443	0.0817		

17		468	0.0080	0.0300		
18		473	0.0450	0.0098		
19		444	0.7030	0.0100		
			<b>योग</b>	<b>0.4138</b>		
20	पशुपुर/करहल	148	0.1783	0.0527		
			<b>योग</b>	<b>0.0527</b>		
21	कुम्हेरी/	363	0.0360	0.0103	16.11.2016	
22		369	0.4850	0.0290		
23		268	0.6960	0.0735		
24		266	0.1500	0.0293		
25		77	0.0600	0.0200		
26		78	0.5170	0.1205		
27		80	0.8850	0.0953		
28		82	0.0180	0.0715		
29		83	0.1350	0.0490		
30		202	0.3430	0.0007		
31		201	1.3380	0.0131		
32		200	0.0980	0.0047		
33		186	0.3870	0.0294		
34		189	0.9050	0.0126		
35		188	0.9000	0.0020		
36		671	0.0010	0.0084		
			0.0354			
37		683	0.4080	0.0172		
			0.2040			
38		685	0.3690	0.0384		
			0.1400			

39		686	0.000	0.0298		
			0.0154			
			<b>योग</b>	<b>0.6547</b>		
40	गोटपुर/करहल	111	0.0850	0.0239	10.01.2017	
41		112	0.4270	0.0985		
42		114	0.0960	0.0515		
43		119	0.9390	0.1134		
44		137	0.4000	0.0105		
45		138	0.1510	0.0246		
46		148	0.3200	0.0456		
47		154	0.3020	0.0566		
48		179	0.9150	0.0102		
			0.0400			
49		553	0.0150	0.0007		
50		554	-	0.0245		
51		564	0.4850	0.0486		
52		565	0.0510	0.0874		
53		571	0.4000	0.0767		
54		574	0.4800	0.1554		
55		575	0.3000	0.0438		
56		647	0.0100	0.0042		
57		648	0.0490	0.0052		
58		663	0.5850	0.0322		
59		153	0.0320	0.0515		
			<b>योग</b>	<b>0.965</b>		
60	लहतोई शाहजहांपुर/करहल	355	0.1850	0.007	08.02.2017	
61		501	0.4370	0.0439		

62		499	0.3620	0.0297		
63		356	0.0910	0.0400		
64		485	0.2150	0.0950		
			<b>योग</b>	<b>0.2156</b>		
			<b>कुल योग</b>	<b>3.0008</b>		

### जनपद—इटावा

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	धारा-4 /पूर्व में ली गयी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र (हे0) में	अतिरिक्त भूमि	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	लाडमपुर/सैफई	109	0.3884	0.0446	07.06.2016	
2		111	0.1982	0.0594		
3		113	0.3146	0.0510		
4		114	0.3150	0.0562		
5		115	0.3609	0.0713		
6		151	-	0.0040		
7		152	0.3323	0.0666		
8		153	1.3060	0.2154		
9		156	0.0462	0.0423		
10		46	0.4037	0.1028		
11		48	0.7723	0.1510		
12		49	0.1648	0.0252		
13		52	0.0040	0.0387		
14		50	0.6960	0.0075		
15		51	0.0121	0.0188		
16		54	0.3030	0.0238		
17		60	0.0523	0.0108		
18		67/340	0.0417	0.0915		
19		185	0.0096	0.0421		

			<b>योग</b>	<b>1.123</b>		
20	ईश्वरपुर/इटावा	261	0.0823	0.0034	23.06.2016	
21		762	0.0622	0.0477		
22		772	0.0083	0.0258		
23		773	0.0036	0.0065		
24		774	0.0727	0.0155		
25		775	0.0176	0.0113		
26		778	0.1067	0.0040		
			<b>योग</b>	<b>0.1142</b>		
27	उनवा संतोषपुर/इटावा	3199	0.2786	0.0164	23.06.2016	
			<b>योग</b>	<b>0.0164</b>		
28	केशवपुर बेनी/सैफई	83	0.4364	0.0845	04.07.2016	
29		82	0.0526	0.0445		
30		102	-	0.0045		
31		71	0.2183	0.0112		
32		70	0.1712	0.0362		
33		69	0.1832	0.0942		
34		67	0.2392	0.4454		
35		57	1.6209	0.1035		
36		189	0.5070	0.2806		
37		190	0.0639	0.2299		
38		191	-	0.0103		
39		14	0.8975	0.2850		
40		26	0.0523	0.0334		
41		27	-	0.0031		
42		08	0.3653	0.1522		
43		61	0.2233	0.0120		

44		60	0.1561	0.0092		
45		59	0.2815	0.0058		
46		10	0.7270	0.0055		
			<b>योग</b>	<b>1.8510</b>		
47	शिवपुरी टिमरुआ/सैफई	1808	0.4143	0.0405	04.07.2016	
48		1809	0.2205	0.0342		
49		1810	0.1898	0.0119		
50		1767	0.5739	0.1201		
51		1251	-	0.0023		
52		1218	-	0.0128		
			<b>योग</b>	<b>0.2218</b>		
53	बनीहरदू	421/1	0.2937	0.19013	10.08.2016	
54		416मि.	0.6902	0.01810		
55		425	-	0.06200		
			<b>योग</b>	<b>0.27023</b>		
56	कुदरैल	5005	0.002	0.03200	10.08.2016	
57		2210	0.117	0.02900		
58		2211	0.121	0.09700		
59		2173	0.135	0.00700		
			<b>योग</b>	<b>0.16500</b>		
60	कुरखा	53	0.1728	0.040	10.08.2016	
61		54	0.3600	0.0080		
62		57	0.0400	0.0400		
63		52	0.0450	0.0400		
			<b>योग</b>	<b>0.1280</b>		
64	दींग	538	0.457	0.05530	10.08.2016	
65		537	-	0.04500		

66		872	0.6191	0.20200		
			योग	<b>0.30230</b>		
67	नगला मेहरा	2	-	0.42700	10.08.2016	
			योग	<b>0.42700</b>		
68	खरगपुर सरैया	140	-	0.00800	10.08.2016	
69		148	0.2500	0.01100		
			योग	<b>0.01900</b>		
70	अधीनी	32	0.3849	0.02510	10.08.2016	
			योग	<b>0.02510</b>		
71	बनीहरदू	421		0.17452	31.08.2016	
			योग	<b>0.17452</b>		
72	मूंज/इटावा	138	0.5777	0.2125	07.10.2016	
73		137	0.7185	0.2664		
74		136		0.0055		
75		119		0.7100		
76		114	0.7052	0.1686		
77		219		0.0955		
78		220		0.3542		
79		226	0.1216	0.1535		
80		225		0.0360		
81		222	0.4140	0.0024		
82		148	0.0008	0.2513		
83		147		0.3539		
84		144	1.0212	0.1678		
85		145	0.7830	0.0710		
86		196	0.0180	0.0728		
87		197	0.2200	0.1068		
88		140		0.0033		

89		224		0.0200		
90		394	0.3985	0.0340		
91		395	0.0273	0.0129		
92		396	0.0084	0.0066		
93		397	0.2140	0.0130		
94		398	0.1653	0.0420		
95		399	0.000	0.0004		
			<b>योग</b>	<b>3.1604</b>		
96	भोजपुर रामायन /इटावा	479	0.0297	0.0646		
97		478	-	0.2498		
98		467	-	0.0011		
			<b>योग</b>	<b>0.3155</b>		
99	अगूपुर गोपालपुर/इटावा	299	0.2558	0.0164		
100		300	0.1485	0.0510		
101		308	0.6613	0.1257		
102		310	-	0.0808		
103		367	-	0.0012		
104		368	-	0.0735		
105		369	-	0.0764		
106		380	0.0680	0.0168		
107		379	-	0.0364		
108		378	-	0.0442		
109		377	-	0.0305		
110		383	0.0130	0.0689		
111		356	-	0.1790		
112		448	-	0.0844		
113		449	0.2131	0.1736		



114		452	0.1861	0.0165		
115		445	0.4401	0.0499		
116		441	0.3867	0.0105		
117		461	0.0610	0.1270		
118		459	0.1361	0.0139		
119		718	0.5738	0.0290		
			<b>योग</b>	<b>1.3056</b>	26.12.2016	
120	न0मैरहा	69	0.3560	0.1900		
121		70	-	0.0120		
122		71	0.0092	0.0148		
			<b>योग</b>	<b>0.2168</b>		
123	दींग	872	0.7238	0.2019	26.12.2016	
124		537	-	0.0610		
			<b>योग</b>	<b>0.2629</b>		
125	कुदरैल	1644	0.235	0.069	26.12.2016	
126		1646	-	0.162		
127		2213	0.0770	0.061		
128		2251	0.5340	0.162		
129		5105	0.2350	0.162		
			<b>योग</b>	<b>0.616</b>		
130	टकपुरा	4	0.3898	0.0232	26.12.2016	
			<b>योग</b>	<b>0.0232</b>		
131	बनी हरदू	417	0.1421	0.0189		
132		713/4	0.31889	0.07811		
133		714/2	0.66048	0.05252		
134		715	-	0.113		
135		722	0.627	0.081		
136		725	0.0864	0.1246		

137		729/2	0.01474	0.04426		
138		861/1	0.45874	0.238		
			योग	0.75039		
			कुल योग	11.4883		

### जनपद-औरैया

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	धारा-4 /पूर्व में ली गयी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र (हे0) में	अतिरिक्त भूमि	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	हरनागरपुर/विधूना	424	0.374	0.090	26.12.2016	
			योग	0.090		

### जनपद-कन्नौज

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	पूर्व में धारा-4 में अधिसूचित क्षेत्रफल	अतिरिक्त क्षेत्रफल	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4		6	7
1.	नगला विशुना	50	0.5499	0.04	08.06.2016	
2.		53क	0.0942	0.028	14.12.2016	
3.		38अ	0.4275	0.04	14.12.2016	
4.		105मि	-	0.054	14.12.2016	
5.		19	0.2032	0.097	29.07.2016	
6.		14	-	0.06	29.07.2016	
7.		18	0.3922	0.048	29.07.2016	
8.		10	0.2791	0.068	29.07.2016	
		योग		0.4350		
9.	बहादुरपुर मझिगवा	2019	0.14	0.061	08.06.2016	
10.		2020	0.064	0.04	08.06.2016	
11.		3043	-	0.061	08.06.2016	
12.		3044	0.297	0.081	08.06.2016	
13.		3051	0.247	0.243	08.06.2016	

14.		2571	0.517	0.061	08.06.2016	
15.		2508	0.018	0.081	08.06.2016	
16.		2473	0.807	0.016	08.06.2016	
17.		2483	0.356	0.057	08.06.2016	
18.		3030	0.292	0.06	08.06.2016	
19.		2943	0.053	0.044	08.06.2016	
20.		2954	0.175	0.12	08.06.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.9250</b>		
21.	बहादुरपुर मझिगवां	1374	0.092	0.029	14.12.2016	
22.		1719	0.396	0.026	14.12.2016	
23.		1379	0.101	0.044	14.12.2016	
24.		1380	0.012	0.02	14.12.2016	
25.		1728	0.152	0.02	14.12.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.1390</b>		
26.	मुसाफिरपुर	395 मि०	-	0.014	08.06.2016	
27.	सलेमपुर रैपालपुर	370	0.101	0.112	08.06.2016	
28.		372	0.121	0.04	08.06.2016	
29.		364	0.404	0.01	08.06.2016	
30.		1681	0.26	0.045	08.06.2016	
31.		1705	0.817	0.214	08.06.2016	
32.		1733	0.676	0.081	08.06.2016	
33.		1734	0.4	0.122	08.06.2016	
34.		1670	0.809	0.029	29.07.2016	
35.		367	0.202	0.06	29.07.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.7130</b>		
36.	देवपुर	185/2	-	0.061	08.06.2016	
37.	रजुओं	7	0.615	0.061	08.06.2016	
38.		8	0.446	0.089	08.06.2016	
39.		9	0.157	0.081	08.06.2016	

40.		49	0.672	0.02	08.06.2016	
41.		50	0.304	0.036	08.06.2016	
42.		55	0.332	0.032	08.06.2016	
43.		57	0.048	0.061	08.06.2016	
44.		9मि.	0.157	0.081	14.12.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.4610</b>		
45.	तालग्राम देहात	114	0.6159	0.0521	08.06.2016	
46.		160	0.0142	0.029	08.06.2016	
47.		158	0.013	0.047	08.06.2016	
48.		2894	-	0.0192	14.12.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.1473</b>		
49.	हुसेपुर	336	-	0.012	29.07.2016	
50.	विरोली	1313	0.4076	0.0554	29.07.2016	
51.		1313मि.	0.4076	0.0627	14.12.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.1181</b>		
52.	बहसुइया	388	0.3400	0.1210	29.07.2016	
53.		73	0.0040	0.0060	29.07.2016	
54.		74	0.5750	0.0240	29.07.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.1510</b>		
55.	भुन्ना	147	0.1807	0.0863	29.07.2016	
56.		166	-	0.0690	29.07.2016	
57.		244	0.6090	0.0600	29.07.2016	
58.		334	-	0.0080	29.07.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.2233</b>		
59.	बेहटाखास	1013	-	0.061	14.12.2016	
60.		1012	-	0.028	14.12.2016	
61.		1024	-	0.024	14.12.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.113</b>		
62.	बझेडी	9मि.	0.417	0.081	14.12.2016	

63.	अमोलर	2688	0.133	0.033	14.12.2016	
64.	मुण्डाला	604	0.0031	0.0574	14.12.2016	
65.		607	0.0139	0.014	14.12.2016	
66.		582	0.7313	0.018	14.12.2016	
67.		600	0.0449	0.029	14.12.2016	
68.		579	0.0149	0.0162	14.12.2016	
69.		640	0.2861	0.0354	14.12.2016	
70.		590	0.02	0.0423	14.12.2016	
71.		605	0.0431	0.0259	14.12.2016	
		<b>योग</b>		<b>0.2382</b>		
72.	गोवा	547मि.	1.2140	0.1150	27.02.2017	
		<b>कुल योग</b>		<b>3.9799</b>		

### जनपद—कानपुर नगर

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	धारा-4 /पूर्व में ली गयी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र (हे०) में	अतिरिक्त भूमि	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	बरण्डा/बिल्हौर	1229	1.5818	0.0523	04.07.2016	
2		1220	-	0.0050		
3		1254	1.056	0.1300		
4		1251	0.0073	0.0020		
5		1252	0.2501	0.0510		
6		1250	1.0559	0.0400		
7		1332	0.0114	0.0030		
8		1333	0.3681	0.0070		
9		1215	1.3508	0.0980	03.11.2016	
10		789	0.2642	0.0551		
11		1351	-	0.0060		

12		1221	0.1594	0.0350		
13		1217	0.0141	0.0200		
14		830	0.1697	0.0043		
15		832	0.2719	0.0495		
16		833	0.1467	0.0410		
17		834	0.0224	0.0015		
18		826	0.122	0.0410		
19		1359	0.1052	0.0728		
20		1361/3	0.8749	0.0210		
			<b>कुल योग</b>	<b>0.7355</b>		

जनपद-उन्नाव

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	धारा-4 /पूर्व में ली गयी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र (हे0) में	अतिरिक्त भूमि	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मिर्जापुर अजिगवां	135	0.1000	0.0921	07.09.2016	
			0.2200			
2		204	0.1600	0.5520		
			<b>योग</b>	<b>0.6441</b>		
3	नेवाबाद ग्रन्ट	50	-	0.0920		
4		284	0.1290	0.0640	10.11.2016	
			<b>योग</b>	<b>0.1560</b>		
5	ढोलावा	232	0.2213	0.0107	07.09.2016	
6		233	0.1190	0.0112		
			<b>योग</b>	<b>0.0219</b>		
7	शादीपुर	569	0.0160	0.0160		
8		570	0.0617	0.0640		
9		573	0.0173	0.0160		

10		574	0.0690	0.0180		
11		575	0.3350	0.0090		
12		2387	-	0.0090		
13		2390	0.0864	0.0280		
14		2392	0.2347	0.0620		
15		2394	0.1330	0.0800		
16		2403	0.0273	0.0090		
17		2404	-	0.0060		
18		2405	-	0.0320		
19		3047	0.9551	0.1900		
			<b>योग</b>	<b>0.539</b>		
20	शाहपुर तोन्दा	1541	0.1116	0.0144		
			<b>योग</b>	<b>0.0144</b>		
21	खम्भौली	698	0.6848	0.1452	10.11.2016	
			<b>योग</b>	<b>0.1452</b>		
22	मैनी	214	0.3725	0.0781	06.05.2017	
23		63	0.0714	0.0186		
24		167	0.1927	0.0233		
			<b>योग</b>	<b>0.1200</b>		
25	सहदोई	456	0.6233	0.041	06.05.2017	
26		343	-	0.025		
27		131	-	0.008		
			<b>योग</b>	<b>0.074</b>		
28	गढ़ा	299	0.4871	0.2094		
29			<b>योग</b>	<b>0.2094</b>	06.05.2017	
30	जोगीकोट	735	0.6335	0.1010	06.05.2017	
			<b>योग</b>	<b>0.1010</b>		
31	ताला सराय	503	-	0.0450		

			योग	0.0450		
32	नसीरपुर भीखन	672	0.0180	0.0180	06.05.2017	
33		673	0.0140	0.0140		
			योग	0.320		
			कुल योग	2.3900		

जनपद-हरदोई

क्र० सं०	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	पूर्व में धारा-4 में अधिसूचित क्षेत्रफल	पूर्व में अनुमोदित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल	अतिरिक्त क्षेत्रफल	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5		6	7
1.	मंसूरपुर	677अ	-	-	0.1673	23.09.2016	
2.		677ब	-	-	0.0233	23.09.2016	
3.				कुल योग	0.1906		

जनपद-आगरा

(क)

क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	मुख्य सड़क पर स्थिति भूमि की सर्किल दर हे० में (लाख में)	सर्किल दर की चार गुनी दर प्रति हे० (लाख में)	अन्य सड़क/आबादी से सदी भूमि की सर्किल दर प्रति हे० (लाख में)	सर्किल दर की चार गुनी दर प्रति हे० (लाख में)	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	
1	सदर, आगरा	बिझामई	0	0	46.00 लाख	184.00 लाख	30.11.15/पत्र प्रेषण का दिनांक 20.03.2017
2	सदर, आगरा	नदौता	0	0	36.00 लाख	144.00 लाख	
3	सदर, आगरा	विसारना	0	0	35.00 लाख	140.00 लाख	
4	फतेहाबाद	गूढ़ा	11.00 लाख	44.00 लाख	11.00 लाख	44.00 लाख	
5	फतेहाबाद	मेवली कला	22.00 लाख	88.00 लाख	22.00 लाख	88.00 लाख	
6	फतेहाबाद	मेवली	22.00 लाख	88.00 लाख	22.00 लाख	88.00 लाख	



		खुर्द					
7	फतेहाबाद	वाजिदपुर	28.00 लाख	112.00 लाख	28.00 लाख	112.00 लाख	
8	फतेहाबाद	मुटावई	22.00 लाख	88.00 लाख	22.00 लाख	88.00 लाख	
9	फतेहाबाद	सिकरारा	22.00 लाख	88.00 लाख	22.00 लाख	88.00 लाख	
10	फतेहाबाद	मुडायना	22.00 लाख	88.00 लाख	22.00 लाख	88.00 लाख	
11	फतेहाबाद	नगर चन्द	9.00 लाख	36.00 लाख	9.00 लाख	36.00 लाख	
12	फतेहाबाद	धौरा	28.00 लाख	112.00 लाख	28.00 लाख	112.00 लाख	
13	फतेहाबाद	उझावली	11.00 लाख	44.00 लाख	11.00 लाख	44.00 लाख	
14	फतेहाबाद	अई	12.00 लाख	48.00 लाख	12.00 लाख	48.00 लाख	
15	फतेहाबाद	भलोखरा	11.00 लाख	44.00 लाख	11.00 लाख	44.00 लाख	
16	फतेहाबाद	हिमायूँपुर गूजर	8.00 लाख	32.00 लाख	8.00 लाख	32.00 लाख	
17	फतेहाबाद	बाबरपुर	8.00 लाख	32.00 लाख	8.00 लाख	32.00 लाख	
18	फतेहाबाद	मेहरा चौधरी	11.00 लाख	44.00 लाख	11.00 लाख	44.00 लाख	
19	फतेहाबाद	स्वारा	11.00 लाख	44.00 लाख	11.00 लाख	44.00 लाख	
20	फतेहाबाद	तिबाहा	11.00 लाख	44.00 लाख	11.00 लाख	44.00 लाख	
21	फतेहाबाद	लोहारी फतेहाबाद	8.00 लाख	32.00 लाख	8.00 लाख	32.00 लाख	

जनपद आगरा में निम्नलिखित ग्रामों का मुख्य सड़क, अन्य सड़क/आबादी से सटी भूमि क्रय का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

### जनपद-फिरोजाबाद

(क)

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे०) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे०) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रु० प्रति हे०)		आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (रु० प्रति हे० में)		प्रभावित कृषकों की सं०	सहमत कृषकों की क्रमिक सं०	अनुमोदन का दिनांक
					सामान्य भूमि	रोड के किनारे स्थित भूमि	सामान्य भूमि	सड़क किनारे स्थित भूमि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जहानाबाद वीरई	सिरसागंज	07.10.13/ 30.10.14	23.6069	1.6592	20 लाख	25 लाख	80 लाख	100 लाख	84	28	15.06. 2016



					(हे०) में							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सुजनीपुर	सिरसागंज	07.10.13/ 30.10.2014	6.2602	0.1873	20 लाख	25 व 35 लाख	80 लाख	100 व 140 लाख	65	28	27.12. 16

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे०) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे०) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रु० प्रति हे०)		आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (रु० प्रति हे० में)		प्रभावित कृषकों की सं०	सहमत कृषकों की क्रमिक सं०	अनुमोदन का दिनांक
						सामान्य भूमि	रोड के किनारे	सामान्य भूमि	रोड के किनारे			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	हरगनपुर	शिकोहाबाद	07.10.13/ 30.10.2014	16.0027	0.0980	00	30 लाख	00	120 लाख	02	02	27.12. 16

(च)

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे०) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे०) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रु० प्रति हे०)	आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (रु० प्रति हे० में)	अतिरिक्त भूमि में प्रभावित कृषकों की संख्या	सहमत कृषकों की सं०	अनुमोदन का दिनांक
						आबादी/ रोड के किनारे	आबादी/ रोड के किनारे			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सेमरा अतिकाबाद	सिरसागंज	07.10.13/ 30.10.2014	6.0484	0.1941	25 लाख	100 लाख	47	10	24.04. 17

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे०) में अधिसूचना के अनुसार	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे०) में	कालम 6 में से अकृषि/आबादी की दर से क्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित गाटा संख्या व क्षेत्र (हे०) में	हाइवे के किनारे अकृषि भूमि का वर्तमान घोषित सर्किल रेट (वर्गमी०) में	टापसी सहमति के अनुसार कालम-8 की 02 गुनी धनराशि (वर्गमी०)	कालम 7 में प्रभावित रकबे में सम्मिलित कृषकों की संख्या	सहमत कृषकों की सं०	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	बछेला बछेली	सिरसागंज	07.10.13/ 10.2014, 30.10.2014	16.8140	3.1928	243/0.0467	7000	14000	02	02	24.04. 17

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे०) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे०) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रु० प्रति हे०)		आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (रु० प्रति हे० में)		अतिरिक्त भूमि में प्रभावित कृषकों की संख्या	सहमत कृषकों की सं०	अनुमोदन का दिनांक
						सामान्य भूमि	आबादी / रोड के किनारे	सामान्य भूमि	आबादी/ रोड के किनारे			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गुढा	सिरसागंज	07.10.13/ 30.10.2014	15.6146	0.1055	20 लाख	25 लाख	80 लाख	100 लाख	17	05	24.04.17

जनपद—इटावा

(क)

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे0) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे0) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रु0 प्रति हे0)		आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (रु0 प्रति हे0 में)		प्रभावित कृषकों की सं0	सहमत कृषकों की क्रमिक सं0	अनुमोदन का दिनांक
					सामान्य भूमि	रोड के किनारे स्थित भूमि	सामान्य भूमि	सड़क किनारे स्थित भूमि			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
लाडमपुर	सैफई	07.06.2013	10.5652	1.1230	22 लाख	-	88 लाख	-	-	13	25.10. 2016

(ख)

तहसील	ग्राम	नाम भू-स्वामी/वलदियत	सहमति पत्र में उल्लिखित गाटा संख्या/क्षे0 (हे0)	मांगी गयी दर (प्रति हे0) लाख रु0 में	अनुमोदन का दिनांक
2	3	4	5	6	7
सदर	मूंज	रामनाथ पुत्र लालाराम	396/0.0066	18X4=72 लाख	18.11.2016
	“	वृन्दावन पुत्र उमन सिंह	145/0.0710	18X4=72 लाख	
	“	मातादीन जगदीश पुत्रगण श्रीराम व सुरेश बाबू पुत्र परशुराम	144/0.1678	42X4=168 लाख	
	“	रामप्रकाश पुत्र साहब सिंह	119/0.7100	42X4=168 लाख	
	“	सहदेव पुत्र सोभरन सिंह	219/0.0955	18X4=72 लाख	
	अगूपुर गोपालपुर	रामसनेही पुत्र बदन सिंह	449/0.1736	14x4=56 लाख	18.11.2016
	“	भारत सिंह पुत्र बदन सिंह	448/0.0844	14x4=56 लाख	
	“	रमेश चन्द्र लालसुख	299/0.0164	14x4=56 लाख	
	“	अशोक कुमार पुत्र श्रीराम व मुकेश कुमार व अखलेश	308/0.1257	14x4=56 लाख	

		कुमार पुत्रगण विश्राम सिंह			
	“	मायादेवी पत्नी मनीराम	300/0.0510	14x4=56 लाख	
	भोजपुर रामायन	जयराम सिंह पुत्र सूबेदार सिंह	467/0.0011 479/0.0646	14x4=56 लाख	18.11.2016
	“	श्री कृष्ण व जयराम पुत्रगण सूबेदार सिंह	478/0.2498	14x4=56 लाख	

(ग)

तहसील	ग्राम	नाम भू-स्वामी/वलदियत	सहमति पत्र में उल्लिखित गाटा संख्या/क्षे0 (हे0)	मांगी गयी दर (प्रति हे0) लाख रु0 में	अनुमोदन का दिनांक
2	3	4	5	6	7
सैफई	हरदोई	देवसिंह, कृपाराम पुत्रगण मुलायम सिंह आदि	74/0.0150 72/0.0517 68/0.0590	22x4=88 लाख	16.11.2016
	“	हाकिम सिंह पुत्र प्यारे लाल	56/0.0019	22x4=88 लाख	
	बरौली कला	जगताराम पुत्र फूलसिंह	69/0.0512	22x4=88 लाख	16.11.2016
	“	अशोक कुमार पुत्र तेजसिंह	71/0.0350	26x4=104 लाख	
	“	मोहर श्री पत्नी श्याम सिंह	70/0.0150	22x4=88 लाख	
	केशोपुर बेनी	धर्मेन्द्र कुमार व जीतेन्द्र कुमार पुत्रगण मूलचन्द्र आदि	26/0.0334	22x4=88 लाख	16.11.2016
	“	भीखम सिंह पुत्र मेधसिंह	27/0.0031	22x4=88 लाख	
	“	सर्वेश कुमार पुत्र झल्लू सिंह	83/0.0845 102/0.0045	22x4=88 लाख	
	“	वैजनाथ पुत्र मातादीन	61/0.0120	22x4=88 लाख	
	“	सुरेश सिंह पुत्र सीताराम	60/0.0092	22x4=88 लाख	
	“	राकेश बाबू पुत्र दीनदयाल	59/0.0058	22x4=88 लाख	
	“	अभिलाष सिंह व रनधीन सिंह पुत्रगण शंकरलाल आदि	71/0.0120	22x4=88 लाख	
	“	श्रीराम पुत्र छक्कूलाल	14/0.2850	22x4=88 लाख	

	“	बच्चन लाल व रामगोपाल पुत्र ख्याली राम	32/0.0445	22x4=88 लाख	
	“	सुरेन्द्र बाबू पुत्र लल्लू सिंह	191/0.0103	36x4=144 लाख	
	“	धर्मेन्द्र कुमार, जीतेन्द्र कुमार पुत्रगण लालबहादूर सिंह	190/0.2299	36x4=144 लाख	
	“	नेमसिंह आदि पुत्रगण रामभरोसे आदि	8/0.1522	34x4=136 लाख	
	“	संजीव कुमार आदि पुत्रगण राजेन्द्र सिंह	57/0.1035	34x4=136 लाख	
	“	वाजीलाल पुत्र श्यामलाल	69/0.0942	22x4=88 लाख	
शिवपुरी टिमरूआ		राजकुमारी पत्नी संजीव कुमार आदि	1218/0.0128	22x4=88 लाख	16.11.2016
	“	छेदालाल पुत्र ज्वाला प्रसाद	1767/0.1201	34x4=136 लाख	
	“	श्रीगणेश पुत्र मेध सिंह	1808/0.0405	22x4=88 लाख	
	“	श्री राम पुत्र मेध सिंह	1809/0.0342	22x4=88 लाख	
	“	विजय सिंह उर्फ बैजनाथ पुत्र मातादीन आदि	1251/0.0023	22x4=88 लाख	
	“	भीखम सिंह पुत्र मेधसिंह	1810/0.0119	22x4=88 लाख	

### जनपद—कन्नौज

(क)

ग्राम का नाम/ तहसील	भूमि जिसे परियोजना के पक्ष में क्रय किया जाना है		कालम संख्या-1 व 2 में दर्शायी गयी भूमि परियोजना हेतु पूर्व से घोषित है अथवा अतिरिक्त घोषित भूमि है, का उल्लेख	गाटे का पुनरीक्षित अर्थात् वर्तमान में प्रचलित सर्किल रेट (लाख प्रति हे0) में	पुनरीक्षित सर्किल रेट के चार गुने के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादन हेतु निर्धारित दर (रु0 प्रति लाख प्रति हे0)	अनुमोदन का दिनांक
	गाटा संख्या	प्रभावित रकबा हे0 में				
1	2	3	4	5	6	7
नगला विशुना/छिबरामऊ	50	0.040	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	08.06.16
बहादुरपुर मझिगवा/छिबरामऊ	2019	0.061	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	2020	0.040	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	3043	0.061	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	

	3044	0.081	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	3051	0.243	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	2571	0.061	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	2508	0.081	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	2473	0.016	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	2483	0.057	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	3030	0.060	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	2943	0.044	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	2954	0.120	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
मुसाफिरपुर/छिबरामऊ	395 मि०	0.014	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
सलेमपुर रैपालपुर/छिबरामऊ	370	0.112	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	372	0.040	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	364	0.010	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	1681	0.045	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	1705	0.214	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	1733	0.081	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	1734	0.122	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
देवपुर/छिबरामऊ	185/2	0.061	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
रनुआँ/छिबरामऊ	7	0.061	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	8	0.089	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	9	0.081	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	49	0.020	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	50	0.036	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	55	0.032	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
	57	0.061	अतिरिक्त घोषित	12.00	48.00	
तालग्राम देहात/छिबरामऊ	114	0.0521	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
	160	0.0290	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	

	158	0.0470	अतिरिक्त घोषित	21.00	84.00	
--	-----	--------	----------------	-------	-------	--

(ख)

ग्राम का नाम/ तहसील	भूमि जिसे परियोजना के पक्ष में क्रय किया जाना है		गाटे का पुनरीक्षित अर्थात् वर्तमान में प्रचलित सर्किल रेट (लाख प्रति हे0) में	पुनरीक्षित सर्किल रेट के चार गुने के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादन हेतु निर्धारित दर (रु0 प्रति लाख प्रति हे0)	अनुमोदन का दिनांक
	गाटा संख्या	प्रभावित रकबा हे0 में			
1	2	3	4	5	6
नगला विशुना/छिबरामऊ	19	0.097	12.00	48.00	29.07.2016
	14	0.060	12.00	48.00	
	18	0.048	12.00	48.00	
	10	0.068	12.00	48.00	
सलेमपुर रैपालपुर/छिबरामऊ	1670	0.029	12.00	48.00	
	367	0.060	12.00	48.00	
हुसेपुर/छिबरामऊ	336	0.012	21.00	84.00	
विरोली/ छिबरामऊ	1313	0.0554	19.00	76.00	

(ग)

ग्राम का नाम/ तहसील	भूमि जिसे परियोजना के पक्ष में क्रय किया जाना है		गाटे का पुनरीक्षित अर्थात् वर्तमान में प्रचलित सर्किल रेट (लाख प्रति हे0) में	पुनरीक्षित सर्किल रेट के चार गुने के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादन हेतु निर्धारित दर (रु0 प्रति लाख प्रति हे0)	अनुमोदन का दिनांक
	गाटा संख्या	प्रभावित रकबा हे0 में			
1	2	3	4	5	6
रनुआ	9मि.	0.081	12.50	50.00	14.12.2016
नगला विशुना	53क	0.028	12.50	50.00	
	38अ	0.040	12.50	50.00	
	105मि	0.0540	12.50	50.00	
तालग्राम	2894	0.0192	23.00	92.00	
बहादुरपुर मझिगवां	1374	0.0290	21.00	84.00	
	1719	0.0260	21.00	84.00	
	1379	0.0440	21.00	84.00	
	1380	0.0200	21.00	84.00	



	1728	0.0200	21.00	84.00	
बेहटाखास	1013	0.0610	12.50	50.00	
	1012	0.0280	12.50	50.00	
	1024	0.0240	12.50	50.00	
बझेड़ी	9मि.	0.0810	10.50	42.00	
अमोलर	2688	0.0330	12.50	50.00	
मुण्डाला	604	0.0574	34.00	136.00	
	607	0.0140	22.00	88.00	
	582	0.0180	22.00	88.00	
	600	0.0290	34.00	136.00	
	579	0.0162	22.00	88.00	
	640	0.0354	22.00	88.00	
	590	0.0423	22.00	88.00	
	605	0.0259	22.00	88.00	
विरौली	1313 मि.	0.0627	20.00	80.00	
<b>कुल योग</b>		<b>0.8891</b>			

(घ) ग्राम-मतौली हेतु पूर्व में अनुमोदित दर रू0 20.00 लाख प्रति हे0 का चार गुना रू0 80.00 लाख प्रति हे0 है।

जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.07.2016 के कार्यवृत्त के द्वारा अपेक्षित उपरोक्त भूमि गाटा संख्या-646/0.213 हे0 को पुनरीक्षित/वर्तमान में प्रचलित दर रू0 22.00 लाख प्रति हे0 के चार गुना अर्थात् रू0 88.00 लाख प्रति हे0 की दर से परियोजना के हित में विक्रय पत्र निष्पादित कराये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त के अनुमोदन का दिनांक 14.09.2016।

#### जनपद-उन्नाव

(क)

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	नया सर्किल रेट प्रति हे0 (सामान्य)	नये सर्किल रेट के अनुसार चार गुना प्रतिफल की धनराशि	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	सादीपुर	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00	29.06.2016
2	रसूलपुर रूरी	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00	

3	गढ़ा	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00
4	जोगीकोट	बांगरमऊ	1800000.00	7200000.00
5	कबीरपुर	बांगरमऊ	1600000.00	6400000.00
6	खम्भौली	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00
7	भगवन्तपुर गोटपाली	बांगरमऊ	2000000.00	8000000.00
8	हैबतपुर	बांगरमऊ	2000000.00	8000000.00
9	नसीरपुर भीखन	बांगरमऊ	1600000.00	6400000.00
10	नेवल	बांगरमऊ	2000000.00	8000000.00
11	जगटापुर-प्रथम	बांगरमऊ	2000000.00	8000000.00
12	जगटापुर-द्वितीय	बांगरमऊ	2000000.00	8000000.00
13	रघुरामपुर	बांगरमऊ	2000000.00	8000000.00
14	फतेहपुर खालसा	बांगरमऊ	3500000.00	14000000.00
15	गोल्हुवापुर	बांगरमऊ	1600000.00	6400000.00
16	बहलोलपुर मुन्तसिल	बांगरमऊ	1600000.00	6400000.00
17	देवखरी	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00
18	रसूलपुर मझिगवा	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00
19	महराजापुर	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00
20	अलमऊ सराय	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00
21	सिरधरपुर गैर एहतमाली	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00
22	सिरधरपुर एहतमाली	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00

23	सहसराय	बांगरमऊ	1200000.00	4800000.00	
24	कुरसठ	सफीपुर	3500000.00	14000000.00	
25	गौरियाकला	सफीपुर	1600000.00	6400000.00	
26	नेवाबाद ग्रन्ट	सफीपुर	1600000.00	6400000.00	
27	ढेलौवा	सफीपुर	1800000.00	7200000.00	
28	असर्फाबाद	सफीपुर	1800000.00	7200000.00	
29	मटरिया	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
30	अलियारपुर	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	
31	कुरौरा	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
32	पिलखना रसीदपुर	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
33	पिछवाड़ा	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
34	तालासराय	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
35	शाहपुर तौदा	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
36	बरादेव	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
37	गहरावा	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
38	मैनी	हसनगंज	2200000.00	8800000.00	
39	हाजीपुर गोसा	हसनगंज	2100000.00	8400000.00	
40	औरास	हसनगंज	3200000.00	12800000.00	
41	इनायतपुरा बर्वा	हसनगंज	2300000.00	9200000.00	
42	अटिया	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	
43	लोधाटीकुर	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	

44	मिर्जापुर अजगांव	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	29.06.2016
45	सहदोई	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	
46	धानमऊ छरेहटी	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	
47	डीपवल	हसनगंज	1800000.00	7200000.00	

2. जनपद-कन्नौज में संरेखण के अन्तर्गत अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन का अनुमोदन:-

क्रमांक	विक्रेता का नाम व पता	बैनामा पंजीयन संख्या व दिनांक	परियोजना हेतु क्रय किया गया		परिसम्पत्ति का प्रकार, जिसको क्रय किया जाना है	परिसम्पत्ति का मूल्यांकन जिसका भुगतान होना है	अनुमोदन का दिनांक
			गाटा संख्या	रकबा (हे0)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री विजय बहादुर पुत्र दुलारे लाल नि0 नगला झावर मौजा बहादुरपुर मझिगवौं	6876/ 24.07.2014	1922 मि.	0.184	वोरिंग	16979.00	21.09.2016
2	श्री इसरार अली पुत्र नथू अली नि0 आजाद नगर, सौरिख	9494/ 23.08.2014	1908	0.198	वोरिंग	12032.00	
3	श्री नफीस पुत्र सईद अहमद नि0 मो0 सरोजनी नगर, सौरिख	9242/ 21.08.2014	1874 मि.	0.027	वोरिंग	16979.00	
4	श्री चन्द्र देव सिंह पुत्र लाखन सिंह नि0 आजाद नगर, सौरिख	11590/ 19.09.2014	1949 मि.	0.090	वोरिंग	16979.00	
5	श्री कर्मवीर पुत्र शिवराम निवासी ग्राम-जलालपुर दीनदारपुर	7496/ 01.08.2014	392 मि.	0.2125	गाटा संख्या-392 में अवस्थित बोरिंग व कोठरी का कुल मूल्यांकन रू0	18689.00	

					37379/-	
6	श्री धर्मवीर पुत्र शिवराम निवासी ग्राम-जलालपुर दीनदारपुर	7497/ 01.08.2014	392 मि.	0.2125		18690.00
<b>योग</b>						<b>100348.00</b>

3. जनपद-उन्नाव में हवाई पट्टी हेतु अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में:-  
भारतीय वायु सेना के पत्र संख्या-Adv HQ CAC/C 3155/5/AOC Sectt दिनांक 01.06.2016(प/1) के द्वारा अवगत कराया गया है कि 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी 110 मी0 चौड़ी भूमि हवाई पट्टी हेतु पर्याप्त है।  
अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-2377/यूपीडा15/192(08)-II दिनांक 03.02.2016(प/2) तथा पत्र संख्या-2377/यूपीडा15/192(08)-II दिनांक 09.02.2016(प/3) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम-नसीरपुर भीखन, जोगीकोट, भगवन्तपुर गोटपाली, हैबतपुर, खम्भौली तथा कबीरपुर में क्रमशः 23.225 हे0, 1.370 हे0, 6.834 हे0, 1.015 हे0, 4.9268 हे0 तथा 23.519 हे0 कुल 60.8898 हे0 भूमि क्रय करने तथा 1.119 हे0, 0.721 हे0 0.069 हे0, 0.126 हे0 तथा 0.644 हे0 कुल 2.679 हे0 भूमि पुनर्ग्रहीत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।  
भारतीय वायु सेना के उपरोक्त पत्र के दृष्टिगत यूपीडा के उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 03.02.2016 व 09.02.2016 के द्वारा हवाई पट्टी हेतु प्रस्तावित भूमि को क्रय करने/ पुनर्ग्रहण करने का अब कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार जिलाधिकारी, उन्नाव को पत्र संख्या-411/यूपीडा 15/192(08)-II दिनांक 02.06.2016 प्रेषित।  
पुनश्च जनपद उन्नाव में हवाई पट्टी तथा डाइवर्जन रोड हेतु जमीन क्रय करने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, यूपीडा के पत्र संख्या-434/यूपीडा/14/355-VII दिनांक 10.02.2017 के क्रम में संयुक्त सर्वेक्षण से अतिरिक्त भूमि चिन्हित कर यूपीडा के पत्र संख्या-332/यूपीडा 16/192(08) III दिनांक 08.05.2017 द्वारा जनपद में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	धारा-4 /पूर्व में ली गयी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र (हे0) में	अतिरिक्त भूमि	अनुमोदन का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	नसीरपुर भीखन/बांगरमऊ	685		0.1370	06.05.17	
2		684		0.1176		
3		681		0.2376		
4		675		0.1130		
5		674		0.0044		चकमार्ग
6		669	0.00	0.0710		
			0.197			
7		668		0.0390		
8		688		0.0160		चकमार्ग

9		693		0.0200		
10		691		0.0500		
11		690	0.00	0.0448		
			0.0224			
12		689	0.00	0.0322		
			0.0128			
13		618		0.0334		
14		650		0.0025		
15		609		0.0060		
16		617	0.00	0.0080		
			0.081			
17		605	0.00	0.0240		
			0.0028			
18		606	0.000	0.1400		
			0.0128			
19		607	0.00	0.0506		
			0.0024			
20		608	0.00	0.0330		
			0.0024			
21		600		0.0010		
22		604		0.0100		
23		599		0.0975		
24		602		0.0064		चकमार्ग
25		597		0.0900		नवीन परती
26		598		0.0629		
27		539		0.0090		चकमार्ग
28		546		0.1020		नवीन परती
29		547		0.1100		

30		548		0.1560		
31		562		0.1100		
32		595		0.0180		चकमार्ग
33		561		0.1560		
34		560		0.0720		
35		559		0.0700		
36		556	0.00	0.2420		
			0.1860			
37		504		0.0510		
38		505		0.0050		
39		506		0.0640		
40		555		0.0040		चकमार्ग
			<b>योग</b>	<b>2.6169</b>		
41	खम्भौली/बांगरमऊ	698	0.6848	0.0130	06.05.17	
			0.1452			
42		714	0.6588	0.0284		
43		715	0.1611	0.0055		
44		716	0.1337	0.0055		
			<b>योग</b>	<b>0.0524</b>		
			<b>कुल योग</b>	<b>2.6693</b>		

#### 4. परियोजना हेतु कुल अतिरिक्त भूमि का जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	ग्रामों की संख्या	गाटों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	12	102	30.0479	
2	फिरोजाबाद	22	225	27.2131	

3	मैनपुरी	18	329	21.5473	
4	इटावा	22	328	32.7396	
5	औरैया	1	1	0.0900	
6	कन्नौज	35	420	32.8805	
7	कानपुर नगर	4	32	2.1387	
8	उन्नाव	33	561	38.4809	
9	हरदोई	3	21	3.6582	
10	लखनऊ	10	242	22.2397	
	<b>योग</b>	<b>160</b>	<b>2261</b>	<b>211.0359</b>	

**5. जनपद-कानपुर नगर में महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) के आडिट दल की आपत्ति के आधार पर वसूली के विषय में:-**

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) के आडिट दल द्वारा यूपीडा में अपने सम्परीक्षण के उपरान्त उक्त प्रस्तर प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तर की व्याख्या में उन्ही तथ्यों को सम्मिलित किया गया था, जो अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर के संदर्भित पत्र संख्या-821/ आठ-अ0जि0(भू0अ0) कानपुर नगर दिनांक 04.08.2016 के द्वारा यूपीडा को उपलब्ध कराये गये है। उपरोक्त व्याख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-डी0पी0सेल/पी0डी0पी0/178 दिनांक 27.07.2016 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें निम्न निष्कर्ष अंकित है-

In reply, UPEIDA stated (03.06.2016) that sale deed of the concerned land owners were got executed at general rate while their land were situated on National Highway/ Link Road. Hence on demonstation by dissatisfied land owners district level committee decided to pay for the difference. The payment of the sate amount may to the land owners was actually done to rectify the mistakes done initially and it was also inaccordance with the principle of natural justice. The reply is not tenable as in "Sahmati Patra" got executed with the land owners, it was agreed upon that no demand towards any enhanced rate will be claimed in future and no case could be filed in any court after the sale of land is executed.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यूपीडा की व्याख्या तथा अपर जिलाधिकारी के पत्र में उल्लिखित तथ्यों को महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तर के निस्तारण हेतु अतिरिक्त भुगतान की गयी धनराशि को सम्बन्धित भू-स्वामियों से वापस वसूल किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं प्रतीत होता है।

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत कृपया संदर्भित प्रकरण में सम्मिलित अतिरिक्त भुगतान की गयी धनराशि को सम्बन्धित भू-स्वामियों से वापस वसूल किये जाने की कार्यवाही कराने के आशय का जिलाधिकारी, कानपुर नगर को पत्र संख्या-1046/यूपीडा 16/192(07) दिनांक 05.08.2016 प्रेषित किया गया। अनुस्मारक 453/यूपीडा-17/192(07)-2 दिनांक 17.05.2017 को प्रेषित है।

**पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना**

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में प्रदेश के 09 जनपदों यथा-लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर के कुल 435 ग्राम सम्मिलित है, जिसमें प्रस्तावित वाराणसी लिंक मार्ग भी सम्मिलित है। उक्त में से 416 ग्रामों



के प्रस्ताव परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिन्हें सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव में ग्राम सभा/सरकारी भूमि को शामिल करते हुए कुल 4724.5952 हे० भूमि सम्मिलित है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों की आपसी सहमति से भूमि क्रय करने की कार्यवाही शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के अनुसार की जा रही है। साथ ही पुनर्ग्रहण तथा सरकारी भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही भी की जा रही है।

### जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर दर अनुमोदन

#### जनपद-लखनऊ

(क)

क्रमांक	तहसील का नाम	बैठक का दिनांक	ग्राम का नाम	कलेक्टर सर्किल रेट (रु० प्रति हे०)	समिति द्वारा निर्धारित प्रतिफल की दर (रु०प्रति हे०)	अनुमोदन का दिनांक
1.	मोहनलालगंज	04.06.2016	चांदसराय (सामान्य कृषि भूमि)	6300000. 00	25200000.00	24.06.2016
2			चांदसराय (राजमार्ग से सटी भूमि)	15000000. 00	60000000.00	
3			पहासा	1700000. 00	6800000.00	
4			इचवलिया	1700000. 00	6800000.00	
5			पंजसरा	1700000. 00	6800000.00	
6			जौखण्डी	1700000. 00	6800000.00	
7	मोहनलालगंज	30.06.16	हसनापुर (सामान्य कृषि भूमि)	17.00	68.00	02.07.2016
8			रसूलपुर आशिकअली (सामान्य भूमि)	19.00	76.00	
9			महुराकला (सामान्य भूमि)	32.00	128.00	
10			वेली (मोहनलालगंज से गोसाईगंज मार्ग से सटी)	44.00	176.00	

			भूमि)			<b>02.07.2016</b>
			बेली (सामान्य भूमि)	32.00	128.00	
11			शिवलर (मोहनलालगंज से गोसाईगंज मार्ग से सटी भूमि)	44.00	176.00	
			शिवलर (सामान्य भूमि)	32.00	128.00	
12			आदमपुर नौबस्ता (निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग से सटी भूमि)	27.00	108.00	
			आदमपुर नौबस्ता (सामान्य भूमि)	19.00	76.00	
13			मगहुवा (मोहनलालगंज से गोसाईगंज मार्ग से सटी भूमि)	27.00	108.00	
			मगहुवा (सामान्य भूमि)	19.00	76.00	
			देहरामऊ (सामान्य भूमि)	17.00	68.00	
14			शहजादेपुर (सामान्य भूमि)	17.00	68.00	

जनपद—बाराबंकी

(क)

क्रम सं०	तहसील का नाम	बैठक का दिनांक	ग्राम का नाम	भूमि की प्रास्थिति	सर्किल रेट (₹० प्रति हे०)	समिति द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का चार गुना (₹०प्रति हे०)	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

1	हैदरगढ़	15.06.16	पेचरूआ	जनपदीय मार्ग की भूमि	4300000.00	17200000.00	24.06.16
				आबादी की भूमि	4300000.00	17200000.00	
				सामान्य भूमि	2200000.00	8800000.00	
2			गंगापुर	अन्य सड़क की भूमि सामान्य भूमि	2900000.00 2100000.00	11600000.00 8400000.00	
3			जलालपुर	अन्य सड़क की भूमि आबादी की भूमि सामान्य भूमि	5000000.00 6500000.00 3500000.00	20000000.00 26000000.00 14000000.00	
4			भैरमपुर	सामान्य भूमि	1700000.00	6800000.00	
5			बरांवा	सामान्य भूमि	2000000.00	8000000.00	
6			बीजापुर	जनपदीय मार्ग की भूमि सामान्य भूमि	3600000.00 2000000.00	14400000.00 8000000.00	
7			वलीगिरावां	अन्य सड़क की भूमि आबादी की भूमि सामान्य भूमि	2300000.00 2500000.00 1700000.00	9200000.00 10000000.00 6800000.00	
8			नरेन्द्रपुर मदरहा	खड़जा भूमि अन्य सड़क की भूमि आबादी की भूमि सामान्य भूमि	2100000.00 2900000.00 3100000.00 2100000.00	8400000.00 11600000.00 12400000.00 8400000.00	24.06.16
9			रामीपुर	अन्य सड़क सामान्य सड़क	2900000.00 2100000.00	11600000.00 8400000.00	
10			दाऊदपुर	आबादी की भूमि सामान्य भूमि	3100000.00 2100000.00	12400000.00 8400000.00	
11.	हैदरगढ़	25.07.16	रकसहा	अन्य सड़क की भूमि	2300000.00	9200000.00	03.08.16
				आबादी की भूमि	2500000.00	10000000.00	
				सामान्य भूमि	1700000.00	6800000.00	
				अकृषक धारा-143 घोषित	3900.00	7800.00 /वर्ग मी0	
12			टिकरूआ	आबादी की भूमि सामान्य भूमि	2500000.00 1700000.00	10000000.00 6800000.00	
	13		ककरी	अन्य सड़क की भूमि सामान्य भूमि	5000000.00 3500000.00	20000000.00 14000000.00	

14			रतौली	आबादी की भूमि	2500000.00	10000000.00	
				सामान्य भूमि	1700000.00	6800000.00	
15		16.08.16	शुकुलपुर	सामान्य भूमि	2000000.00	8000000.00	24.08.16
16			हरपालपुर	सामान्य भूमि	2000000.00	8000000.00	
17			गेरावां	आबादी की भूमि	2500000.00	10000000.00	
				सामान्य भूमि	1700000.00	6800000.00	
18			महराजपुर	आबादी की भूमि	2500000.00	10000000.00	
				सामान्य भूमि	1700000.00	6800000.00	
19			अन्दऊमऊ	सामान्य भूमि	1700000.00	6800000.00	
20			रीठी	जनपदीय मार्ग	3600000.00	14400000.00	
			सिकन्दरपुर	अन्य सड़क	2900000.00	11600000.00	
				आबादी की भूमि	4100000.00	16400000.00	
				सामान्य भूमि	2200000.00	8800000.00	
21		17.10.16	कुन्दवा	आबादी की भूमि	2500000.00	10000000.00	20.10.16
				सामान्य भूमि	1700000.00	6800000.00	
22			सराय चौबे	जनपदीय मार्ग की भूमि	3600000.00	14400000.00	
				अन्य सड़क की भूमि	2900000.00	11600000.00	
				आबादी की भूमि	4100000.00	16400000.00	
				सामान्य भूमि	2000000.00	8000000.00	
23			सराय पाण्डेय	आबादी की भूमि	3100000.00	12400000.00	
				सामान्य भूमि	2100000.00	8400000.00	
24			धरकुईया	राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि	4300000.00	17200000.00	
				सामान्य भूमि	2000000.00	8000000.00	
25			बम्हरौली	सामान्य भूमि	2200000.00	8800000.00	

26			कबूलपुर	अन्य सड़क की भूमि	2900000.00	11600000.00	
				सामान्य भूमि	2100000.00	8400000.00	
27			बहरामऊ	अन्य सड़क की भूमि	2300000.00	9200000.00	
				आबादी की भूमि	2500000.00	10000000.00	
				सामान्य भूमि	1700000.00	6800000.00	
28			रौनी	अन्य सड़क की भूमि	2900000.00	11600000.00	
				आबादी की भूमि	3100000.00	12400000.00	
				सामान्य भूमि	2100000.00	8400000.00	
29			अखैयापुर	अन्य सड़क की भूमि	2900000.00	11600000.00	
				सामान्य भूमि	2100000.00	8400000.00	
30		13.12.16	जरौली	खण्डजा की भूमि (दर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त)	21,00,000.00	84,00,000.00	28.12.16
				आबादी 100 मीटर के अन्दर की भूमि	31,00,000.00	1,24,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के बाद (दर से 40 प्रतिशत अतिरिक्त)	21,00,000.00	84,00,000.00	
				सामान्य भूमि	21,00,000.00	84,00,000.00	
31			अमरवल किरसिया	अन्य सड़क की भूमि	23,00,000.00	92,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के अन्दर की भूमि	5900/52,00,000 .00	2,08,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के बाद (दर से 40 प्रतिशत अतिरिक्त)	17,00,000.00	68,00,000.00	
				सामान्य भूमि	17,00,000.00	68,00,000.00	
32			शिवनाम	अन्य सड़क की भूमि	5900/37,00,000 .00	1,48,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के अन्दर की भूमि	5900/52,00,000 .00	2,08,00,000.00	

				सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
33			त्रिवेदीगंज	अन्य सड़क की भूमि	6600/50,00,000 .00	2,00,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के अन्दर	6600/65,00,000 .00	2,60,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के बाद (दर से 50 प्रतिशत अतिरिक्त)	35,00,000.00	1,40,00,000.00	
				सामान्य भूमि	35,00,000.00	1,40,00,000.00	
34			संसार	अन्य सड़क की भूमि	23,00,000.00	92,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के अन्दर	25,00,000.00	1,00,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के बाद (दर से 40 प्रतिशत अतिरिक्त)	17,00,000.00	68,00,000.00	
				सामान्य भूमि	17,00,000.00	68,00,000.00	
35			बारा	आबादी 100 मीटर के अन्दर	6600/65,00,000 .00	2,60,00,000.00	
				आबादी 100 मीटर के बाद (दर से 50 प्रतिशत अतिरिक्त)	35,00,000.00	1,40,00,000.00	
				सामान्य भूमि	35,00,000.00	1,40,00,000.00	

### जनपद—अमेठी

क्रमांक	तहसील का नाम	बैठक का दिनांक	ग्राम का नाम	भूमि की प्रास्थिति	सर्किल रेट (प्रति हे०)	सर्किल रेट का चार गुना मूल्य (प्रति हे०)	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुसाफिरखाना	11.08.16	महोना पश्चिम	सामान्य भूमि	45,00,000.00	1,80,00,000.00	19.08.16
2			काजीपुर	सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
3			पारा	सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	

			हसनपुर तिवारी से नांदी मार्ग पर स्थित भूमि	40,00,000.00	1,60,00,000.00	
4			भटमऊ सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
5			फुन्दनपुर सामान्य भूमि	40,00,000.00	1,60,00,000.00	
6			सेवरा सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
			जनपदीय मार्ग पर स्थित भूमि	60,00,000.00	2,40,00,000.00	
7			आशीषपुर सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
8			निरहीगढ सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
9			छज्जूपुर सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
			सत्थिन से मकदूमपुर कला सम्पर्क मार्ग पर स्थित भूमि	40,00,000.00	1,60,00,000.00	
10			निहालगढ सैदापट्टी सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
			जगदीशपुर से शुकुल बाजारमार्ग पर स्थित भूमि	40,00,000.00	1,60,00,000.00	

11		20.10. 16	जलाली	सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	24.10.2016
12			हसनपुर तिवारी	सामान्य भूमि	40,00,000.00	1,60,00,000.00	
				जनपदीय मार्ग पर स्थित भूमि	65,00,000.00	2,60,00,000.00	
13			नेवाजमदार गढ़	सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
14			नीमपुर	सामान्य भूमि	45,00,000.00	1,80,00,000.00	
15			हुसैनपुर	सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
16			सिंघनामऊ	सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
17			मटियारीकला	सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
18			ऊचगांव	सामान्य भूमि	28,00,000.00	1,12,00,000.00	
				(जनपदीय मार्ग पर स्थित भूमि	60,00,000.00	2,40,00,000.00	

जनपद—सुल्तानपुर

क्र0 सं0	तहसील का नाम	बैठक का दिनांक	ग्राम का नाम	भूमि की प्रास्थिति	सर्किल रेट अनुसार सामान्य कृषक भूमि/अन्य प्रकार की कृषक भूमि की निर्धारित दर प्रति हे0	निर्धारित देय दर का चार गुना मूल्य प्रति हे0	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सदर	14.07.16	धौरहरा	सामान्य	2700000	10800000	27.07.2016
2		09.08.16	परवर	सामान्य	2700000	10800000	17.08.2016
3			माधवपुर शुकुलपुर	सामान्य	2700000	10800000	



4			सेमुर चमुरखा	सामान्य	3300000	13200000	
5		16.08.16	लोकेपुर	सामान्य	2700000	10800000	03.09.2016
6			चकचुरावनपुर	सामान्य	2700000	10800000	
7			सिद्धीगनेशपुर	सामान्य	4000000	16000000	
8		23.08.16	रामपुरबबुवान	सामान्य	2800000	11200000	07.09.2016
9			कुंवासी	सामान्य	2800000	11200000	
10			मेंघमऊ	सामान्य	2800000	11200000	
11			बड़ाडांड	सामान्य	2800000	11200000	
12			रनमूसेपुर (ग्रामीण)	सामान्य	2800000	11200000	
13			डेहरियावों (ग्रामीण)	सामान्य	4500000	18000000	
14			तिरहुत	सामान्य	4500000	18000000	
15			जरईकलां	सामान्य	4500000	18000000	
16			डीह	सामान्य	2100000	8400000	08.05.2017
17			फत्तेपुर	सामान्य	2100000	8400000	
18			हलियापुर	सामान्य	5500000	22000000	
19	कादीपुर	14.07.16	देवापुर	सामान्य	7700000	30800000	27.07.2016
20		09.08.16	कैथवा	सामान्य	2400000	9600000	17.08.2016
21			कलवारीबांध	सामान्य	2400000	9600000	
22			बढौली	सामान्य	3550000	14200000	
23			मदनपुरखुर्द	सामान्य	2400000	9600000	
24			संसारपुर	सामान्य	2400000	9600000	
25			सहंगिया	सामान्य	3000000	12000000	
26			लोकनाथपुर बालचन्दपट्टी	सामान्य	2400000	9600000	
27			सेल्हूपारा	सामान्य	2400000	9600000	

28			नगरी	सामान्य	2400000	9600000	
29			रायपुर	सामान्य	2400000	9600000	
30			सजमपुर	सामान्य	2400000	9600000	
31			बनबहासिखीम पुर	सामान्य	2400000	9600000	
32			कनकपुर	सामान्य	2400000	9600000	
69		16.08.16	कल्यानपुर	सामान्य	2400000	9600000	03.09.2016
70			प्रतापपुर	सामान्य	3000000	12000000	
71			पसियापारा	सामान्य	2400000	9600000	
72			मसुरन	सामान्य	2400000	9600000	
73			महुरुपुर	सामान्य	2400000	9600000	
74			रतनपुर	सामान्य	2400000	9600000	
75			फरीदपुर	सामान्य	2400000	9600000	
76			हकीमपुर	सामान्य	2400000	9600000	
77			भेलारा	सामान्य	3000000	12000000	27.07.2016
78			धनऊपुर	सामान्य	2400000	9600000	
33	जयसिंहपुर	14.07.16	महुआरी आशापुर	सामान्य	2900000	11600000	
34			खरसोमा	सामान्य	3300000	13200000	
35			भगवानपुर	सामान्य	2900000	11600000	
36			अकोढी	सामान्य	3300000	13200000	
37			छेवपरापार	सामान्य	2900000	11600000	
38		09.08.16	गौसेसिंहपुर	सामान्य	4100000	16400000	17.08.2016
39			गौरा	सामान्य	2900000	11600000	17.08.2016
40			जाफरपुर	सामान्य	2900000	11600000	

41			चोरमा	सामान्य	3300000	13200000	
42			गोविन्दपुर	सामान्य	2900000	11600000	
43			खपड़ाडीह	सामान्य	2900000	11600000	
44			करौते	सामान्य	2900000	11600000	
45			दखिनवारा	सामान्य	2900000	11600000	
46			ब्यासपुर	सामान्य	2900000	11600000	
47			मौकेडीह	सामान्य	2900000	11600000	
48			चौरे	सामान्य	3300000	13200000	
49			महमूदपुर सेमरी	सामान्य	4100000	16400000	
50			सकरदेपुर	सामान्य	2900000	11600000	
51			अलहदादपुर	सामान्य	2900000	11600000	
52			शेरखानपुर	सामान्य	2900000	11600000	
53			सरायसहावन	सामान्य	2900000	11600000	
54			विशुनपुर छीतेपट्टी	सामान्य	3300000	13200000	
55			बेलगरा	सामान्य	2900000	11600000	
56			सबई	सामान्य	2900000	11600000	
57			दलहूपुर	सामान्य	2900000	11600000	
58			सैलखा	सामान्य	2900000	11600000	
59			अरवलकीरी करवत	सामान्य	2900000	11600000	
60			रामनाथपुर	सामान्य	2900000	11600000	
61			परसा	सामान्य	2900000	11600000	
62			निदूरा	सामान्य	2900000	11600000	
63			विरसिंहपुर	सामान्य	4100000	16400000	
64			सरायनौरंग	सामान्य	3300000	13200000	
65	जयसिंहपुर		खालिसपुर दुर्गा	सामान्य	2900000	11600000	17.08.2016

66		16.08.16	फुलौना	सामान्य	4100000	16400000	03.09.2016
67			सारंगपुर	सामान्य	2900000	11600000	
68			चांदपुर	सामान्य	3300000	13200000	
79	बल्दीराय	09.08.16	समरथपुर	सामान्य	3300000	13200000	17.08.2016
80			देहली	सामान्य	4000000	16000000	
81			पिरोकलां	सामान्य	2700000	10800000	
82			पीरो सरैया	सामान्य	3300000	13200000	
83			आरडीह	सामान्य	3300000	13200000	
84			पीपर गांव	सामान्य	2700000	10800000	
85			मायंग	सामान्य	3300000	13200000	
86			टीकर	सामान्य	2700000	10800000	
87			सरैया वीरान	सामान्य	2700000	10800000	
88			चन्दीपुर	सामान्य	2700000	10800000	
89			जूड़ा पट्टी	सामान्य	2700000	10800000	
90		16.08.16	हरनाहरौरा	सामान्य	4000000	16000000	03.09.2016
91			भरसड़ा	सामान्य	2700000	10800000	
92			मझवारा	सामान्य	3300000	13200000	
93		14.10.16	रामनगर	सामान्य	4000000	16000000	04.11.2016
94		23.08.16	महुली	सामान्य	2800000	11200000	07.09.2016
95			नन्दरई	सामान्य	4000000	16000000	
96			हैथनाकलां	सामान्य	2800000	11200000	
97			हैथनाखुर्द	सामान्य	4000000	16000000	
98			गदियाना	सामान्य	4000000	16000000	
99			उपरी	सामान्य	2800000	11200000	
100			सुखबड़ेरी	सामान्य	4000000	16000000	
101			विहीनिदूरा	सामान्य	5500000	22000000	08.05.2017

102		14.07.16	शहरी	सामान्य	2700000	10800000	26.07.2016
103			ऐनपुर	सामान्य	2700000	10800000	
104			हसरमपुर	सामान्य	2700000	10800000	
105			सरायमलिन	सामान्य	2700000	10800000	

### जनपद-फैजाबाद

क्रमांक	बैठक का दिनांक	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	दर कृषि भूमि (रूपया प्रति हे0)/ आबादी (रु0 प्रतिवर्ग मी0)	प्रतिकर की दर (प्रति हे0)	आबादी की भूमि की प्रतिकर की देय दर प्रतिवर्ग मी0 (रूपये में)	अनुमोदन का दिनांक
1	11.08.16	इमामगंज	सामान्य कृषि भूमि	2600000.00	104.00 लाख	-	16.08.16
			पक्की सड़क पर स्थित कृषि भूमि	3700000.00	148.00 लाख	-	
			आबादी भूमि	6500.00	-	13000.00	
2		इदिलपुर	सामान्य कृषि भूमि	2200000.00	88.00 लाख	-	
			पक्की सड़क पर स्थित कृषि भूमि	3300000.00	132.00 लाख	-	
			आबादी भूमि	5500.00	-	11000.00	
3		घोड़वल	सामान्य कृषि भूमि	2600000.00	104.00 लाख	-	
			पक्की सड़क पर स्थित कृषि भूमि	3700000.00	148.00 लाख	-	
			आबादी भूमि	6200.00	-	-	
4		पूरेलालखां	सामान्य कृषि भूमि	2300000.00	92.00 लाख	-	
			पक्की सड़क पर स्थित कृषि भूमि	3700000.00	148.00 लाख	-	
			आबादी भूमि	5500.00	-	11000.00	
5		मेवापुर मु0 देवगांव	सामान्य कृषि भूमि	2300000.00	92.00 लाख	-	
			पक्की सड़क पर	3700000.00	-	-	

			स्थित कृषि भूमि				
			आबादी भूमि	5500.00	-	-	

जनपद—अम्बेडकर नगर

क्र० सं०	तहसील का नाम	बैठक का दिनांक	ग्राम का नाम	भूमि की प्रास्थिति	सर्किल रेट अनुसार सामान्य कृषक भूमि/अन्य प्रकार की कृषक भूमि की निर्धारित दर प्रति हे०	निर्धारित देय दर का चार गुना मूल्य प्रति हे०	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकबरपुर	03.08.16	रेवरा	सामान्य	2300000	9200000	05.08.16
				चकरोड से सटी भूमि	2760000	11040000	24.08.16
				भूमि दो तरफ से चकरोड	2990000	11960000	
				खड़जा/ इन्टरलाकिंग	3450000	13800000	
				दो तरफ से खड़जा	3680000	14720000	
				सड़क पर स्थित	4600000	18400000	
				आबादी से सटी	4600000	18400000	
2			रसूलपुर दियरा	सामान्य	3625000	14500000	
				चकरोड से सटी भूमि	4350000	17400000	
				भूमि दो तरफ से चकरोड	4712500	18850000	
				खड़जा/ इन्टरलाकिंग	5437500	21750000	
				दो तरफ से	5800000	23200000	

				खड़जा		
				सड़क पर स्थित	725000	2900000
				आबादी से सटी	725000	2900000
3			अहेथा	सामान्य	3707000	13228000
				चकरोड से सटी भूमि	3968400	15873600
				भूमि दो तरफ से चकरोड	4299100	17196400
				खड़जा / इन्टरलाकिंग	3960500	19842000
				दो तरफ से खड़जा	5291200	21164800
				सड़क पर स्थित	6614000	26456000
				आबादी से सटी	6614000	26456000
			उमरपुर	सामान्य	3307000	13228000
				चकरोड से सटी भूमि	3968400	15873600
				भूमि दो तरफ से चकरोड	4299100	17196400
				खड़जा / इन्टरलाकिंग	4960500	19842000
				दो तरफ से खड़जा	5291200	21164800
				सड़क पर स्थित	6614000	26456000
				आबादी से सटी	6614000	26456000
4						

5			रामगढ़	सामान्य	3000000	12000000	
				चकरोड से सटी भूमि	3600000	14400000	
				भूमि दो तरफ से चकरोड	3900000	15600000	
				खड़जा / इन्टरलाकिंग	4500000	18000000	
				दो तरफ से खड़जा	4800000	19200000	
				सड़क पर स्थित	6000000	24000000	
				आबादी से सटी	6000000	24000000	
6			गोपरी चांदपुर	सामान्य	2400000	9600000	
				चकरोड से सटी भूमि	2880000	11520000	
				भूमि दो तरफ से चकरोड	3120000	12480000	
				खड़जा / इन्टरलाकिंग	3600000	14400000	
				दो तरफ से खड़जा	3840000	15360000	
				सड़क पर स्थित	4200000	16800000	
				आबादी से सटी	4800000	19200000	
7			सिंधीपुर	सामान्य	2100000	8400000	
				चकरोड से सटी भूमि	2520000	10080000	
				भूमि दो	2730000	10920000	



				तरफ से चकरोड			
				खड़जा/ इन्टरलाकिंग	3150000	12600000	
				दो तरफ से खड़जा	3360000	13440000	
				सड़क पर स्थित	3500000	14000000	
				आबादी से सटी	4200000	16400000	

### जनपद—आजमगढ़

क्रमांक	तहसील का नाम	बैठक का दिनांक	ग्राम का नाम	भूमि की प्रास्थिति	कलेक्टर सर्किल रेट (रु० लाख प्रति हे०)	समिति द्वारा निर्धारित प्रतिफल की दर (रु० लाख प्रति हे०)	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सदर	25.07. 16	एकमा		33.00	132.00	03.08.2016
2			गौसपुर		33.00	132.00	
3			किशुनदासपुर		47.00	188.00	
4			आहोपट्टी		67.00	268.00	
5			दूधनारा		60.00	240.00	
6			नीवीं बुजुर्ग		60.00	240.00	
7			फखरुद्दीनपुर		40.00	160.00	
8			भटिया		60.00	240.00	
9			चन्दौका		67.00	268.00	
10			देवरिया आयमा		33.00	132.00	
11		28.07. 16	चकवस्ती		33.00	132.00	
12			गोधपुर		33.00	132.00	
13			पुष्पा आयमा		33.00	132.00	

14			बस्ती		33.00	132.00	
15			मोजरापुर		60.00	240.00	
16			पेटारा		33.00	132.00	
17			मड़या		33.00	132.00	
18			नसीरुद्दीनपुर		33.00	132.00	
19			बडियारी		67.00	268.00	
20			बसही जैरमजैपुर		33.00	132.00	
21			केरमा		33.00	132.00	
22			जगदीशपुर		33.00	132.00	
23			असोना		33.00	132.00	
24			सखिया		67.00	268.00	
25			रानीपुर		33.00	132.00	
26			चकतगी		33.00	132.00	
27			भेरामकबूलपुर		33.00	132.00	
28			तुलसीपुर		40.00	160.00	
29			मनचोभा		60.00	240.00	
30			उकरोड़ा		70.00	280.00	
31			कोठरा		67.00	268.00	
32			दामोदरपुर		60.00	240.00	
33			नैपुरा		33.00	132.00	
34			सेहदा		60.00	240.00	
35			सठियाव		66.00	264.00	
36			लोहरा		33.00	132.00	
37		09.09. 16	बरमा		33.00	132.00	24.10.2016
38			हसनपुर		60.00	240.00	
39			कोटिला		66.00	264.00	
40			बढ़या		33.00	132.00	

41		29.10.16	महमूदपुर		33.00	132.00	26.02.2016	
42			मदनपुर		33.00	132.00		
43	निजामाबाद	25.07.16	भगवानपुर		29.80	119.20	03.08.2016	
44			कबीरपुर		31.30	125.20		
45			चकजोरावर		30.80	123.20		
46			गोविन्दपुर		29.70	118.80		
47			जमालपुर मधसिया		31.30	125.20		
48			नान्हूपुर		29.20	116.80		
49			गढ़वा		30.20	120.80		
50			09.09.16	लारपुर		30.00	120.00	24-10-2016
51				ददरा		30.00	120.00	
52				करियाबर		31.80	127.20	
53		28.07.16	बैरमपुर		30.30	121.20	03.08.2016	
54			कर्मदासपट्टी		30.80	123.20		
55			आतापट्टी		31.10	124.40		
56			खरचलपुर		30.20	120.80		
57			मधसिया		32.70	130.80		
58			खादारामपुर		30.00	120.00		
59			सिकन्दरपुर		31.10	124.40		
60			रघुनाथपुर		30.00	120.00		
61		29.10.16	पश्चिम पट्टी		30.30	121.20	26.12.2016	
62			बुढानपट्टी		29.50	118.00		
63			जमालपुर काजी		30.00	120.00		
64			कटघर कबूल		30.80	123.20		
65			रानीपुर		32.40	129.60		
66			अजोरी करीम		35.40	141.60		
67			जमीन कटघर		29.00	116.00		

68			महरानी		30.00	120.00		
69			सोफीपुर		33.50	134.00		
70			टेकमलपुर		30.00	120.00		
71			खलीफतपुर तप्पा कोठा		30.20	120.80		
72			शंकरडीह		30.00	120.00		
73	सगड़ी	25.07. 16	चकबिजली		26.40	105.60	03.08.2016	
74			झूसी		28.30	113.20		
75			राघोपुर		22.00	88.00		
76			खैरुद्दीनपुर		40.70	162.80		
77			फिरोजपट्टी		27.20	108.80		
78			बिजरवा		40.10	160.40		
79			दुल्लापार		40.10	160.40		
80			28.07. 16	बाकीपुर सोनहरिया		28.60		114.40
81		सरायधानी			21.40	85.60		
82		सियरहा			41.20	164.80		
83		दुर्बहन बुजुर्ग			22.00	88.00	24.10.2016	
84		पाण्डेयपोखर			27.80	111.20		
85		टण्डवा			28.30	113.20		
86		फूलपुर	25.07. 16	रूपाईपुर		24.00	96.00	03.08.2016
87				सोहायल		22.40	89.60	
88				निजामपुर		25.10	100.40	
89	सकतपुर				26.80	107.20		
90	खानपुरचन्दू				22.40	89.60		
91	समसाबाद				25.70	102.80		
92	पारा				26.20	104.80		
93	पूराकोदर्ई				22.40	89.60		
94	बिड़हर				22.40	89.60		

			मयचक खजूरा			
95			अणिका		24.60	98.40
96		28.07. 16	पूरारामजी		23.50	94.00
97			गोखवल		23.50	94.00
98			चकिया		25.10	100.40
99			बखरिया		23.50	94.00
100			सुक्खीपुर		22.40	89.60
101			इमलीमहुवा		22.90	91.60
102			सजनी		22.40	89.60
103			नशोपुर		23.50	94.00
104			सुलेमापुर		22.40	89.60
105			सुल्तानपुर		24.00	96.00
106			मैनुद्दीनपुर		33.90	135.60
107			भभूरिया		22.40	89.60
108			पूरादूबे		25.10	100.40
109			हमीरपुर		24.00	96.00
110			शाहपुर		24.00	96.00
111			मुतकल्लीपुर		24.00	96.00
112			रैदा		25.10	100.40
113			चौदपुर		22.40	89.60
114			मैलानीपुर		24.00	96.00
115			मधवापुर		22.40	89.60

### जनपद—मऊ

क्र०सं 0	तहसील	बैठक का दिनांक	ग्राम	कलेक्टर सर्किल रेट (प्रति हे०में)	प्रतिफल की दर (प्रति हे० में०)	अनुमोदन का दिनांक
1	सदर	04.08.16	पिजड़ा	50.00	200.00	16.08.2016
2			ओन्हाईच	70.00	280.00	

3		अहिलाद	40.00	160.00
4		पिपरी	90.00	360.00
5		पतिला	40.00	160.00
6		मजखनी	40.00	160.00
7		सुअराभोज	40.00	160.00
8		शहजादपुर	40.00	160.00
9		सरायअली	40.00	160.00
10		ताजपुर	40.00	160.00
11		नियामतपुर उर्फ बगली	50.00	200.00
12		खरगजेपुर	90.00	360.00
13	मु0बाद गोहना	भाटीकला	34.00	136.00
14		भाटीखुर्द	34.00	136.00
15		जहनियापुर	34.00	136.00
16		खुशामदपुर	34.00	136.00
17		सैदपुर	34.00	136.00
18		जमुई	71.00	284.00
19		हुसैनपट्टी	34.00	136.00
20		रैकड़	34.00	136.00
21		अरैला	34.00	136.00
22		काजीपुर बस्ती	34.00	136.00
23		भुजहीं	71.00	284.00
24		बरडीहां	34.00	136.00
25		शमसाबाद	71.00	284.00
26		करहों	71.00	284.00
27		कोटियां	40.00	160.00
28		क्याड खास	34.00	136.00
29		टड़वा चौबेपुर	40.00	160.00

30			कोतवालीपुर	34.00	136.00	
31			पोंछा	34.00	136.00	
32			मुबारकपट्टी	34.00	136.00	
33			याकूबपुर	34.00	136.00	
34			लखनपुरा	34.00	136.00	
35			सादीपुर	34.00	136.00	
36			चाल्हा	34.00	136.00	
37			खरेहां	34.00	136.00	
38			भुसुवा	71.00	284.00	
39			दतौली	34.00	136.00	
40			तियरा	34.00	136.00	
41			पिरुआँ	34.00	136.00	
42			अमेठी	34.00	136.00	
43			गोकुलपुरा	40.00	160.00	
44			शम्भूपुर	34.00	136.00	

### जनपद—गाजीपुर

क्रमांक	तहसील का नाम	बैठक का दिनांक	ग्राम का नाम	भूमि की प्रास्थिति	सर्किल रेट (रु० प्रति हे०)	समिति द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का चार गुना (रु०प्रति हे०)	अनुमोदन का दिनांक
1.	मुहम्मदाबाद	05.07.16	पड़राव	सामान्य	6000000.00	24000000.00	02.08.2016
2			चकखैरुल्लाह	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
3			नूरपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
4			सेमऊर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
5			सहजतपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
6			खेमपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
7			देवरिया	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
8			पलिया	सामान्य	6000000.00	24000000.00	

9		29.07.16	नसीरपुर गन्धपा	सामान्य	6000000.00	24000000.00	19.08.2016
10			कादीपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
11			जोगामुसाहिब	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
12		13.10.16	नूरपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	17.10.2016
13			मलसा	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
14			सोनाड़ी	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
15			चकवाला	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
16			शेर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
17			चांदपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
18			चक अहमद कला	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
19			चकडुमरिया	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
20			वाजिदपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
21			गिरधरिया	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
22			जोगा मुसाहिब	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
23			पारो	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
24			हैदरिया	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
25			सराय दबौलिया	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
26			कन्धौरा कला	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
27			निजामपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
28			बाराचवर	सामान्य	8500000.00	34000000.00	
29	कासिमाबाद	05.07.16	नसीरुद्दीनपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	02.08.16
30			कुरथौरा	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
31		29.07.16	टोडरपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	19.08.16
32			मुबारकपुर खेदू	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
33			सलेमपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	



34			मुहम्मदपुर रजाक	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
35			टोडार	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
36			नसीराबाद	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
37			खिजीरपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
38			शाहबुद्दीनपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
39			मुहम्मदपुर खरा	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
40			अहिरौली	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
41			दहेन्दू	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
42			राजापुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
43			सहाबलपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
44			मूसैपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
45			पहाड़पुर चक अम्बर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
46			सुल्तानपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
47			कुतुबपुर	सामान्य	7000000.00	28000000.00	
48			बद्दोपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
49			मलिकपुरा	सामान्य	6000000.00	24000000.00	
50			सिंगेरा	सामान्य	14000000.00	56000000.00	
51			हरकरनपुर	सामान्य	8000000.00	32000000.00	
52			नखतपुर	सामान्य	8000000.00	32000000.00	
53			सराय उर्फ हैदरगंज	सामान्य	14000000.00	56000000.00	
54			कोदई	सामान्य	8000000.00	32000000.00	
55			कोर	सामान्य	8000000.00	32000000.00	
56			सेवठा	सामान्य	8000000.00	32000000.00	
57		13.10.16	धरवारा खुर्द	सामान्य	6000000.00	24000000.00	17.10.16

58		झिगुरी	सामान्य	6000000.00	24000000.00
59		अन्धौरा	सामान्य	6000000.00	24000000.00
60		मोहीउद्दीनपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00
61		महमूदपुर	सामान्य	6000000.00	24000000.00
62		सिधउत	सामान्य	6000000.00	24000000.00
63		सुतिहार	सामान्य	6000000.00	24000000.00
64		धरवारा कला	सामान्य	7000000.00	28000000.00
65		डोड़सर	सामान्य	8000000.00	32000000.00
66		बेलसड़ी	सामान्य	14000000.00	56000000.00

### परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता की अद्यतन स्थिति—

परियोजना से सम्बन्धित 09 जनपदों में परियोजना के पक्ष में भूमि की वर्तमान में उपलब्धता की अद्यतन स्थिति (दिनांक 17.05.2017) संलग्न है।

उपरोक्त समस्त बिन्दु कृपया मा0 बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

**कार्यवाही/निर्णय:—**अपर/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे में सर्विस रोड़ बनाने के लिए कम्पनीयों द्वारा विभिन्न जनपदों में 211.0359 हे0 अतिरिक्त भूमि की माँग की गई थी, जिस के लिए अतिरिक्त भूमि पूर्व प्रचलित नियमों के तहत कृषको से क्रय अधिग्रहीत की गयी है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु लगभग 4724.5952 हे0 भूमि की आवश्यकता है जिसमें 4135.8060 हे0 प्राइवेट काश्तकार भूमि है। अब तक 40.06 प्रतिशत 1960 भूमि कृषको से क्रय कर ली गयी है। शेष भूमि शीघ्र क्रय करने हेतु जिलाधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहते हुए भूमि क्रय कार्य कराया जा रहा है साथ ही यूपीडा से प्रत्येक जनपद से वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से भ्रमण पर भेज कर भूमि क्रय में आने वाली कठिनाईयों को स-समय निस्तारित भी किया जा रहा है। निदेशक मण्डल द्वारा तथ्यों से अवगत होते हुए भूमि क्रय प्रक्रिया पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

### एजेण्डा बिन्दु संख्या0 7:—अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

#### 7.1 संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:—

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर की गई निम्नवत् नियुक्तियों का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:—

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या/ तिथि
1.	श्री आनन्द सिंह	भू-वैज्ञानिक	03 माह	08.08.2016	112/यूपीडा/626/16/अधि0 दि0 04.08.2016
2.	श्री बी0सी0 तिवारी	विशेष कार्याधिकारी (वन)	एक वर्ष	01.10.2016	1521/यूपीडा/610/16/अधि0 दि0 23.09.2016
3	श्री जय प्रकाश सिंह	सलाहकार (भूमि अर्जन)	एक वर्ष	12.05.2017	376/यूपीडा/705/17/अधि0 दि0 11.05.2017

7.2 संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

क्र०सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या/ तिथि	अभ्युक्ति
1.	श्री डी०एस० शर्मा	सलाहकार (भूमि अध्याप्ति)	09.06.2016 09.12.2016	06 माह 06 माह	09.12.2016 तक 09.06.2017	557/यूपीडा/235/14/ अधि० दि० 15.06.2016 2117/यूपीडा/235/14 /अधि० दि० 14.12.2016	दि०13.04.2017 के बाद अनुपस्थित रहने के कारण संविदा समाप्त की गयी।
2.	श्री के० के० गुप्ता	पार्टटाइम सलाहकार रिटेनरशिप पर	25.06.2016 25.12.2016	06 माह 06 माह	25.12.2016 तक 25.06.2017 तक	720/यूपीडा/424/15/ अधि० दि० 04.07.2016 2408/यूपीडा/424/15 /अधि० दि० 16.01.2017	
3	श्री प्रभात कुमार	सलाहकार परियोजना	06.02.2017	एक वर्ष	06.02.2018 तक	2343/यूपीडा/262/14 /अधि० दि० 06.01.2017	
4	श्री ओम प्रकाश पाठक	विशेष कार्याधिकारी (भूमि अर्जन)	16.02.2017	एक वर्ष	16.02.2018 तक	2616/यूपीडा/528/15 /अधि० दि० 10.02.2017	
5	श्री आनन्द सिंह	भू-वैज्ञानिक	07.11.2016 07.02.2017	03 माह 03 माह	07.02.2017 तक 07.05.2017 तक	1866/यूपीडा/626/16 /अधि० दि० 03.11.2016 2683/यूपीडा/626/16 /अधि० दि० 22.02.2017	दि० 12.04. 2017 को त्यागपत्र देने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किया गया।
6	श्री के०के० सिंह विसेन	विशेष कार्याधिकारी (ए०सी०ई०ओ०)	02.04.2017	एक वर्ष	02.04.2018 तक	2809/यूपीडा/405/15 /अधि० दि० 10.03.2017	
7	श्री हेमन्त कुमार चौहान	स्टाफ ऑफीसर (टेक०)सी०ई०ओ०	11.02.2017	06 माह	11.08.2017 तक	2287/यूपीडा/434/15 /अधि० दि० 02.01.2017	
8	श्री राकेश मेहरोत्रा	विशेष कार्याधिकारी (सी०ई०ओ०)	14.06.2016 14.12.2016	06 माह 06 माह	14.12.2016 तक 14.06.2017 तक	530/यूपीडा/474/15/ अधि० दि० 14.06.2016 2118/यूपीडा/474/15 /अधि० दि० 14.12.2016	दि० 10. 04.2017 को त्याग- पत्र दिया गया, जो स्वीकार कर लिया गया।
9	श्री अनूप श्रीवास्तव	प्रबन्धक (तकनीकी)	31.01.2017	एक वर्ष	31.01.2018 तक	2310/यूपीडा/398/14 /अधि० दि० 04.01.2017	
10.	श्री किशोर कुमार पाण्डेय	प्रबन्धक (वित्त)	30.04.2017	एक वर्ष	30.04.2018 तक	2894/यूपीडा/180/12 / अधि० दि० 21.03.2017	
11.	श्री प्रकाश नारायण टण्डन	प्रबन्धक (पर्यावरण)	28.11.2016 28.05.2017	06 माह 06 माह	28.05.2017 तक 28.11.2017 तक	1898/यूपीडा/468/15 / अधि० दि० 07.11.2016 420/यूपीडा/468/15/ अधि० दि० 15.05.2017	
12	श्री सन्त प्रसाद तिवारी	प्रबन्धक (प्रशासन)	09.06.2016	एक वर्ष	09.06.2017 तक	350/यूपीडा/248/14/ अधि० दि० 26.05.2016	
13	श्री योगेश नाथ लाल	स्पेशल फील्ड आफीसर	22.06.2016 22.12.2016	06 माह 06 माह	22.12.2016 तक 22.06.2017 तक	556/यूपीडा/375/14/ अधि० दि० 15.06.2016 2148/यूपीडा/375/14 / अधि० दि० 16.12.2016	

14	श्री धर्मपाल सिंह सिसौदिया	तहसीलदार	18.06.2016 18.12.2016 18.03.2017	06 माह 03 माह से	18.12.2016 तक 18.03.2017 तक 30.09.2017 तक	696/यूपीडा/369/14 अधि० दि० 29.06.2016 2177/यूपीडा/369/14 अधि० दि० 20.12.2016 263/यूपीडा/369/14 अधि० दि० 28.04.2017	
15	श्री श्याम शंकर शुक्ला	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	11.08.2016 11.02.2017	06 माह 06 माह	11.02.2017 तक 11.08.2017 तक	957/यूपीडा/261/14/ अधि०दि० 29.07.2016 2405/यूपीडा/261/14 /अधि०दि० 16.01.2017	
16	श्री उमा निवास त्रिपाठी	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	31.08.2016	एक वर्ष	31.08.2017 तक	1214/यूपीडा/586/16 /अधि०दि० 23.08.2016	
17	श्री अनिल कुमार गुप्ता	सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)	13.10.2016 13.04.2017	06 माह 06 माह	13.04.2017 तक 13.10.2017 तक	1594/यूपीडा/334/14 / अधि०दि० 04.10.2016 2874/यूपीडा/334/14 /अधि०दि० 20.03.2017	
18	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	जनसम्पर्क अधिकारी	21.08.2016 21.02.2017	06 माह 06 माह	21.02.2017 तक 21.08.2017 तक	1063/यूपीडा/286/14 / अधि०दि० 08.08.2016 2595/यूपीडा/286/14 /अधि०दि० 09.02.2017	
19	श्री वी० के० चतुर्वेदी	निजी सचिव	31.12.2016	एक वर्ष	31.12.2017 तक	2119/यूपीडा/568/16 /अधि० दि० 14.12.2016	
20	श्री अजय कुमार गुप्ता	लेखाकार	31.07.2016 31.01.2017	06 माह एक वर्ष	31.01.2017 तक 31.01.2018 तक	940/यूपीडा/504/15/ अधि० दि० 28.07.2016 2406/यूपीडा/504/15 /अधि० दि० 16.01.2017	
21	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	27.07.2016 27.01.2017	06 माह 06 माह	27.01.2017 तक 27.07.2017 तक	658/यूपीडा/519/15/ अधि० दि० 27.06.2016 2281/यूपीडा/519/15 /अधि० दि० 02.01.2017	
22	श्री भगौली प्रसाद	आडीटर/लेखाकार	06.07.2016 06.01.2017	06 माह 06 माह	06.01.2017 तक 06.07.2017 तक	659/यूपीडा/497/15/ अधि० दि० 27.06.2016 2283/यूपीडा/497/15 /अधि० दि० 02.01.2017	
23	श्रीमती कंचन तिवारी	आडीटर/लेखाकार	13.01.2017	06 माह	13.07.2017 तक	2286/यूपीडा/503/15 /अधि० दि० 02.01.2017	
24	श्री राम सुधार यादव	वरिष्ठ सहायक	22.06.2016 22.12.2016	06 माह 06 माह	22.12.2016 तक 22.06.2017 तक	609/यूपीडा/243/14/ अधि० दि० 22.06.2016 2190/यूपीडा/243/14 /अधि० दि० 21.12.2016	
25	श्री के०एन०निगम	लेखा लिपिक	19.10.2016 19.04.2017	06 माह 06 माह	19.04.2017 तक 19.10.2017 तक	1712/यूपीडा/335/14 / अधि० दि० 17.10.2016 2877/यूपीडा/335/14 /अधि० दि० 21.03.2017	
26	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.11.2016 14.05.2017	06 माह 06 माह	14.05.2017 तक 14.11.2017 तक	1896/यूपीडा/351/14 / अधि० दि० 07.11.2016 339/यूपीडा/351/14/ अधि० दि० 08.05.2017	
27	श्री रमेश चन्द्र वैशवार	राजस्व निरीक्षक	30.06.2016 30.12.2016	06 माह 06 माह	30.12.2016 तक 30.06.2017 तक	610/यूपीडा/318/14/ अधि० दि० 22.06.2016 2149/यूपीडा/318/14 /अधि० दि० 16.12.2016	
28	श्री वागीश कुमार	डिस्पैचर	12.07.2016	06 माह	12.01.2017 तक	657/यूपीडा/490/15/ अधि० दि० 27.06.2016	

	श्रीवास्तव		12.01.2017	06 माह	12.07.2017 तक	2285/यूपीडा/490/15/अधि0 दि0 02.01.2017
29.	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक (विधि)	13.11.2016	06 माह	13.05.2017 तक	1897/यूपीडा/347/14/अधि0 दि0 07.11.2016
			13.05.2017	06 माह	13.11.2017 तक	1897/यूपीडा/347/14/अधि0 दि0 07.11.2016
30.	श्री भोलानाथ यादव	डाकरनर	28.11.2016	06 माह	28.05.2017 तक	1982/यूपीडा/467/15/अधि0 दि0 17.11.2016
			28.05.2017	06 माह	28.11.2017 तक	421/यूपीडा/467/15/अधि0 दि0 15.05.2017
31	श्री कालीचरन	डाकरनर	01.08.2016	06 माह	01.02.2017 तक	939/यूपीडा/406/15/अधि0 दि0 28.07.2016
			01.02.2017	06 माह	01.08.2017 तक	2380/यूपीडा/406/15/अधि0 दि0 12.01.2017
32	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर पी0आई0यू0 - 3 यूपीडा, इटावा	11.09.2016	06 माह	11.03.2017 तक	1416/यूपीडा/431/15/अधि0 दि0 14.09.2016
			11.03.2017	06 माह	11.09.2017 तक	2804/यूपीडा/431/15/अधि0 दि0 09.03.2017
33	श्री अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर पी0आई0यू0 - 5 यूपीडा, लखनऊ	20.07.2016	06 माह	20.01.2017 तक	932/यूपीडा/391/15/अधि0 दि0 27.07.2016
			20.01.2017	06 माह	20.07.2017 तक	2332/यूपीडा/391/15/अधि0 दि0 05.01.2017
34	श्री विजय सिंह	लेखाकार कम कैशियर पी0आई0यू0 - 4 यूपीडा, कन्नौज	30.07.2016	06 माह	30.01.2017 तक	931/यूपीडा/401ए/15/अधि0 दि0 27.07.2016
			30.01.2017	06 माह	30.07.2017 तक	2342/यूपीडा/401ए/15/अधि0 दि0 06.01.2017
35	श्री वीरेन्द्र कुमार बैजल	लेखाकार कम कैशियर पी0आई0यू0 - 1 यूपीडा, आगरा	28.07.2016	06 माह	28.01.2017 तक	1008/यूपीडा/400/15/अधि0 दि0 03.08.2016
			28.01.2017	06 माह	27.07.2017 तक	2467/यूपीडा/400/15/अधि0 दि0 27.01.2017
36	श्री दामोदर सिंह	लेखाकार कम कैशियर पी0आई0यू0 - 2 यूपीडा, शिकोहाबाद	30.07.2016	06 माह	30.01.2017 तक	956/यूपीडा/402/15/अधि0 दि0 29.07.2016
			30.01.2017	06 माह	30.07.2017 तक	2491/यूपीडा/402/15/अधि0 दि0 31.01.2017

**7.3 प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-**

प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा के पूर्व निर्गत आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुसार प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किये गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराई गई जिसकी बोर्ड से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना है:-

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	तैनाती स्थल	अनुमन्यता की तिथि	प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रतिमाह	
					पेट्रोल व्यय	मोबाइल व्यय
1.	श्री मनीष कुमार सिंह	अवर अभियंता	पी0आई0यू0-3, यूपीडा इटावा	07.04.2016 से	60 ली0	500/-
2.	श्री उमा निवास त्रिपाठी	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	यूपीडा मुख्यालय	01.03.2016 से	50 ली0	400/-
3.	श्री बी0सी0 तिवारी	मुख्य वन संरक्षक	यूपीडा मुख्यालय	09.04.2016 से	-	1000/-

4.	श्री राकेश वर्मा	सहायक अभियंता	यूपीडा मुख्यालय	09.06.2016 से	100 ली0	500/-
5	श्री कृष्ण शर्मा	अवर अभियन्ता	पी0आई0यू0-1 यूपीडा आगरा	18.09.2015 से	60 ली0	500/-

7.4 प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने विषयक आदेश सं0 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 1477/यूपीडा/116/08।।/अधि0 दिनांक 20.09.2016 के अनुसार कार्यवाही हेतु बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

प्राधिकरण के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा के आदेश सं0 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 1477/यूपीडा/116/08।।/अधि0 दिनांक 20.09.2016 के अनुसार निम्नवत् कार्यवाही किये जाने हेतु बोर्ड बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाना है:-

प्रतिनियुक्ति/संविदा पर उक्त आदेश दिनांक 09.09.2014 में उल्लिखित पदों पर तैनात होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त आदेश की तिथि अथवा यूपीडा में उनके योगदान की तिथि, जो भी बाद में हो, से पेट्रोल/मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर वित्त नियंत्रक द्वारा नियमानुसार की जायेगी तथा उसका अनुमोदन यूपीडा की आगामी बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जायेगा। उन पदों पर तैनात होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त सुविधा की अनुमन्यता हेतु अलग से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

यूपीडा के उक्त आदेश दिनांक 09.09.2014 में उल्लिखित पदों से भिन्न पदों पर तैनात होने वाले अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त सुविधा की प्रतिपूर्ति हेतु अलग से निर्णय लिया जायेगा।

7.5 वर्ष 2017-18 हेतु प्राधिकरण में ट्रेवल एजेन्सी के माध्यम से प्रयोग में लाये जा रहे वाहनों (टैक्सी) की दरों के किये गये नवीनीकरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

प्राधिकरण में मेसर्स किस्टल टूर्स एण्ड ट्रैवल्स के माध्यम से प्रयोग में लाये जा रहे वाहनों (टैक्सी) की पूर्व दरों पर दिनांक 07.03.2017 को नवीनीकरण करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया जाना है।

7.6 वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु टेण्डर के माध्यम से दरों का निर्धारण करते हुए फर्मों से किये गये अनुबन्ध का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राधिकरण में स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु टेण्डर के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की दरों का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित फर्मों से अनुबन्ध किया गया, जिसका अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया जाना है :-

1. मेसर्स विद्या इण्टरप्राइजेज, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मेसर्स प्रकाश स्टेशनर्स हाउस, कैसरबाग, लखनऊ।
3. मेसर्स सी कम्प्यूटर्स, आलमबाग, लखनऊ।

7.7 आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती हेतु सेवाप्रदाताओं से टेण्डर आमंत्रित करते हुए कार्यवाही किया जाना :-

आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती हेतु सेवाप्रदाताओं से टेण्डर आमंत्रित किये जा चुके हैं, जिन पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

7.8 वर्ष 2017-18 में सम्पन्न होने वाली बैठकों आदि हेतु खान-पान की व्यवस्था गोमती होटल, लखनऊ (शासकीय उपक्रम) से कराये जाने हेतु किये गये अनुबन्ध की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना :-

वर्ष 2017-18 में सम्पन्न होने वाली बैठकों आदि हेतु खान-पान की व्यवस्था गोमती होटल, लखनऊ (जो एक शासकीय उपक्रम हैं) से अनुबन्ध किया गया है, जिसकी बोर्ड से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

**कार्यवाही/निर्णय:**—अपर/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अधिष्ठान से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर पृथक-पृथक निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया, उक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल ने एजेण्डा बिन्दु-7.1 से 7.8 तक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया, 7.3 पर प्रस्तुत मोबाइल व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धित प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के वित्त विभाग के सदस्य द्वारा मोबाइल भत्ते के स्थान पर सी0यू0जी0 कनेक्शन दिए जाने का परामर्श दिया, उक्त पर यूपीडा के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सी0यू0जी0 कनेक्शन देने के प्रस्ताव पर पूर्व में विचार किया गया था, किन्तु अनेक कर्मचारियों के पास सिंगल सिम मोबाइल होने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा यह परामर्श दिया गया इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर ली जाए कि क्या कोई टेलीकॉम कम्पनी सी0यू0जी0 कनेक्शन के साथ मोबाइल हेण्ड सेट भी उपलब्ध करा रही है अथवा नहीं, तब तक पूर्व प्रचलित व्यवस्था यथावत् रहेगी अन्य बिन्दुओं पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या0 8.1:—प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी स्टाफ, फील्ड आफिस आदि से सम्बन्धित आवश्यकता के सम्बन्ध में।**

प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना में यूपीडा की ओर से परियोजना के सुपरविजन हेतु तकनीकी स्टाफ का अनुमोदन यूपीडा निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। वांछित आवश्यक तकनीकी स्टाफ का विवरण निम्न है।

**मुख्यालय (तकनीकी सेल)**

मुख्य अभियन्ता	— 02 (वर्तमान में यूपीडा में तैनात है)
अधीक्षण अभियन्ता	— 01 (वर्तमान में यूपीडा में तैनात है)
अधिशासी अभियन्ता	— 02 (वर्तमान में यूपीडा में तैनात है)
सहायक अभियन्ता	— 04 (वर्तमान में 03 सहायक अभियन्ता तैनात है)
अवर अभियन्ता प्राविधिक	— 01 (वर्तमान में तैनात है)

परियोजना के यूपीडा की ओर से सुपरविजन एवं गुणता नियंत्रण के लिए प्रस्तावित 8 नं0 पी0आई0यू0 (फील्ड आफिस) हेतु आवश्यक तकनीकी स्टाफ का विवरण निम्नवत् है:—

अधिशासी अभियन्ता	— 08 (01 प्रति पैकेज)
सहायक अभियन्ता	— 24 (03 प्रति पैकेज)
अवर अभियन्ता	— 24 (03 प्रति पैकेज)

उपरोक्त अभियन्ताओं की आंशिक पूर्ति आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में तैनात अभियन्ताओं से की जाएगी एवं शेष अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया जाएगा। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार समय-समय पर तकनीकी स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने, स्थानान्तरण पर या अन्यथा तकनीकी स्टाफ को कार्यमुक्त करने आदि हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को प्राधिकृत किया जाना भी प्रस्तावित है।

**8.2 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्रियान्वयन हेतु अर्थोरिटी इंजीनियर के चयन के सम्बन्ध में**  
प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई 353.46 किमी है। यह एक वृहद परियोजना है जिसके निर्माण हेतु परियोजना को 08 पैकेजों में विभक्त किया गया है। अतः निर्माण कार्यों के सुपरविजन हेतु 02 पृथक अर्थोरिटी इंजीनियर का चयन, क्रमशः पैकेज सं0- 01 से 04 एवं पैकेज सं0- 05 से 08 हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु अथॉरिटी इंजीनियर का चयन आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना की चयन प्रक्रिया के अनुरूप एवं भूतल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। जिसके क्रम में निविदा सूचना जारी किया जाना अपेक्षित है। अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु टीओआर (TOR) व सेवा शर्तों का विवरण निम्नवत् है:-

### **TERMS OF REFERENCE FOR SELECTION OF AUTHORITY'S ENGINEER**

**Note: The term "Agreement" and clauses thereof refer to the EPC Agreement dated\*\*----- entered between Authority and \_\_\_\_\_(the Contractor\*\*) for the Construction and Maintenance work from km\*\* \_\_ to\*\* \_\_ of Purvanchal Expressway in the State of Uttar Pradesh on Engineering, Procurement and Construction (EPC) basis].\*\***

- i) Package-I (Expressway from (-)0+456 to 40+200), Agreement Dated: \_\_\_\_\_
- ii) Package-II (Expressway from 40+200 to 79+900), Agreement Dated: \_\_\_\_\_
- iii) Package-III (Expressway from 79+900 to 121+600), Agreement Dated: \_\_\_\_\_
- iv) Package-IV (Expressway from 121+600 to 164+300), Agreement Dated: \_\_\_\_\_
- v) Package-V (Expressway from Km 164.300 to 218.300), Agreement Dated: \_\_\_\_\_
- vi) Package-VI (Expressway from 218.300to 246+500), Agreement Dated: \_\_\_\_\_
- vii) Package-VII (Expressway from 246+500 to 292+530), Agreement Dated: \_\_\_\_\_
- viii) Package-VIII(Expressway from 292+530 to 340+500), Agreement Dated: \_\_\_\_\_

### **1. Scope**

- 1.1. These Terms of Reference (the "TOR") for the Authority's Engineer are being specified pursuant to the EPC Agreement dated\*\* \_\_\_\_\_ (the "Agreement"), which has been entered into between the Authority and \_\_\_\_\_ (the "Contractor\*\*") for\*\*Development of Six-LaneSamajwadi PurvanchalExpressway section (km-(0)+456 to km 164+300) in the State of Uttar Pradesh on Engineering, Procurement, Construction (EPC) basis, and a copy of which is annexed hereto and marked as Annex-A to form part of this TOR.
- 1.2. The TOR shall apply to construction and maintenance of Package I, II, III& IV of the Project Expressway.

### **2. Definitions and interpretation**

- 2.1. The words and expressions beginning with or in capital letters and not defined herein but defined in the Agreement shall have, unless repugnant to the context, the meaning respectively assigned to them in the Agreement.
- 2.2. References to Articles, Clauses and Schedules in this TOR shall, except where the context otherwise requires, be deemed to be reference to the Articles, Clauses and Schedules of the Agreement, and references to Paragraphs shall be deemed to be references to Paragraphs of this TOR.
- 2.3. The rules of interpretation stated in Clauses 1.2, 1.3 and 1.4 of the Agreement shall apply, *mutatis mutandis*, to this TOR.

### **3. General**

- 3.1. The Authority's Engineer shall discharge its duties in a fair, impartial and efficient manner, consistent with the highest standards of professional integrity and Good Industry Practice.



- 3.2. The Authority's Engineer shall perform the duties and exercise the authority in accordance with the provisions of this Agreement, but subject to obtaining prior written approval of the Authority before determining.
  - a) Any Time Extension.
  - b) Any additional cost to be paid by the Authority to the Contractor;
  - c) The Termination Payment; or
  - d) Any other matter which is not specified in (a), (b) or (c) above and which creates an obligation or liability on either Party for a sum exceeding Rs. 5,000,000 (Rs. Fifty lakh.)
- 3.3. The Authority's Engineer shall submit regular periodic reports package-wise, at least once every month, to the Authority in respect of its duties and functions under this Agreement. Such reports shall be submitted by the Authority's Engineer within 10 (ten) days of the beginning of every month.
- 3.4. The Authority's Engineer shall inform the Contractor of any delegation of its duties and responsibilities to its suitably qualified and experienced personnel; provided, however, that it shall not delegate the authority to refer any matter for the Authority's prior approval in accordance with the provisions of Clause 18.2 EPC Agreement.
- 3.5. The Authority's Engineer shall aid and advise the Authority on any proposal for Change of Scope under Article 13.
- 3.6. In the event of any disagreement between the Parties regarding the meaning, scope and nature of Good Industry Practice, as set forth in any provision of the Agreement, the Authority's Engineer shall specify such meaning, scope and nature by issuing a reasoned written statement relying on good industry practice and authentic literature.

#### **4. Construction Period**

- 4.1. During the Construction Period, the Authority's Engineer shall review the Drawings furnished by the Contractor along with supporting data, including the geo-technical and hydrological investigations, characteristics of materials from borrow areas and quarry sites, topographical surveys, and the recommendations of the Safety Consultant in accordance with the provisions of Clause 10.1.6 of EPC Agreement. The Authority's Engineer shall complete such review and send its observations to the Authority and the Contractor within 15 (fifteen) days of receipt of such Drawings; provided, however that in case of a Major Bridge or Structure, the aforesaid period of 15 (fifteen) days may be extended up to 30 (thirty) days. In particular, such comments shall specify the conformity or otherwise of such Drawings with the Scope of the Project and Specifications and Standards.
- 4.2. The Authority's Engineer shall review any revised Drawings sent to it by the Contractor and furnish its comments within 10 (ten) days of receiving such Drawings. The review of drawing should be authenticated by Authority's Engineer.
- 4.3. The Authority's Engineer shall review the Quality Assurance Plan submitted by the Contractor and shall convey its comments to the Contractor within a period of 21 (twenty- one) days stating the modifications, if any, required thereto.
- 4.4. The Authority's Engineer shall complete the review of the methodology proposed to be adopted by the Contractor for executing the Works, and convey its comments to

the Contractor within a period of 10 (ten) days from the date of receipt of the proposed methodology from the Contractor.

- 4.5. The Authority's Engineer shall grant written approval to the Contractor, where necessary, for interruption and diversion of the flow of traffic in the existing lane(s) of the Project Highway for purposes of maintenance during the Construction Period in accordance with the provisions of Clause 10.4 EPC Agreement.
- 4.6. The Authority's Engineer shall review the monthly progress report furnished by the Contractor and send its comments thereon to the Authority and the contractor within 7 (seven) days of receipt of such report.
- 4.7. The Authority's Engineer shall inspect the Construction Works and the Project Highway and shall submit a monthly Inspection Report bringing out the results of inspections and the remedial action taken by the Contractor in respect of Defects or deficiencies for each package separately. In particular, the Authority's Engineer shall include in its Inspection Report, the compliance of the recommendations made by the Safety Consultant.
- 4.8. The Authority's Engineer shall conduct the pre-construction review of manufacturer's reports and standard samples of manufactured Materials, and such other Materials as the Authority's Engineer may require.
- 4.9. For determining that the Works conform to Specifications and Standards, the Authority's Engineer shall require the Contractor to carry out, or cause to be carried out, tests at such time and frequency and in such manner as specified in the Agreement and in accordance with Good Industry Practice for quality assurance. For purposes of this Paragraph 4.9, the tests specified in the IRC Special Publication-11 (Handbook of Quality Control for Construction of Roads and Runways) and the Specifications for Road and Bridge Works issued by MoRT&H (the "Quality Control Manuals") or any modifications/substitution thereof shall be deemed to be tests conforming to Good Industry Practice for quality assurance.
- 4.10. The Authority's Engineer shall test check at least 20 (twenty) percent of the quantity or number of tests prescribed for each category or type of test for quality control by the Contractor for each package.
- 4.11. The timing of tests referred to in Paragraph 4.9, and the criteria for acceptance/rejection of their results shall be determined by the Authority's Engineer in accordance with the Quality Control Manuals. The tests shall be undertaken on a random sample basis and shall be in addition to, and independent of, the tests that may be carried out by the Contractor for its own quality assurance in accordance with Good Industry Practice.
- 4.12. In the event that results of any tests conducted under Clause 4.10 establish any Defects or deficiencies in the Works, the Authority's Engineer shall require the Contractor to carry out remedial measures.
- 4.13. The Authority's Engineer may instruct the Contractor to execute any work which is urgently required for the safety of the Project Highway, whether because of an accident, unforeseeable event or otherwise; provided that in case of any work required on account of a Force Majeure Event, the provisions of Clause 21.6 of EPC Agreement shall apply.
- 4.14. In the event that the Contractor fails to achieve any of the Project Milestones, the Authority's Engineer shall undertake a review of the progress of construction and

identify potential delays, if any. If the Authority's Engineer shall determine that completion of the Project Highway is not feasible within the time specified in the Agreement, it shall require the Contractor to indicate within 15 (fifteen) days the steps proposed to be taken to expedite progress, and the period within which the Project Completion Date shall be achieved. Upon receipt of a report from the Contractor, the Authority's Engineer shall review the same and send its comments to the Authority and the Contractor forthwith.

- 4.15. The Authority's Engineer shall obtain from the Contractor a copy of all the Contractor's quality control records and documents before the Completion Certificate is issued pursuant to Clause 12.4 of EPC Agreement.
- 4.16. Authority's Engineer may recommend to the Authority suspension of the whole or part of the Works if the work threatens the safety of the Users and pedestrians. After the Contractor has carried out remedial measure, the Authority's Engineer shall inspect such remedial measures forthwith and make a report to the Authority recommending whether or not the suspension hereunder may be revoked.
- 4.17. In the event that the Contractor carries out any remedial measures to secure the safety of suspended works and users, and requires the Authority's Engineer to inspect such works, the Authority's Engineer shall inspect the suspended works within 3 (three) days of receiving such notice, and make a report to the Authority forthwith, recommending whether or not such suspension may be revoked by the Authority.
- 4.18. The Authority's Engineer shall carry out, or cause to be carried out, all the Tests specified in Schedule-K and issue a Completion Certificate or Provisional Certificate as the case may be. For carrying out its functions under this Paragraph 4.18 and all matters incidental thereto, the Authority's Engineer shall act under and in accordance with the provisions of Article 12 and Schedule-K.
- 4.19. The inputs for Senior Highway Engineer, Senior Bridge Engineer shall be taken at least 40% in the field every month and the balance from the Headquarters, since for their services, substantial support is needed from the Headquarters. Besides, for the positioning of Sr. Contract specialist the input shall be minimum 20% period every month in the field and balance 80% at Headquarters. Similarly for the Team Leader and Dy. Team leader the input shall be minimum 10% period every month in the field and balance 90% at Headquarters.

## **5. Maintenance Period**

- 5.1. The Authority's Engineer shall aid and advise the Maintenance Contractor in the preparation of its monthly Maintenance Programme and for this purpose carry out a joint monthly inspection with Contractor. During this period the Authority will collect toll on the expressway project.
- 5.2. The Authority's Engineer shall undertake regular inspections, at least once every month to evaluate compliance with the Maintenance Requirements and submit a Maintenance Inspection Report to the Authority and the Contractor.
- 5.3. The Authority's Engineer shall specify the tests, if any, that the Contractor shall carry out, or cause to be carried out, for the purpose of determining that the Project Highway is in conformity with the Maintenance Requirements. It shall monitor and review the results of such tests and remedial measures, if any, taken by the Contractor in this behalf.

- 5.4. In respect of any defect or deficiency referred to in Paragraph 3 of Schedule-E, the Authority's Engineer shall, in conformity with Good Industry Practice, specify the permissible limit of deviation or deterioration with reference to the Specifications and Standards and shall also specify the time limit for repair or rectification of any deviation or deterioration beyond the permissible limit.
- 5.5. The Authority's Engineer shall examine the request of the Contractor for closure of any lane(s) of the Project Highway for undertakings maintenance/repair thereof, and shall grant permission with such modifications, as it may deem necessary, within 5 (five) days of receiving a request from the Contractor. Upon expiry of the permitted period of closure, the Authority's Engineer shall monitor the reopening of such lane (s), and in case of delay, determine the Damages payable by the Contractor to the Authority under Clause 14.5 of EPC Agreement

**6. Determination of costs and time**

- 6.1. The Authority's Engineer shall determine the costs, and/or their reasonableness, that are required to be determined by it under the Agreement.
- 6.2. The Authority's Engineer shall determine the period of Time Extension that is required to be determined by it under the Agreement.
- 6.3. The Authority's Engineer shall consult each Party in every case of determination in accordance with the provisions of Clause 18.5 of EPC Agreement.

**7. Payments**

- 7.1. The Authority's Engineer shall withhold payments for the affected works for which the Contractor fails to revise and resubmit the Drawings to the Authority's Engineer in accordance with the provision of Clause 10.2.4 (d) of EPC Agreement.
- 7.2. Authority's Engineer shall a) within 10 (ten) days of receipt of the Stage Payment Statement from the Contractor pursuant to Clause 19.4, determine the amount due to the Contractor and recommend the release of 90 (ninety) percent of the amount so determined as part payment, pending issue of the Interim Payment Certificate; and b) within 15 (fifteen) days of the receipt of the Stage Payment Statement referred to in Clause 19.4, deliver to the Authority and the Contractor an Interim Payment Certificate certifying the amount due and payable to the Contractor, after adjustments in accordance with the provisions of Clause 19.10 of EPC Agreement.
- 7.3. The Authority's Engineer shall, within 15 (fifteen) days of receipt of the Monthly Maintenance Statement from the Contractor pursuant to Clause 19.6 of EPC Agreement, verify the Contractor's monthly statement and certify the amount to be paid to the Contractor in accordance with the provisions of the Agreement.
- 7.4. The Authority's Engineer shall certify final payment with 30 (thirty) days of the receipt of the final payment statement of Maintenance in accordance with the provisions of Clause 19.16 of EPC Agreement.

**8. Other duties and functions**

The Authority's Engineer shall perform all other duties and functions as specified in the Agreement.

**9. Miscellaneous**

- 9.1. A copy of all communications, comments, instructions, Drawings or Documents sent by the Authority's Engineer to the Contractor pursuant to this TOR, and a copy of all the test results with comments of the Authority's Engineer thereon, shall be furnished by the Authority's Engineer to the Authority and Authority's Representative (Concerned Project Implementation Unit) forthwith.
- 9.2. The Authority's Engineer shall retain at least one copy each of all Drawings and Documents received by it, including 'as - built' Drawings and keep them in its safe custody.
- 9.3. Within 90 (ninety) days of the Project Completion Date, the Authority's Engineer shall obtain a complete set of as built Drawings in 2 (two) hard copies and in micro film form or in such other medium as may be acceptable to the Authority, reflecting the Project Highway as actually designed, engineered and constructed, including an as-built survey illustrating the layout of the Project Highway and setback lines, if any, of the buildings and structures forming part of project Facilities; and shall hand them over to the Authority against receipt thereof.
- 9.4. The Authority's Engineer, if called upon by the Authority or the Contractor or both, shall mediate and assist the Parties in arriving at an amicable settlement of any Dispute between the Parties.
- 9.5. The Authority's Engineer shall inform the Authority and the Contractor of any event of Contractor's Default within one week of its occurrence.

## **10. PERFORMANCE CLAUSE**

Authority's Engineers shall be expected to fully comply with all the provisions of the 'Terms of Reference', and shall be fully responsible for supervising the Designs, Construction and maintenance and operation of the facility takes place in accordance with the provisions of the EPC Agreement and other schedules. Any failure of the Authority Engineer in notifying to Employer and the Contractor on non-compliance of the provisions of the EPC Contract Agreement and other schedules by the EPC Contractor, non-adherence to the provision of ToR and non-adherence to the time schedule prescribed under ToR shall amount to non-performance.

The Authority Engineer shall appoint its authorized representative, who shall issue on behalf of the AE, the Provisional Completion Certification and Completion Certificate along with the Team Leader and shall carry out any such task as may be decided by Employer. The AE shall take prior approval of Employer before issuing Provisional Completion Certification and Completion Certificate. The proposal submitted shall also include the name of the authorized representative along with the authorization letter and power of attorney.

## **11. CONSULTANT'S PROPOSAL**

11.1. List of key personnel to be fielded by the Consultants shall be as below:

**For Headquarter at Package 1 to 4 : Lucknow & Package5 to 8 : Azamgarh**

- i. Team Leader Cum Senior Highway Engineer – 1 no. (common for 4 packages)
- ii. Deputy team Leader- 1 no. (common for 4 packages)
- iii. Sr. Contract Specialist - 1 no. (common for 4 packages)
- iv. Highway Design Specialist – 1 no. (common for 4 packages)
- v. Bridge Design Specialist – 1 no.(common for 4 packages)
- vi. Sr. Pavement Engineer – 2 nos.
- vii. Sr. Bridge / Structure Engineer – 2 nos.

**For field offices**

- i. Resident Engineer – 4 nos.
- ii. Sr. Quantity Surveyor – 4 nos.
- iii. Design Engineer (Bridges / Structures) –4 nos.
- iv. Highway Engineer – 4 nos.
- v. Bridge/Structural Engineer –4 nos.
- vi. Material Engineer – 4 nos.
- vii. Environment Expert – 1 no.(common for 4 packages)
- viii. Electrical Engineer – 2 nos.(common for 4 packages)
- ix. Geotechnical Expert – 1 no.(common for 4 packages)
- x. Building Design & Construction Engineer – 1 no.(common for 4 packages)
- xi. TMS and HTMS Expert – 2 no.(common for 4 packages)
- xii. Safety Engineer – 2 nos.(common for 4 packages)

Sub key professional & support staff shall be deployed as per the requirement subject to minimum as specified Appendix C-3

- 11.2. Broad job-description and minimum qualification for key personnel mentioned above is enclosed as Enclosure–B. However, higher marks shall be accorded to the Candidate with higher relevant qualification and experience. All the CV's of the personals mentioned in Para 5.3 (iii) of Data Sheet shall be evaluated at the time of evaluation of technical proposal. The age of the Key Personnel should not be more than the age specified under “Enclosure-B Qualification of Key Personnel” on the date of submission of proposal. Consultants are advised in their own interest to frame the technical proposal in an objective manner as far as possible so that these could be properly assessed in respect of points to be given as part of evaluation criteria. The bio-data of the key personnel should be signed on every sheet by the personnel concerned and the last sheet of each bio-data should also be signed by the authorized signatory for the Consultant. The key personnel shall also certify at the end of their bio-data proforma that they have not left any of the Employer works without completing of their assignment and have not accepted any other offer at the time of signing of the bio-data and as such shall be available to work with the Authority Engineer, if the Project is awarded. In case the key personnel leaves the assignment without approval of Employer, Employer would be at liberty to take any appropriate action against that key personnel including debarment. The CV submitted by selected firm/JV shall be hoisted on official website of Authority.
- 11.3. In addition to above, consultants are required to propose other key personnel, sub-professional staff and other field engineers as detailed in Enclosure-A and the minimum qualification requirements for the same is enclosed in Enclosure–B.

**12. PERIOD OF SERVICES**

- 12.1. The services of an Authority's Engineer will be in phases as per Contract Agreement.
- 12.1.1. The appointment of the Authority's Engineer shall initially be as per details given below:

<b>Period of service</b>	<b>Construction period (in months)</b>	<b>Maintenance/DLP Period</b>
96 months	36	60

The proposed manpower deployment for this period shall be matching the activities to be performed during the said period. The time frame for services during the deployment of key personnel during this period shall be as shown in Enclosure A.

### 13. PERFORMANCE SECURITY

The successful consulting firm shall have to submit a Bank Guarantee (BG) for an amount of 2.50% of the Contract Value within 15 days of issue of LOA. The BG shall be valid for a period of 2 months beyond the expiry of the Contract period. The BG shall be in the format specified in Appendix Hof draft contract form and furnished from a Nationalized Bank, IDBI or / ICICI Bank / EXIM Bank. In case of JV, the BG shall be furnished on behalf of the JV and not individually by the members.

**Enclosure-A**

#### **MAN - MONTHS INPUT FOR KEY PROFESSIONAL STAFF AUTHORITY ENGINEER**

S. No.	Key Personnel	Man-month in Construction period of 36 months*	Man-month in Maintenance / Defect Liability period of 60 months <sup>1</sup>
<b><u>A: Key Personnel</u></b>			
1.	Team Leader Cum Senior Highway Engineer – 1 no.  (Common for 4 packages)	36	6
2.	Deputy Team Leader – 1 no.  (Common for 4 packages)	36	6
3.	Sr. Contract Specialist – 1 no.  (Common for 4 packages)	12	3
4.	Resident Engineer (To be designated as Team Leader in Maintenance period after Team Leader's work is completed) –4nos.	144	60
5.	Senior Quantity Surveyor – 4 nos.	144	12
6.	Highway design Specialist – 1 nos.	12	-
7.	Bridge Design Specialist – 1 Nos.	18	-
8.	Sr. Pavement Engineer -2 nos.	72	-
9.	Sr. Bridge/Structural Engineer – 2 nos.	72	-
10.	Design Engineer (Bridges/Structures) – 4 nos. (1 for each package)	144	-
11.	Highway Engineer - 4 Nos. (1nos. for each package)	144	120
12.	Bridge/Structural Engineer – 4 nos. (1nos. for each package)	144	20
13.	Material Engineer – 4 nos. (1 for each package)	144	12

<sup>1</sup>Intermittent Inputs

<b>S. No.</b>	<b>Key Personnel</b>	<b>Man-month in Construction period of 36</b>	<b>Man-month in Maintenance / Defect Liability</b>
14.	Environment Expert – 1 no. (Common for 4 packages)	36	-
15.	Electrical Engineer – 2 nos. (common for 4 packages)	24	10
16.	Geotechnical Expert – 1 nos. (Common for 4 packages)	18	-
17.	Building Design & Construction Expert – 1 no. (Common for 4 packages)	24	-
18.	TMS and ATMS Expert – 2 no. (Common for 4 packages)	24	60
19.	Safety Engineer - 2 nos. (Common for 4 packages)	72	-
	Sub Total	<b>1320</b>	<b>309</b>
<b><u>B: Sub Professional Staff</u></b>			
(a)	Quantity Surveyor – 4 nos. (1 for each package)	144	12
(b)	Survey Engineer– 8 nos. (2 for each package)	288	-
(c)	Lab Technician– 8 nos. (2 for each package)	288	24
(d)	Assistant Highway Engineer – 8 nos. (2 for each package)	288	120
(e)	Assistant Bridge / Structure Engineer – 8 nos. (2 for each package)	288	120
	Sub Total	<b>1296</b>	<b>276</b>

**Note:** The qualification and experience of Sub Professional staff would not be accounted in the evaluation. However, Consultant shall have to get their CVs approved from Employer before mobilization. The other inputs like support staff shall also be provided by the Consultant of an acceptable type commensuration with the roles and responsibilities of each position.

**Enclosure B**

### **QUALIFICATION OF KEY PERSONNEL**

#### **Team Leader cum Senior Highway Engineer (Full Time)**

**Duties:** The Team Leader will reside at project site on a full time basis throughout the period of the construction supervision services. He will be overall in-charge of the project supervision of the construction package. He shall act as Representative of the consulting firm appointed by the Authority. His duties will involve overall superintendence over the Resident Engineers and other experts of the construction package. He will guide, monitor, supervise and control all the activities related to supervision for the construction package. He will interact with the Project Director and the other officials of the Authority.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Civil Engineering from recognized university.



- b) Total Professional Experience of 15 years in handling Highway Contracts.
  - c) At least 5 years' experience as Team Leader/Dy. Team Leader / Resident Engineer/Project Manager or similar capacity in Highway project.
  - d) He should have handled as Team Leader/Dy. Team Leader / Resident Engineer/Project Manager or similar capacity of at least two projects in Construction Supervision of Highways.
  - e) He should have handled as Team Leader or similar capacity of at least one Projects of project Preparation of major highway Project of four/ six - laning.
  - f) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications.
- a) Post Graduate Degree in Construction Management/Highway Engineering/Transportation/Pavement Engineering.
  - b) Supervised Highway Construction projects with flexible pavements.
- Note:**
1. Similar Capacity includes the following positions
    - i. On behalf of Consultant: Team Leader / Dy. Team Leader / Resident Engineer (Construction Supervision/IE/AE).
    - ii. On behalf of Contractor : Project Manager (Construction/ Construction Supervision)
    - iii. In Government Organizations : Superintending Engineer (or equivalent) and above
  2. Only those projects will be considered for evaluation at Sl. No. 1(d) where the input of the personnel is at least one year and 1(e) above, where the input of the personnel is at least six months.

### **Deputy Team Leader**

**Duties:** The Deputy Team Leader will reside at project site on a full time basis throughout the period of the construction supervision services. He will support the TL in all his duties and shall act as Acting Team Leader during the absence of Team Leader.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Civil Engineering from recognized university.
  - b) Total Professional Experience of 15 years in handling Highway Contracts.
  - c) At least 8 years' experience as Deputy Team Leader/ Resident Engineer/Highway Engineer /Project Manager / Superintending Engineer or equivalent / or similar capacity in Highway project.
  - d) He should have handled as Deputy Team Leader/ Resident Engineer/Highway Engineer /Project Manager Superintending Engineer or equivalent / or similar capacity of at least two projects in Construction Supervision of Highways.
  - e) He should have handled as Deputy Team Leader or similar capacity of at least one Projects of project Preparation of major highway Project of four/ six - laning.
  - f) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications.
  - a) Post Graduate Degree in Construction Management/Highway Engineering/ Transportation/Pavement Engineering.
  - b) Experience of Construction Supervision on Highway Project.
- 3) Only those projects will be considered for evaluation at Sl. No. 1(d) where the input of the personnel is at least one year and 1(e) above, where the input of the personnel is at least six months.

## Senior Contract Specialist

**Duties:** He will be deployed in working season in stages for cumulative duration of period mentioned in Enclosure-A for obtaining his expert opinion on emerging contractual issues. His key responsibilities will be to guide and assist the Team Leader/Employer in all aspects of contract management in proper implementation of contract provisions including controlling the project cost of the construction package. He will also be required to offer his advice on contractual complications arising during the implementation as per the request of the employer. He will be required to prepare manuals/schedules for the consultants team/employer based on the provisions of the contract document. He will be responsible for giving appropriate suggestions in handling claims of the contractors and any dispute arising thereof.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Civil Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 20 years in Contract Management.
  - c) Experience of at least 6 years as Contract Specialist on any National/State Highway project.
  - d) Contract Management of a large Highway contract say over Rs.150 crore including experience of handling Variation orders, claims of the contractor and there appropriate disposal.
  - e) Handled Arbitration cases in respect of any Highway project.
  - f) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications
  - a) Degree in Law/PG in management/certificate course in management/ certificate course in construction management/certificate course in contract management.

## Resident Engineer (Full Time)

**Duties:** He shall be the in-charge of the construction supervision of project stretch and shall coordinate with all other experts of the construction projects and shall report to the Team Leader and officers of Project Implementation Unit of Authority, as per the delegation established. He shall be directly responsible for regulating the construction process i.e. various activities like earthwork, Sub-base/base courses, bituminous pavement, bridge/culvert works proposed for / being carried out under stipulated specifications/manuals etc. For this purpose, he shall be assisted by Highway Engineer, Bridge Engineer and other support engineers/personnel. He shall deal directly with the Highway Engineer, Bridge Engineer and other support staff attached with the Highway Engineer, Bridge Engineer to ensure that the construction process is well controlled as per established specification controls to avoid later quality control stage problems. In respect of other experts like Material Engineer, Quantity Surveyor, etc., he shall be coordinating and regulating their activities to ensure smooth functioning of the Construction Package concerned. He should have adequate experience in large quantity of earthwork. He will be required to be fielded throughout the Currency of the project. The candidate is expected to be thoroughly familiar with various standards/specifications, contract procedures, design and quality control etc. In addition he will be responsible for ensuring road safety during construction and maintenance period of the project,

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Civil Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 15 years in supervision of Highway Projects.

- c) At least 8 years experience as Resident Engineer/Assistant Resident Engineer/Project Director/Project Manager/Superintending Engineer or equivalent/Executive Engineer or equivalent on similar construction work/Independent Engineering project.
  - d) Should have handled at least 2 Highway projects of about 20-25 km each.
  - e) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications
- a) Post Graduate Degree in Construction Management/Highway Engineering/Transportation/Pavement Engineering.
  - b) Experience of Construction Supervision on Highway Project.

### **Senior Quantity Surveyor**

**Duties:** He will be reporting to the Team Leader and give input as and when required during the work. He will provide necessary guidance to the Quantity Surveyor, and shall issue directions/procedures/formats of reporting to the Quantity Surveyor. He will act as a contract specialist also for the construction package, even though the thrust of his responsibilities will be in the areas of quantity surveying / processing of the invoices etc. He will be responsible for taking all measures required to control the project cost and time over-runs. He will examine the claims of the contractor, variation orders, if any, and will approved the progress reports as per the project requirements. He will approve the measurement of all items of works executed in different stages for payment purpose prepared by Quantity Surveyor.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Civil Engineering from recognized university.
  - b) Total Professional Experience of 15 years in handling Highway Contracts.
  - c) At least 10 years experience as Quantity Surveyor in Highway project.
  - d) He should have handled as Quantity Surveyor in at least two projects in Construction Supervision of Two/four / Six laning of Highways.
  - e) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications.
  - a) Post Graduate Degree in Construction Management/Engineering/certificate course in management/ certificate course in construction management/certificate course in contract management/ certificate course in quantity surveying.

### **Highway Design Specialist**

**Duties:** The Highway design Specialist shall assist the team leader in all aspects related to project highway design and highway facilities. He will provide necessary guidance to the Sr. pavement engineer and Highway Engineer. He will act as highway design specialist and his responsibilities include design of all type of pavement, Highway facilities, design of plan and profile of expressway, horizontal and vertical curve design using computer design software like MX-Road/MOSS etc. design of intersections, interchanges, drainage, signage etc. and preparation of drawings using CAD. He will examine the designs submitted by the contractor, variation orders, if any, and will assist the Team Leader in approving the final design as per the project requirements.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications

- a) Post Graduate in Transportation/Highway/Pavement Engineering from recognized university.
  - b) Professional Experience of 15 years. 12 years of experience in handling design of Highways.
  - c) At least 5 years' experience as Sr. Pavement Engineer / Highway Design Engineer or similar capacity in Highway project in designing highways using computer design software.
  - d) He should have handled as Sr. Pavement Engineer / Highway Design Engineer or similar capacity of at least one Projects of project Preparation of major highway Project of four/ six - laning.
  - e) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications.
- a) Experience as a Highway Design Specialist abroad.

### **Bridge Design Specialist**

**Duties:** The Bridge Specialist shall assist the Team Leader in all aspects related to structure such as ROB/Bridges/ Flyover/ culverts / over or underpass / portals etc. design. He will provide necessary guidance to the Sr. Bridge / Structural Engineer and Design engineer (Bridges/ Structures). He will act as a bridge design specialist and his responsibilities include design of structures using computer design software like STAAD Pro, SAP, SAFE etc and preparation of drawings using CAD. He will examine the structural designs of bridge / Flyover / ROB / Culverts etc submitted by the contractor, variation orders, if any, and will assist the Team Leader in approving the final design and the working drawing of structures as per the project requirements.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications.
  - a) Post Graduate in Structural Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 20 years.
  - c) 15 years experience in handling design of bridge / Flyover / ROB and other structures.
  - d) At Least 5 years experience in independently designing of Major Highway Bridges / ROBs / Flyovers using computer design software.
  - e) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications
  - a) Experience as a Bridge Design Specialist abroad.

### **Sr. Pavement Engineer**

**Duties:** The Sr. Pavement Engineer shall assist the Team Leader in all aspects related to Project Highway including design and supervision. He shall be assisting the Resident Engineer for regulating the construction process i.e. various activities like earthwork, Sub-base/base courses, bituminous pavement, bridge/culvert works being carried out under stipulated specifications/manuals etc. Sr. Pavement Engineer shall be responsible to ensure that the Specifications, design and drawings of expressway (except Bridge and other structures) are as per stipulated specifications/manuals etc. and construction process is well controlled as per established specification controls to avoid later quality control stage problems. The candidate is expected to be thoroughly familiar with various standards/specifications, contract procedures, design and quality control etc.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Civil Engineering from recognized university.
  - b) Total Professional Experience of 12 years in handling Highway Projects.

- c) At least 5 years' experience as Highway / Highway design Engineer or similar capacity in Highway project.
- d) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications.
  - a) Post Graduate Degree in Highway / Transportation / Pavement Engineering.
  - b) Experience of Design of Highway Projects.

### **Senior Bridge & Structural Engineer**

**Duties:** His duties will involve understanding the design provisions of both bridges/ROBs/flyovers and culverts, guiding and checking of reinforcement/cable laying operations, rectifying any apparent mistakes in respect of them, checking and controlling the proper mix designs, Checking the adequacy of proper form-work, laying/compacting of concrete including curing operations. For this purpose, he will work in close coordination with the Bridge Engineers deployed on field, Material Engineer and the Contractor's Expert to effectively Control the quality of execution. He will be responsible for minor modifications in design of bridges/culverts, whenever required during execution.

He should have the following qualification / experience.

- 3) Essential Qualifications.
  - a) Graduate in Civil Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 20 years.
  - c) 15 years experience in Construction / Construction Supervision of bridge / interchange / any other structures.
  - d) Must be familiar with modern methods of construction of bridges/ROB/flyover involving RCC/pre- stress concrete, design standards, technical specifications and statistical Quality Control/Assurance procedures for construction of different component of bridges.
  - e) Experience in similar capacity in supervision of 4 Major Highway Bridges on Pile/Well foundation.
  - f) Experience in supervision of Rehabilitation and repair of 4 nos. Bridges.
  - g) Not more than 65 years of age.
- 4) Preferential Qualifications
  - a) Post Graduate Degree in Structural Engineering.
  - b) Experience as a Bridge Engineer abroad.

### **Design Engineer (Bridges / Structures)**

**Duties:** The Design Engineer (Bridges / Structures) shall report to Bridge Design Specialist and Resident Engineer and shall assist the Bridge Design Specialist / Resident Engineer in ensuring that all aspects related design of the Structures in the Project Highway are in line with the Specifications, Standards and manuals. He shall be responsible for review of all the specifications, design and drawings of the Structures and giving his comments to the Contractor for ensuring best possible design is adopted. The candidate is expected to be thoroughly familiar with various standards/specifications, design and quality control etc.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Civil Engineering from recognized university.

- b) Total Professional Experience of 10 years in handling design of Structures in Highway Projects.
  - c) At least 5 years' experience as Design Engineer(Bridges / Structures) or similar capacity in Structures for Highway project.
  - d) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications.
- a) Post Graduate Degree in Structural Engineering.

### **Highway Engineer**

**Duties:** The Highway Engineer will reside at project site on a full time basis throughout the construction period. His duties will involve assisting the Resident Engineer and Team Leader in activities related to supervision for the construction package. He shall be responsible that the Project Highway is constructed as per the standards and specifications and ensuring that codal stipulations are being followed in all activities related to the construction.

He should have the following qualification / experience.

- 3) Essential Qualifications
- a) Graduate in Civil Engineering from recognized university.
  - b) Total Professional Experience of 12 years in handling Highway Contracts.
  - c) At least 5 years' experience as Highway Engineer or similar capacity in Highway project.
  - d) He should have handled as Highway Engineer or similar capacity of at least one Projects of project Preparation of major highway Project of four/ six - laning.
  - e) Not more than 65 years of age.
- 4) Preferential Qualifications.
- a) Post Graduate Degree in Highway Engineering.

### **Bridge & Structural Engineer**

**Duties:** His duties will involve understanding the design provisions of both bridges/ROBs/flyovers and culverts, guiding and checking of reinforcement/cable laying operations, rectifying any apparent mistakes in respect of them, checking and controlling the proper mix designs, Checking the adequacy of proper form-work, laying/compacting of concrete including curing operations in the package on which he has been deployed. He shall report to Sr. Bridge & Structural Engineer and shall work in close coordination Material Engineer and the Contractor's Expert to effectively Control the quality of execution. He will be responsible for minor modifications in design of bridges/culverts, whenever required during execution.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications.
- a) Graduate in Civil Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 15 years.
  - c) 10 years experience in Construction / Construction Supervision of bridge / interchange / any other structures.
  - d) Must be familiar with modern methods of construction of bridges/ROB/flyover involving RCC/pre- stress concrete, design standards, technical specifications and statistical Quality Control/Assurance procedures for construction of different component of bridges.

- e) Experience in similar capacity in supervision of 4 Major Highway Bridges on Pile/Well foundation.
  - f) Experience in supervision of Rehabilitation and repair of 4 nos. Bridges.
  - g) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications
- a) Post Graduate Degree in Structural Engineering.

### **Material Engineer**

**Duties:** He will be responsible for supervising all the tests to be done in different stages of construction, besides ensuring that specified tests are done as per codal stipulations and as per the specifications laid down in the contract for all the different stages of construction. He will be coordinating and controlling the support personnel placed with him and will report to the Resident Engineer and to the Team Leader/Authority's representative as and when required.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Civil Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 15 years in construction of Highways / Roads / Airfield Runways
  - c) Experience of 8 years in similar capacity in Construction / Construction Supervision of Highway projects.
  - d) Experience as Material / Geotechnical Engineer in Construction/Construction Supervision of at least 4 Highway projects.
  - e) Must be familiar with material property of road construction material, technical specifications and procedures of material tests and testing equipment.
  - f) Not more than 65 years of age.
  
- 2) Preferential Qualifications
  - a) Post Graduate Degree in Geo-Technical Engineering/Soil Mechanics and Foundation Engineering.
  - b) Abroad experience as Material Engineer in Highway Construction projects.

### **Environment Expert**

**Duties:** He will be reporting to the Team Leader and give input as and when required during the work. He will provide necessary inputs in the areas of environment and shall ensure that the contractor conforms to the necessary guidelines issued by Ministry of Environment and Forests and the state authorities.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Post Graduate in Environment Science or equivalent from recognized university.
  - b) Total Professional Experience of 15 years in handling environmental aspects of highway projects.
  - c) He should have handled as Environment Expert in at least two projects in Construction Supervision of Two/four / Six laning of Highways.
  - d) Not more than 65 years of age.

### **Electrical Engineer**

**Duties:** He will be responsible for supervising all Electrical related work being executed at site by the Contractor at different stages of construction, besides ensuring codal stipulations and as per the specifications laid down in the contract for all the different stages of construction. He will report to the Resident Engineer and to the Team Leader/Authority's representative as and when required.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications
  - a) Graduate in Electrical Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 15 years in construction supervision of electrical works in similar position. Fully familiar with installation, testing and commissioning of electrical equipment and systems of Highways.
  - c) Experience of 8 years in similar capacity in Construction / Construction Supervision of Highway projects.
  - d) Experience as Electrical Engineer in Construction/Construction Supervision of at least 2 Highway projects.
  - e) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications
  - a) Abroad experience as Electrical Engineer in Highway Construction projects.
  - b) Expertise in power transformers, power & control cables, current & voltage transformers.
  - c) Experience in Power distribution systems, lighting systems, power studies and project trouble shooting.
  - d) Background of installation and commissioning of generators, transformers, transmission lines, protection systems and UPS units.

### **Geotechnical Expert**

**Duties:** He will be reporting to the Team Leader and give input as and when required. He shall be responsible for analyzing and verifying the specifications and results of Geotechnical investigations and geotechnical details submitted by the contractor and producing technical report of ground investigation and interpretation using state of the art 2D, 3D ground modeling software. He shall be responsible for giving his input regarding quality and suitability of earth, stones, sand etc. used in the project and stability and protection of embankment, structures etc.

He should have the following qualification / experience.

- 1) Essential Qualifications:
  - a) Graduate in Civil Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 15 years as Geotech Expert
  - c) Experience of at least 5 years in Highway Construction or related fields as geotech Expert.
- 2) Preferential Qualifications:
  - a) Post Graduation in Geotechnical/Soil Mechanics / Foundation Engineering.

### **Building Design & Construction Engineer**

**Duties:** He shall report to Team Leader and respective Resident Engineer. He shall be responsible for verifying the specification, quantities, checking and analyzing the layout and structure design of all building structures using latest design software, submitted by the contractor and producing technical report using building & structural modeling software. He shall also be responsible for monitoring the quality, quantity and progress of construction activity of building works and examination of Change of Scope orders and quantities related to these thereof.

He should have the following qualification / experience.



- 1) Essential Qualifications:
  - a) Graduate in Civil Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 15 years in construction / supervision of building / Estimation / structure design of buildings.
  - c) Experience of 8 years in similar capacity in Construction / Construction supervision / Structural Design of Buildings.
- 2) Preferential Qualifications:
  - b) Post Graduation in Building Design/Construction Management.

#### **TMS Expert**

**Duties:** He shall report and assist to team leader regarding all aspects of TMS / HTMS design and supervision. He shall be responsible for checking and verifying the configuration and quality of TMS and HTMS hardware, software and implementation of the same at site and examination of Change of Scope Orders if any and verifying the quantities and it's valuation. He shall also check the suitability of TMS / HTMS technologies suggested by the contractors and help the Team Leader to arrive at appropriate decision.

- 1) Essential Qualifications:
  - a) Graduate in Electrical/Electronics and Communication Engineering from a recognized university.
  - b) 15 years of total professional experience out of which at least 5 years as a TMS / ATMS expert for road projects.
  - c) He should have handled at least 2 major toll / HTMS road projects.
- 2) Preferential Qualifications:
  - a) Post Graduation Electrical/Electronics and Communication Engineering

#### **Safety Engineer**

**Duties:** Shall be responsible for the overall Road Safety Aspect of the Project. He shall ensure that safety provisions as per relevant codes are strictly followed at site during Construction of Road and also during the Maintenance Period.

- 1) Essential Qualifications.
  - a) Graduate in Civil Engineering from a recognized University.
  - b) Professional Experience of 15 years.
  - c) Minimum 10 years experience in Road Safety works of Major Highway Projects (4 / 6 laning projects)
  - d) Experience in Road Safety Audit of at least 2 nos 4/6 lane highway / expressway project including 1 nos at design stage
  - e) International Exposure in the field of Road Safety Management Plan.
  - f) Not more than 65 years of age.
- 2) Preferential Qualifications
  - a) Post Graduate Degree in Traffic Transportation/Safety Engineering.
  - b) Involvement in Preparation of Road Safety Policy of Nation / State / City.
  - c) Preparation of Road Safety Management Plan for inter urban Highways in PPP mode.

#### **Sub Professional**

**(To be evaluated for their suitability by Employer's Representative, before deployment)**

#### **A. Quantity Surveyor**

**Duties:** He will be reporting to the Resident Engineer in day to day working. He will also work under the guidance of the Sr. Quantity Surveyor, and shall abide by the directions/procedures/formats of reporting and approvals settled by the Sr. Quantity

Surveyor. He will act as a contract specialist also for the construction package, even though the thrust of his responsibilities will be in the areas of quantity surveying / processing of the invoices etc. He will be responsible for reporting all measures required to control the project cost and time over-runs. He will examine the claims of the contractor, variation orders, if any, and will prepare the progress reports as per the project requirements. For the purpose, he will be required to get the levels and quantity measurements checked in all items of works executed in different stages for calculations required for payment purpose. He will be required throughout the currency of the project.

**Qualification and experience:** The candidate should be a graduate in Civil Engineering with relevant experience in the field of estimating, preparation and processing of the invoices, analysing rates, checking survey details etc. of the projects. He should have about 8 years of relevant professional experience involving resource planning and scheduling, quantity survey, cost control, contract management etc. He must have worked as Quantity Surveyors for at least 4 years in any National/State Highway Projects. He should not be more than 60 years of age.

**B. Survey Engineer**

**Duties:** Checking layout of centerline, layout of curves, levels and profiles, etc. will be his main responsibility. Apart from this, he shall also assist the Quantity Surveyor in preparation of invoices. He shall also be responsible for modifying survey data in case any modification is required in the design during execution.

**Qualifications and Experience:** He should be a graduate civil engineer with 3 years for BE Civil & 6 years for Diploma holder. Survey Engineer should be conversant with modern survey equipment, total stations, auto level, digital level etc. He should have worked in at least one major highway project. He should not be more than 60 years of age.

**C. Lab Technicians:**

They should be at least Diploma-holders with about 5 to 6 years of experience in handling the quality control tests laboratories for road/bridge works or Graduates in Science with about 1 to 2 years of relevant experience in the field of testing of road/bridge projects.

**D. Assistant Highway Engineer:**

They should be Graduate in civil engineering with about 5 to 6 years of experience in supervision of highway works and should be able in handling the quality control tests in-situ for road works. He should be able to handle modern survey equipment, such as total station etc and should be well conversant with the quality control procedures of highways. He should not be more than 60 years of age.

**E. Assistant Bridge Engineer:**

They should be Graduate in civil engineering with about 5 to 6 years of experience in supervision of highway structure works and should be able in handling the quality control tests in-situ for bridge / structure works. He should be able to handle modern survey equipment, such as total station etc and should be well conversant with the quality control procedures of bridge / structures. He should not be more than 60 years of age.

**Agenda No.-8.3 Approval of continuance of additional Field Engineer of Authority's Engineer in Package-II, Package-IV and Package-V of Agra-Lucknow Access Controlled Expressway.**

In view of remaining works of Agra-Lucknow Access Controlled Expressway in Package-II, Package-IV and Package-V, it was required to continue additional Field Engineer of Authority's Engineer in Package-II, Package-IV and Package-V of Agra-Lucknow Access Controlled Expressway. UPEIDA has allowed continuance of 06 additional Field Engineers (2 additional Field Engineers in Pkg-II, Pkg-IV & Pkg-V) of Authority's Engineer till April'17.

**Members of Board are requested to accord ex post facto approval to the deployment of additional 6 field engineers as stated above.**

**Agenda No.-8.4 Approval of Remaining Change of Scope (CoS) for which notices have been issued/ are to be issued.**

On the demands/requirements of local villagers/populace, requirements of site and various technical aspects encountered from time to time in the construction of Agra-Lucknow Expressway Access Controlled Expressway, Authority's Engineer have been issued/ are to be issued Change of Scope notices (CoS) under Article 13, to the Contractors on the instructions given by UPEIDA as under:-

Sl. no.	CoS Description	CoS Notice Issued/ Not Issued	Notice Ref no.	Date Of Issue
<b>Package-1</b>				
1	Negative CoS notice has been issued for replacement of GSB material with turfing on earthen shoulders	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2249	13.01.2017
2	Due to saving in construction of Box/H P culverts	to be issued		
3	Due to decrease in length of Minor Bridge on Irrigation Canal	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/1622	08.07.2016
4	Toll Booth at Interchanges (16 nos.)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2323	01-Feb-17
<b>Package-2</b>				
1	Flyover with Slip offs in place of Interchanges at Ch. 113+700 and Slip-offs of FO at Ch. 104+700	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/1099	27-Feb-16
2	Re-routing of SH-83 at Interchanges Km 88+978.	issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/2324	01-Feb-17
3	Toll Booth at Interchanges (56 nos.)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2323	01-Feb-17
4	Control Centre in wayside amenities at 101+600	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2427	22-Feb-17
5	Construction of 3x3 m Box type Structure in Loop 2 & Loop 3 of Interchange at Ch. 73+401	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2703	27-April-17

6	Construction of 4x4 m PUP in Loop 3 of Interchange at Ch. 73+401	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2635	11-April-17
7	Providing cement concrete access road for Vishisth Mandi in Mainpuri	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2690	26-Apr-17
<b>Package-3</b>				
1	Toll Booth at Interchanges (08nos.)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2323	01-Feb-17
<b>Package-4</b>				
1	Fencing near ends of ROW and Median Fencing	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/1088	24-Feb-16
2	Access to and from the Vishishth Mandi Sthal at Kannauj at Ch. 201+175 to 202+300	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/1446	24-May-16
3	Additional PUP at Rest Area at Ch. 215+534 (LHS) and 224+060 (RHS)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/2148	19-Dec-16
4	Toll Booth at Interchanges (40nos.)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2323	01-Feb-17
<b>Package-5</b>				
1	Change of VUP dimension on MDR(single cell to double cell)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/14-15/644	12-Oct-15
2	Provision of additional service road from ch.248+106 to 248+ 520 (LHS) in Sablikheda	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/1116	01-Mar-16
3	Kilometer and 100 Meter marker posts	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/1265	31-Mar-16
4	Additional Provision of two wheeler lane	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/1670	17-Jul-16
5	Provision of Slip road at Mataria	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/15-16/1536	15.06.2016
6	Development of junction near Bridge @ch. 1+239	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/14-15/855	31.12.2015
7	Toll Booth at Interchanges ( 02nos.)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2323	01-Feb-17

उपरोक्तानुसार, निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ एजेण्डा प्रस्ताव 8.1 से 8.4 तक प्रस्तुत है।

**कार्यवाही/निर्णय:**—मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक मण्डल को उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत कराया गया, एवं निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त सभी प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

### एजेण्डा बिन्दु संख्या 0 9:मा 0 उच्च न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण।

- 9.1** यूपीडा में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कुल 96 वाद दायर हुए जिनमे से 55 वाद निस्तारित हो चुके हैं एवं शेष 41 वादों में कार्यवाही प्रचलित है। उक्त पर अधिवक्ताओं पर कुल 95,00,000.00 रु० का व्यय हुआ है।
- 9.2** यूपीडा में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में कुल 62 वाद दायर हुए जिनमे से 32 वाद निस्तारित हो चुके हैं एवं शेष 30 वादों में कार्यवाही प्रचलित है। उक्त पर अधिवक्ताओं पर कुल 27,87,500.00 रु० का व्यय हुआ है।

कार्यवाही/निर्णय:-अपर/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यूपीडा के मा0 उच्च न्यायाल में प्रचलित भूमि विषयक वादों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया सदस्यों ने यह जानना चाहा कि किसी प्रकरण में शासन स्तर से कोई कार्यवाही आपेक्षित तो नहीं है, इस सम्बन्ध में उन्हें अवगत कराया गया की सभी वादों के नियमित समीक्षा की जा रही है। शासन से सम्बन्धित कोई प्रकरण नहीं है, एवं अधिकांश वादों में प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, एवं शेष वादों में अगामी 15 दिनों में प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2017 को सम्पन्न हुई 31वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पत्रावली में दिनांक 25 मई 2017 को अनुमोदित किये गये हैं।



(राम सिंहासन प्रेम)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
यूपीडा, लखनऊ।